द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

Munitions India Limited

विनाशाय दुष्कृताम्

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
MUNITIONS INDIA LIMITED

भारत सरकार का उद्यम

रक्षा मंत्रालय

विषय सूची

कॉर्पोरेट अवलोकन

02	अध्यक्ष का संदेश
05	कॉर्पोरेट जानकारी
09	निदेशक मंडल
13	हमारे बारे में
14	एमआईएल फूटप्रिंट
16	उत्पाद प्रोफाइल एवं आधुनिकीकरण
22	प्रमुख उपलब्धियां
25	मुख्य गतिविधियां
43	द्वितीय वार्षिक आम बैठक की सूचना

वैधानिक रिपोर्ट

48	निदेशकों की रिपोर्ट
80	कॉर्पोरेट गवरनेंस रिपोर्ट (परिशिष्ट–I)
86	सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट (परिशिष्ट–II)
94	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
96	कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र
97	व्यापार आचार संहिता एवं नैतिकता के लिए प्रमाण पत्र

वित्तीय विवरण

98	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
138	महालेखा नियंत्रक की टिप्पणी
140	महालेखा नियंत्रक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब
142	तुलन पत्र
144	लाभ और हानि का विवरण
146	नकदी प्रवाह का विवरण
148	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
149	वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

विज़न

'सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला–बारूद से लैस कर प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करना।'

मिशन

गोला–बारूद क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख संरक्षक बनना।

हमारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा एजेंसियों के सबसे विश्वसनीय एवं बेहतर भागीदार के रूप में घरेलू बाजार में नेतृत्व स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना और समूह को गोला बारूद विनिर्माण के एक अंतरराष्ट्रीय वर्ग में विकसित करना।

मुद्रा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करके एवं हितधारकों (स्टेकहोल्डर) की अपेक्षाओं को पूरा करके म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ब्रांड को बनाना और उसे मजबूत करना।

वैश्विक दक्षताओं के साथ एक शिक्षण संगठन बनना, जो रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हो।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयर धारकों,

मुझे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड(एमआईएल) के निदेशक मंडल की ओर से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमआईएल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

सर्वप्रथम, मैं टीम एमआईएल के प्रत्येक सदस्य को सभी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। विश्व में भू–राजनीतिक स्थिति के कारण, टीम के प्रत्येक सदस्यों के लिए यह वर्ष एक कठिन यात्रा थी। तथापि, आपके सकारात्मक रवैये और रचनात्मक भावना ने वर्ष के दौरान आयी अधिकांश बाधाओं को दूर करने में सहायता की है।

यह हमारे लिए इस बात का जायजा लेने का भी समय है कि हमने वर्ष के दौरान क्या किया और वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। टीम के सदस्यों के नवोन्मेषी दृष्टिकोण से, हमने निम्नलिखित नए उत्पाद विकसित किए हैं एवं हमें Bulk Order प्राप्त हुए हैं :

Cartg 7.62 mm X 39 MK-III (730 m/sec Muzzle Velocity)
Grenade MIL 30
Grenade MIL 40
Grenade HE, HEDP, RP, Prac for UBGL and MGL
Rocket PINAKA Extended Range
Artillery Fuze PDM 557 for 155 mm

वर्ष के दौरान एमआईएल ने विश्व बाजार में ग्राहक आधार का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान में हमारे पास 3500 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात ऑर्डर हैं, जिनमें से लगभग 3000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त हुए। इसके अलावा, एमआईएल के पास सशस्त्र एवं अर्धसैन्य बलों से 4500 करोड़ रुपये से अधिक की आपूर्ति का लक्ष्य मिला है। हम नए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक के साथ कर रहे हैं।

कुछ उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और तकनीकी मुद्दों के कारण उत्पादन में कुछ समस्याएं आयी थी । हमें चालू वित्त वर्ष के दौरान इन पर नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। मुझे अपनी टीम के सदस्यों पर गर्व है जिन्होंने कई अवसरों पर इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अविश्वसनीय कौशल, ज्ञान एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सफलता की ओर ले जाने वाले प्रत्येक मील के पत्थर को प्राप्त करने में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है।

एमआईएल ने उत्पादन के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इसके लिए सरकार द्वारा अपेक्षित बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है। आयुध निर्माणी नालंदा में बीएमसीएस के निर्माण के लिए बहुप्रतीक्षित संयंत्रों और आयुध निर्माणी भंडारा में सिंगल बेस प्रोपेलेंट संयंत्र के लिए अनुबंध किया जा चुका है और कार्य भी शुरू हो गया है। इसके अलावा, MANGO परियोजना के लिए विनिर्माण संरचना, निर्माण एवं कमीशनिंग अंतिम चरण में है। इन संयंत्रों की उपलब्धता एमआईएल की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।

साथियों, पूर्व में भी, मैंने वैश्विक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करने पर बल दिया था । नामांकन के आधार पर प्राप्त कार्य आदेश के स्थान पर प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। अब तक हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, हालांकि हमें अपनी कमर कसनी होगी और प्रक्रिया अस्वीकृति (Process Rejection) को कम करने, उत्पादकता में सुधार करने, सामग्री के उपयोग को अनुकूलित करने, अनावश्यक खर्च से बचने और इस तरह उत्पादन की लागत में कटौती करने के लिए अधिक परिश्रम से कार्य करना होगा। वांछित गुणवत्ता वाले उत्पादों की समय पर आपूर्ति के माध्यम से हमारे सम्मानित ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संतुष्ट ग्राहक किसी भी संगठन की सफलता की एकमात्र कुंजी है। आइए, हम संकल्प लें कि हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और इसे प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

इस अवसर पर, मैं अपने कर्मचारियों के परिवार के पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं, जिसके बिना यह उपलब्धियां प्राप्त करना संभव नहीं था ।

साथियों, जैसा कि हम एक अच्छे ऑर्डर बुक, बढ़ते उत्साह और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नए वित्तीय वर्ष में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं,मुझे विश्वास है कि एमआईएल टीम सभी बाधाओं को पार करेगी एवं हमारे सभी हितधारकों के लिए की गई प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। हमारे प्रदर्शन से प्रतिष्ठित संगठन को गौरव मिले और इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाये ।

निदेशक मंडल एवं कंपनी के सभी अधिकारियों की ओर से, मैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्टजी को उनसे मिले अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । मै कंपनी के कामकाज के लिए भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और श्री गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव, का भी उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ । यदि, मैं श्री संजय जाजू, पूर्व अपर सचिव/रक्षा उत्पादन, रक्षा मंत्रालय और श्री टी. नटराजन, अपर सचिव/रक्षा उत्पादन, रक्षा मंत्रालय से मिले अनवरत समर्थन को रिकॉर्ड में नहीं रखता हूँ, तो मैं अपने कर्तव्यों में विफल रहूँगा, जिन्होंने एमआईएल को यात्रा के विभिन्न चरणों में चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बनाया है। मैं श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव,संयुक्त सचिव(एलएस), रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से एमआईएल को समर्थन दिया है ।

मैं बोर्ड के सम्मानित सहयोगियों एवं एमआईएल के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद एवं सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं कंपनी के अन्य हितधारकों को भी कंपनी को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

(रवि कान्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 09283919

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)

श्री देबाशीष बनर्जी
निदेशक/मानव संसाधन

श्री सुशांता कुमार राउत
निदेशक/ऑपरेशन
दि. 30/06/2023 को सेवानिवृत्त

श्री विवेक चंद्र वर्मा
निदेशक/वित्त
(दि.01.10.2021 से 20.05.2022 तक)

श्री प्रकाश अगरवाल
निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
(दि.14.06.2022 से)

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव
संयुक्त सचिव (एलएस)
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि.30.11.2021 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री महेश चन्द्र

कंपनी सचिव
श्री ई.जे. पॉल
(दि.11.07.2022 से)

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स ए.के.रस्तोगी एंड एसोसिएट्स,
गाजियाबाद

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स पी.जी.भागवत,
पुणे

मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक
श्री अजय कुमार सिंह

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स खिरे खांडेकर एंड किर्लोस्कर
चाटर्ड एकाउंटेंट, पुणे

मेसर्स एल.के.महेश्वरी एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, जबलपुर

मेसर्स सामी एंड राजू
चाटर्ड एकाउंटेंट, तिरुचिरापल्ली

मेसर्स नितीन अलशी एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, नागपुर

मेसर्स मिश्रा बधाई एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, संबलपुर

मेसर्स एम.के.सिंह एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, पटना

मेसर्स एस.पी.सी.एम.एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, पुणे

मेसर्स ठक्कर एंड संघानी
चाटर्ड एकाउंटेंट, चन्द्रपुर

मेसर्स शाह बहेती चांडक एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, नागपुर

मेसर्स स्पान एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, चन्द्रपुर

मेसर्स माक्कस एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, होशंगाबाद

मेसर्स बडाले महाले एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, जलगांव

इकाइयों के विभागाध्यक्ष

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की उत्पादन ईकाइयां

श्री संजय हज़ारी
महाप्रबंधक
गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे

श्री पंकज गोयल
महाप्रबंधक
कॉर्डाइट फैक्टरी,अरुवनकाडु

डॉ. अब्दुल समद खान
महाप्रबंधक
अति विस्फोटक निर्माणी खड़की, पुणे

श्री एन.के.अग्रवाल
महाप्रबंधक
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली

श्री पी.के. दास
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी बड़माल,

श्री पी.के.मेश्राम
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी भंडारा

श्री बिजॉय कुमार
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी चांदा

श्री संजीव गुप्ता
वरिष्ठ महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, देहूरोड

श्री एस.पी.शेन्द्रे
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, इटारसी

श्री अशोक कुमार
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, खमरिया

श्री एम.एन.हलदर
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, नालंदा

श्री प्रकाश चन्द्र नंदा
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, वरणगांव, महाराष्ट्र

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की गैर उत्पादन ईकाइयां

श्री डी.सी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
एनएडीपी, अंबाझरी

श्री ज्ञानेश्वर त्यागी
महाप्रबंधक
आ.नि.शि.संस्थान, जबलपुर

श्रीमती जे.वी. ठाकुर
प्रभारी अधिकारी
एमआईएल संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

पंजीकृत कार्यालय
गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे,
महाराष्ट्र –411003
CIN No.U29190PN2021GOI203505

निगमित कार्यालय
दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड, येरवडा, पुणे – 411 006
दूरभाष सं. 020-67080400
ई–मेल : mil-pune@munitionsindia.in
वेबसाइट: https://munitionsindia.in

एमआईएल की उत्पादन इकाइयां

1. **गोला बारूद फैक्टरी खड़की,**
   पुणे, महाराष्ट्र –411003
2. **कॉर्डाइट फैक्टरी,अरुवनकाडु**
   अरुवनकाडु– 643202, तमिलनाडु
3. **अति विस्फोटक निर्माणी खड़की**
   पुणे, महाराष्ट्र –411003
4. **हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी**
   तिरुचिरापल्ली–620025, तमिलनाडु
5. **आयुध निर्माणी, भंडारा**
   भंडारा – 441906, महाराष्ट्र
6. **आयुध निर्माणी बड़माल,**
   बड़माल,बोलंगीर – 767070, उडीसा
7. **आयुध निर्माणी,चांदा**
   चांदा– 442501, महाराष्ट्र
8. **आयुध निर्माणी, देहूरोड**
   पुणे– 412101, महाराष्ट्र
9. **आयुध निर्माणी, इटारसी**
   इटारसी– 461122, मध्य प्रदेश
10. **आयुध निर्माणी, खमरिया**
    जबलपुर – 482005, मध्य प्रदेश
11. **आयुध निर्माणी, नालंदा**
    राजगीर – 803121, बिहार
12. **आयुध निर्माणी, वरणगांव**
    वरणगांव– 425308

एमआईएल की गैर उत्पादन इकाइयां

1. **आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान**
   खमरिया, जबलपुर – 482005, मध्यप्रदेश
2. **राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी**
   अंबाझरी, नागपुर–440021
3. **क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय**
   खडकी, पुणे–411003 महाराष्ट्र

निदेशक मंडल

श्री रवि कान्त, भा.आ.नि.से.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)

श्री रविकांत प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है । वे वर्ष 1987 में यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में भारतीय आयुध निर्माणी संगठन में शामिल हुए और आगे बढ़े। तब से इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक गोला-बारूद (विस्फोटक और हार्डवेयर दोनों) और आयुध के उत्पादन और योजना में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। उन्होंने 5 वर्षों तक सचिव/आयुध निर्माणी बोर्ड के रूप में कार्य किया है। वे आयुध निर्माणी बोर्ड के विभिन्न हथियार प्रणालियों एवं गोला-बारूद की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रूस, इज़राइल, बेल्जियम, इटली, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में रक्षा विनिर्माण निर्माणियों का दौरा किया है।

श्री रवि कान्त ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और नौसेना प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण, तीनों सेनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से संबंधित कार्य किया । इस अवधि के दौरान, वे सामरिक भागीदारी मॉडल को बनाने में सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

श्री रवि कान्त ने अगस्त 2019 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी भारत की सबसे बड़ी आयुध निर्माणी है जो सेना, नौसेना एवं वायु सेना के लिए विभिन्न प्रकार के एम्युनिशन के उत्पादन में लगी हुई है।

श्री रवि कान्त ने 1 अक्टूबर 2021 को नवनिर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है । एमआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले श्री रविकांत, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा कैडर के हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रमुख है। 12 आयुध निर्माणियों वाली कंपनी, सभी रक्षा बलों के लिए विभिन्न प्रकार के एम्युनिशन के उत्पादन में लगी हुई है।

श्री देबाशीष बनर्जी,
निदेशक/मानव संसाधन

श्री देबाशीष बनर्जी, मेनटेनेन्स मैनेजमेंट एवं सामाजिक विज्ञान में एम.फिल की योग्यता रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर से मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग क्षेत्र का 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित आयुध निर्माणी दमदम में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। तीन दशक से अधिक की अपनी सेवाकाल के दौरान, उन्होंने एम्युनिशन और विस्फोटक समूह, हथियार समूह, बख्तरबंद वाहन निर्माणियों के समूह में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, इंजीनियरिंग, रखरखाव, प्रशासन, प्रोविजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है।

श्री देबाशीष बनर्जी, ने सितंबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक इंजिन निर्माणी आवडी के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी टैंक टी-72, टैंक टी-90 और बीएमपी II वाहन के लिए इंजिन के उत्पादन में लगी हुई है। इस अवधि के दौरान निर्माणी ने अपने इनपुट कंपोनेन्टेस का100% स्वदेशीकरण हासिल किया।

श्री देबाशीष बनर्जी, ने 1 अक्टूबर, 2021 को नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के पहले निदेशक/मानव संसाधन के रूप में पदभार ग्रहण किया। एमआईएल के अधीन कार्यरत 12 आयुध निर्माणियां सभी रक्षा बलों के लिए विभिन्न प्रकार के एम्युनिशन के उत्पादन में लगी हुई है।

श्री एस.के. राउत,
निदेशक/ऑपरेशन

श्री एस.के. राउत, बीएससी,मैकेनिकल इंजीनियर हैं एवं IGNOU से एमबीए में स्नातकोत्तर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी संगठन में वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित राइफल फैक्टरी, ईशापुर में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में सेवा आरंभ की। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक उत्पादन, योजना, संयंत्रों के रखरखाव, सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उत्पादन इकाइयों में कार्य किया।

श्री एस.के. राउत ने राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी (आईओएफएस और संबद्ध स्थापना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक एकल संस्थान) में 3 1/2 वर्ष तक अपर प्रधान निदेशक के रूप में कार्य किया एवं सेवा अधिकारियों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस और फ्रांस की रक्षा विनिर्माण निर्माणियों का दौरा किया है।

श्री एस.के. राउत ने दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी वरणगांव के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। यह निर्माणी हमारे रक्षा बलों के लिए स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन जैसे 5.56 मिमी और 7.62 मिमी बॉल पावडर एम्युनिशन के विनिर्माण में लगी हुई है।

श्री एस.के. राउत ने 1 अक्टूबर 2021 को नवनिर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के पहले निदेशक/ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री एस.के. राउत के कुशल मार्गदर्शन में, एमआईएल के अधीन कार्यरत सभी 12 इकाइयां सभी रक्षा बलों को विभिन्न प्रकार के एम्युनिशनों को मुहैया कराने में लगी हुई हैं एवं कॉर्पोरेशन में परिवर्तित होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में उच्च उत्पादकता के साथ 6 माह की अल्पावधि में पूरा किया है। वे दि.30.06.2023 को म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए हैं।

श्री विवेक चन्द्र वर्मा
निदेशक/वित्त.
(दि.01.10.2021 से 20.05.2022 तक)

श्री विवेक चंद्र वर्मा, 1991 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं, उन्होंने आईईटी लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिजाइन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है। उनकी पोस्टिंग 1993 से 2005 तक व्हीकल फैक्टरी जबलपुर में थी। वे वाहन निर्माणी जबलपुर में न्यू जनरेशन के वाहनों के निर्माण की स्थापना के लिए परियोजना अधिकारी थे।

वे 2005 से 2009 तक रक्षा मंत्रालय (योजना एवं समन्वय निदेशालय), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने अन्य देशों के साथ भूमि प्रणालियों एवं सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए उपकरणों के स्वदेशी निर्माण में योगदान दिया है ।

तत्पश्चात उन्हें उल्लेखनीय वर्ष 2009 में आयुध निर्माणी कानपुर में तैनात किया गया। उन्होंने धनुष और 130/155 मिमी अपगन के लिए आयुध के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

वर्ष 2017 में उन्होंने आयुध निर्माणी बोर्ड के सचिव के रुप में कार्य किया । इस पद पर वे सभी कॉर्पोरेट स्तर के नीति निर्माणों के लिए नोडल अधिकारी थे। इस कार्यकाल में आयुध निर्माणियों का एक सरकारी विभाग से एक कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तन भी देखा गया।

श्री विवेक चंद्र वर्मा ने विभिन्न देशों के साथ सैन्य सहयोग में योगदान देते हुए कई देशों का दौरा किया । संगठन स्तर पर, उन्हें आ.नि.बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में 'सभी आयुध निर्माणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक' और वर्ष 2020 में 'आयुध भूषण पुरस्कार' से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारतीय आयुध निर्माणियों से बनी एक नव निर्मित इकाई, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के पहले निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार संभाला।

श्री प्रकाश अग्रवाल
निदेशक/वित्त. एवं मुख्य वित्त अधिकारी (दि.14.06.2022 से)

श्री प्रकाश अग्रवाल एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं एवं आईआईएम, कोलकाता से एमबीए हैं । वे1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझारी, नागपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात, उन्होंने 1992 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अपनी सेवा आरंभ की, जहां विपणन एवं निर्यात का एक नया प्रभाग स्थापित किया गया था। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें विपणन, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दीर्घ अनुभव है। इस दौरान उन्हें प्रतिष्ठित 'आयुध भूषण' पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर एवं उसके बाद आयुध उपस्कर निर्माणी, मुख्यालय, कानपुर में निर्माणी स्तर पर सामग्री प्रबंधन, उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्षेत्रों में भी कार्य किया है।

श्री प्रकाश अग्रवाल पुणे में नवनिर्मित DPSU, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (MIL) में महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं वित्त के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व वर्ष 2021 तक विपणन एवं निर्यात के उप महानिदेशक के रूप में तीन वर्ष तक आ.नि.बोर्ड, कोलकाता में सेवा की।

रक्षा निर्यात संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इन्होंने लगभग 20 देशों का दौरा किया है तथा इस क्षेत्र का उन्हें दीर्घ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 16 जून, 2022 को एमआईएल में निदेशक/वित्त का पदभार ग्रहण किया । वे एमआईएल के मुख्य वित्त अधिकारी(CFO) हैं।

संयुक्तन सचिव (एलएस)
श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि. 30.11.2021 से)

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है।

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बी.टेक एवं एम.टेक की उपाधि प्राप्त की है एवं वे पश्चिम बंगाल कैडर के 1996 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी हैं । इससे पूर्व उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग में विभिन्न पदों जैसे प्रभागीय वन अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक के रुप में भी कार्य किया है । उन्होंने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम में 7 वर्ष से अधिक तक कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

वर्तमान में, वे रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) के पद पर कार्यरत हैं।

हमारे बारे में

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एमआईएल रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डीपीएसई है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विनिर्माता और मार्केट लीडर है जो सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्ध-सैन्य बलों के लिए एम्युनिशन एवं विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान एवं विकास और विपणन में लगी हुई है।

एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय भारत के पुणे शहर में है जो देश भर में स्थित अपनी 12 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयों में लगभग 25,000 के कुशल कार्यबल के साथ कार्यरत है। इन निर्माणियों ने 150 से अधिक वर्षों से इनिशियेटरी कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और हाई एक्सप्लोसिव के इन-हाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम एवं उच्च कैलिबर के गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए एकीकृत आधार साबित किया है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र एम्युनिशन से लैस कर प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना है।

हमारे विदेशी ग्राहकों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया में स्थित देश शामिल हैं। भारत और विदेशों में अपने ग्राहकों से हमें जो संरक्षण मिलता है, वह हमारे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में उनके विश्वास को दर्शाता है। हम सशस्त्र बलों के पीछे की एक मजबूत शक्ति हैं।

एमआईएल अपनी12 वि निर्माण इकाइयों के साथ निम्नलिखित उपलब्ध कराती है:

- बहु-प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ एक व्यापक एवं बहुमुखी उत्पादन आधार
- अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं
- कुशल एवं पेशेवर रूप से योग्य जनशक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों का एक बड़ा समूह
- गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन (सभी इकाइयां आईएसओ-9000 प्रमाणित हैं)
- आवश्यकता के आधार पर शोधन और संशोधन करने के लिए मूल और अनुकूली अनुसंधान एवं विकास
- औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण के लिए एक मजबूत आधार

एम आई एल फुटप्रिंट्स
उत्पादन और गैर उत्पादन इकाइयां

एम आई एल यात्रा

2021
Munitions India Ltd.

2001
Ordnance Factory Nalanda

1984
Ordnance Factory
Badmal

1980
HAPP

1977
Ordnance Factory
Dehu Road

1970
Ordnance Factory
Itarsi

1964
Ordnance Factory Bhandara

1964
Ordnance Factory
Chanda

1964
Ordnance Factory Varangaon

1942
Ordnance Factory
Khamaria

1940
High Explosives Factory
Khadki

1904
Cordite Factory
Aruvankadu

1869
Ammunition Factory
Khadki

उत्पाद प्रोफाइल

एमआईएल के उत्पाद पोर्ट फोलियो में गोला–बारूद, विस्फोटक, आतिशबाज़ी बनाने की विद्या एवं अन्य रक्षा संबंधी उत्पाद शामिल हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और निर्यात के सख्त मानकों तथा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

उत्पाद प्रोफाइल

MORTAR BOMBS

NAVAL AMMUNITION

GRENADES

AERIAL BOMBS

उत्पाद प्रोफाइल

ROCKET PINAKA

TANK AMMUNITION

EXPLOSIVES

SMOKE & PYROTECHNICS

आधुनिकीकरण

पिनाका

मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका की उत्पादन क्षमता एमआईएल निर्माणियों में रुपये 572 करोड़ के निवेश के साथ प्रति वर्ष 1000 से2500 रॉकेट तक बढ़ाया गया।

इस रॉकेट के उत्पादन में एचईपीएफ त्रिची, आयुध निर्माणी चांदा, आययुध निर्माणी देहूरोड एवं आयुध निर्माणी इटारसी लगे हुए हैं।

Pinaka Rocket Assembly Line

ख) मैंगा परियोजना

AMK-339 FSAPDS (MANGO) सेना की आवश्यकता के अनुसार, 125 मि.मी.FSAPDS गोला–बारूद के निर्माण की क्षमता, टैंक T-72 और T-90 के लिए मुख्य गोला–बारूद, रूस द्वारा दी गई तकनीक के अनुसार स्थापित किया जा रहा है । यह परियोजना1300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की जा रही है।

Polishing Drum for SBP

Centrifuge

Kneading

Table Dryer

DPA Mixer.

Dry Curing Cabinet

Sintering Process

MANGO Manufacturing Process

30 एमएम बीएमपी–II गोला बारूद

आयुध निर्माणी खमरिया ने स्वदेशी रूप से 30 एमएम बीएमपी–II गोला बारूद के निर्माण के लिए असेंबली लाइन तैयार की है। आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संयंत्र का निर्माण भारतीय उद्योग द्वारा किया गया था। यह नई तकनीक विकसित करने में आयुध निर्माणी खमरिया भारतीय उद्योग की मदद में एक शानदार उदाहरण है।

प्रमुख उपलब्धियां

स्वदेशीकरण : ''आत्मनिर्भर भारत''

वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री–95%

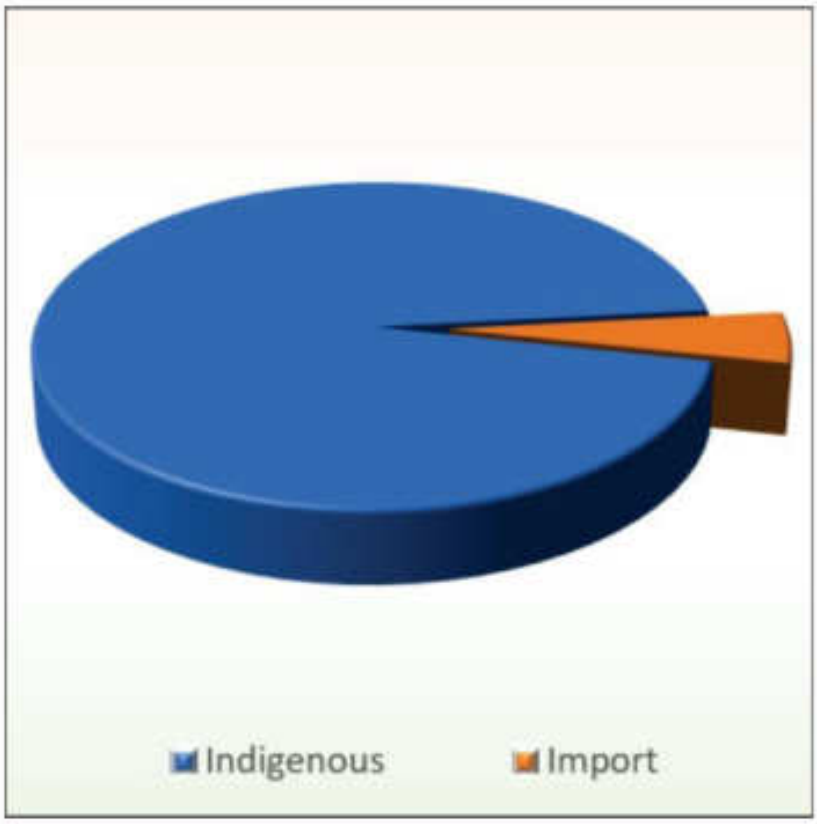

सफलतापूर्वक उत्पादों का विकास

- 40 mm MIL-25 (Equivalent to VOG-25)
- 30 mm MIL-17 (Equivalent to VOG-17 M)
- 500 kg GP Bomb
- Cartg 7.62X39 with higher Muzzle Velocity (suitable for AK 203)
- 105 mm Blank amn
- Multi Model Hand Grenade
- 81 mm ATAL Smoke Grenade
- 9 mm Subsonic amn
- .338Lapua Magnum amn
- 7.62 X 54 PKT amn
- Artillery Fuze PDM 557
- 76/62 SRGM HEADA amn
- Variants to low velocity Grenades for UBGL & MGL.
- PINAKA DPICM, ER variants.

विकास के अंतर्गत उत्पाद

* दोहरे उद्देश्य बेहतर पारंपरिक युद्ध सामग्री (डीपीआईसीएम) वारहेड
* मल्टी इनफ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम)
* वरुण अस्त्र वारहेड
* हीट– 751, एचईडीपी–502 एवं स्मोक – 469 सी एम्युनिशन के लिए प्रोपोलेन्ट
* 125 मिमी एफएसएपीडीएस एम्युनिशन (प्रवेश की गहराई 550 मिमी)
* वायुसेना बमों के लिए फ्यूज
* ड्रोन वितरित एम्युनिशन (होमिंग और मार्गदर्शन के साथ वितरण प्रणाली)

गाइडेड एरियल बम

155 **एमएम स्मार्ट एम्युनिशन**

155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद सटीक हमलों की अनुमति देकर और साथ ही साथ संपार्श्विक क्षति को कम करके आर्टिलरी गन की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

वायु सेना के लिए70मिमीरॉकेट:-

70 मिमी रॉकेट मुख्य रूप से हवा से जमीन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये रॉकेट एंटी-कर्मियों, हवा से जमीन पर दमन और रोशनी का प्रदर्शन कर सकते हैं ।

70 एमएम रॉकेट के प्रमुख कंपोनेंट हैं:-

नए उत्पाद के विकास पर शिक्षा जगत के साथ एमआईएल द्वारा की गई चर्चा

बिंदु नोट कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। एमआईएल उत्पादन गतिविधियों के लिए विशिष्ट डोमेन विशेषज्ञ को भी नियुक्त कर रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो स्वदेशीकरण गतिविधियों के लिए डोमेन विशेषज्ञ को नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, एमआईएल विकास कार्यों के लिए विभिन्न शिक्षाविदों के साथ सहयोग कर रहा है।

उदाहरण

आईआईटी मद्रास की सहायता से स्मार्ट 155 मिमी गोला बारूद (आईएसए-इंडियन स्मार्ट गोला बारूद) और 30 गोला बारूद का विकास।

आईआईटी कानपुर की सहायता से उच्च ऊर्जा अणुओं का स्वदेशी विकास।

इसके अलावा, आईआईटी मद्रास द्वारा गोला बारूद प्रौद्योगिकी में एमआईएल के कर्मचारियों के लिए एम.टेक कार्यक्रम सितंबर 2022 के पहले सप्ताह से शुरू हुआ।

मुख्य गतिविधियां

26 जनवरी समारोह पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ध्वजारोहण

26 जनवरी पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

एमआईएल का स्थापना दिवस समारोह: 1 अक्टूबर 2022

1 अक्टूबर 2022 को स्थापना दिवस समारोह के दौरान एमआईएल के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण

MIL Performer of the year - Karma Shreshtha
One Lakh Eleven Thousand Only ₹ 1,11,000/-

MIL Performer of the year - Karma Shreshtha
One Lakh Eleven Thousand Only ₹ 1,11,000/-

वीवीआईपी, वीआईपी और गणमान्य व्यक्तियों का एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे का दौरा

18 जुलाई 2022 को एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में सदस्यों (कर्मचारी पक्ष) के साथ सलाहकार तंत्र की बैठक

13/02/2023 से 17/02/2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया में एमआईएल का स्टॉल

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
MUNITIONS INDIA LIMITED
L&T DEFENCE

युरोसॅटोरी पॅरीस २०२२

रक्षा संबंधी स्थायी समिती का अध्ययन दौरा २०२२

दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 26 सितंबर 2023 को प्रात: 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीचे उल्लिखित विषयों के निपटान के लिए आयोजित की जाएगी–

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लाभ और हानि के लेखा परीक्षित विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण को पढ़ना, विचार करना और अपनाना। 31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक की टिप्पणियाँ। उस पर भारत के महालेखा परीक्षक और निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

   ''निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ एतदद्वारा पढ़ा जाता है, विचार किया जाता है और अपनाया जाता है।''

विशेष व्यवसाय

2. लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति

   विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :
   ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा नियम, 2014), और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पारित (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) एस) या उसके लागू होने के समय के लिए पुनः अधिनियमित), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स धनंजय वी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, पुणे, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000030)की नियुक्ति के लिए एतदद्वारा दी जाती है।

   इसके अलावा निर्णय लिया गया कि लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक रु. 1,77,000/- (एक लाख और सतहत्तर हजार रुपये) (टैक्स और जेब खर्च सहित) ऐसी फीस पर एवं ऐसे नियमों और शर्तों पर दिया जाएगा जैसा कि अनुरोध में उल्लिखित है। प्रस्ताव एवं लागत लेखा परीक्षकों की सहमति से इसे अंतिम रूप दिया गया है और इसे कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि

   विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

''एमआईएल के वैधानिक ऑडिट के लिए केंद्रीय लेखा परीक्षक के ऑडिट शुल्क को समेकित रूप में रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एमआईएल इकाई (उत्पादन और गैर–उत्पादन) के लिए शाखा लेखा परीक्षक की ऑडिट फीस को1,00,000/- (एक लाख रूपये) से रु.1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) तक बढ़ाया जाए।

इसके अलावा निर्णय लिया गया कि एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय खातों के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क को रु.1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) निर्धारित करना।

4. वित्तीय वर्ष2022-23 के लिए टैक्स ऑडिटर की नियुक्ति एवं टैक्स ऑडिट शुल्क को मंजूरी

विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

''शाखा लेखा परीक्षकों को संबंधित एमआईएल इकाइयों में कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सीएजी द्वारा उन्हें वित्तीय वर्ष2022-23 के लिए नियुक्त किया गया है।

आगे निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एमआईएल इकाई के लिए रु. 60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र) टैक्सै ऑडिट शुल्क होगा।

आगे निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय सहित संपूर्ण कंपनी के रूप में एमआईएल के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक को कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए

आगे निर्णय लिया गया कि कॉर्पोरेट कार्यालय सहित संपूर्ण कंपनी के रूप में एमआईएल के लिए टैक्स ऑडिट का पारिश्रमिक रु.3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रूपये) होगा।''

निदेशक मंडल के आदेश से
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड के लिए

(ई. जे. पॉल)
कंपनी सचिव
एम.नं.एफसीएस–4521

स्थान: पुणे
दिनांक: 31/08/2023

टिप्पणियाँ:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है एवं प्रॉक्सी को सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
2. सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी दूसरी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।
3. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
   प्रश्नfinance@munitionsindia.in पर पहले से भी दिए जा सकते हैं।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम सेAccess करने का लिंक बैठक से दो दिन पहले साझा किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य :

2. क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत, 'ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगी कंपनियां या ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, जो निर्धारित की जा सकती हैं, निर्देश देती हैं कि सामग्री या श्रम के उपयोग या लागत की अन्य वस्तुएं जैसा कि निर्धारित किया गया है, से संबंधित विवरण उस श्रेणी की कंपनियों द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में भी शामिल किया जाएगा।

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम 2014 के नियम 6 के उप नियम (1) में कहा गया है, 'नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों की श्रेणी और नियम 4 में निर्धारित सीमाएँ, प्रत्येक के वित्तीय वर्ष के शुरू होने के 180 दिनों के भीतर एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करें।'

मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 00030), ने रु.1,77,000/- रुपये (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये) के पारिश्रमिक पर नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार कर लिया है । (कर एवं जेब खर्च सहित) । तदनुसार वह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (3) के तहत, उपधारा (2) के तहत ऑडिट एक लागत लेखाकार जो प्रैक्टिस में है, द्वारा किया जाएगा, जिन्हें बोर्ड द्वारा ऐसे पारिश्रमिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जो सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे को लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000030) को 1,77,000/- रुपये (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये)(कर और जेब खर्च सहित) के पारिश्रमिक पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करेंगे । उद्धृत मूल्य को कंपनी के सदस्यों द्वारा भी अनुसमर्थित/अनुमोदित किया जाना चाहिए।

ख) निदेशक मंडल ने28 जून,2023 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।
''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा नियम, 2014), और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) या उसे फिलहाल लागू होने के लिए पुनः अधिनियमित करना), एवं कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है, एतदद्वारा मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या– 000030) को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

आगे निर्णय लिया गया कि पारिश्रमिक रु. 1,77,000/- (एक लाख और सतहत्तर हजार रुपये) (टैक्स और जेब खर्च सहित) लागत लेखा परीक्षकों को ऐसी फीस पर और ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जैसा कि प्रस्ताव के अनुरोध में उल्लिखित है और लागत द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। ऑडिटर को अंतिम रूप दे दिया गया है जो कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अधीन है।

आगे यह निर्णय लिया गया कि शुरुआत में फर्म को केवल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है और अगले वर्ष के लिए आपूर्ति आदेश का विस्तार फर्म के संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर जारी किया जाएगा।

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी के कंपनी सचिव श्री ई जे पॉल को पूर्वगामी संकल्प को प्रभावी करने के लिए इस संबंध में आवश्यक या आकस्मिक सभी ऐसे कार्य, कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आगे निर्णय लिया गया कि इसी तरह की नियुक्ति/कार्य के लिए एक एसओपी बनाई जाएगी।''
किसी भी निदेशक को संकल्प में रुचि नहीं है।

३. निदेशक मंडल ने28 जून,2023 को आयोजित अपनी03/2023-24 बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।
''यह निर्णय लिया गया कि रु.5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) तक एमआईएल के वैधानिक ऑडिट के लिए केंद्रीय लेखा परीक्षक के ऑडिट शुल्क को (समेकित रूप में) बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एमआईएल इकाई (उत्पादन और गैर–उत्पादन) के लिए शाखा लेखा परीक्षक की ऑडिट फीस को 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) रुपये तक बढ़ाया जाए।

इसके अलावा निर्णय लिया गया कि एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय खातों के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क रु.1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) निर्धारित किया जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि कंपनी के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अधीन है।

आगे निर्णय लिया गया कि मेसर्स ए पी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स (WR1076), नागपुर के स्थान पर मेसर्स शाह बहेती चांडक एंड कंपनी (WR0265), नागपुर को आयुध निर्माणी भंडारा के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है/को एतदद्वारा नोट किया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित/अनुसमर्थित करने का प्रस्ताव है
किसी भी निदेशक को संकल्प, में रुचि नहीं है।

4. शाखा लेखा परीक्षकों को संबंधित एमआईएल इकाई के कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिसके लिए उन्हें सीएजी द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रत्येक एमआईएल इकाई के लिए रु. 60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र)टैक्स ऑडिट शुल्क होगा।

कॉर्पोरेट कार्यालय सहित संपूर्ण कंपनी के रूप में एमआईएल के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक को कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है। कॉर्पोरेट कार्यालय सहित संपूर्ण कंपनी के रूप में एमआईएल के लिए टैक्स ऑडिट का पारिश्रमिक रु.3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रूपये) होगा।

टैक्स ऑडिटर की नियुक्ति और टैक्स ऑडिट शुल्क कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के अधीन है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित करने का प्रस्ताव है।
किसी भी निदेशक को संकल्पे में रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के लिए

(ई. जे. पॉल)
कंपनी सचिव
एम. नं. FCS-4521

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में ,
शेयर होल्डरर्स
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

निदेशकों का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित खातों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 73.35 करोड़ का लाभ (कर के पश्चात) दर्ज किया है।

1. मुख्य अंश :

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) लागू कर रही है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो किसी संगठन को एकीकृत अनुप्रयोगों के एक सूट का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ईआरपी प्रणाली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित करते हैं, जिससे आसान, अधिक सटीक और कुशल संचालन होता है। ईआरपी मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पूर्ण दृश्यता प्रदान करता है। हम ईआरपी प्रणाली को कंपनी की प्रौद्योगिकी प्रणाली के मस्तिष्क के रूप में सोच सकते हैं। मानव शरीर में, मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और उन्हें बताता है कि क्या करना है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सभी एक साथ काम करें। मानव शरीर मस्तिष्क के बिना कार्य करने में असमर्थ है, और एक विनिर्माण कंपनी उचित ईआरपी प्रणाली के बिना कार्य नहीं कर सकती है। यह उत्पाद विकास, विनिर्माण, विपणन और बिक्री सहित व्यवसाय के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है। इन सभी क्षेत्रों को सिंक्रनाइज़ करके, व्यवसाय दृश्यता प्राप्त करने, उत्पादकता और परिचालन दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम हैं।

एक ईआरपी प्रणाली हमें अपनी कई प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में सक्षम बनाएगी ताकि संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता लाया जा सके। इसका मतलब है कम दोहराव, संसाधनों का बेहतर शेड्यूल और कम डाउनटाइम । ईआरपी लेन देन संबंधी डाटा को अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करता है, प्रक्रिया को परेशानी मुक्त तरीके से स्वचालित करता है, उचित जांच और संतुलन के साथ कार्य प्रक्रियाओं में सुधार करता है।

इसके लाभ हैं :–

- व्यवसाय संचालन के संबंध में गहन अंतर्दृष्टि
- अगले स्तर तक ऑटोमेशन
- व्यावसायिक प्रदर्शन को बढ़ावा देना
- बेहतर संसाधन प्रबंधन
- कुशल आपूर्ति श्रृंखला और ऑर्डर पूर्ति
- सुरक्षित और अधिक सुलभ डाटा
- त्वरित निर्णय लेना

अत: ईआरपी को एक रणनीतिक परियोजना, प्रतिस्पर्धी लाभ की कूंजी माना जा सकता है।

उत्पादन इकाइयाँ:

i. गोला बारूद फैक्टरी खड़की

ii. कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु

iii. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली

iv. हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की

v. आयुध निर्माणी भंडारा

vi. आयुध निर्माणी बोलंगीर

vii. आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर

viii. आयुध निर्माणी देहूरोड

ix. आयुध निर्माणी इटारसी

x. आयुध निर्माणी खमरिया

xi. आयुध निर्माणी नालंदा

xii. आयुध निर्माणी वरणगांव

गैर उत्पादन इकाइयाँ:

i. आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया

ii. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी

iii. एमआईएल, संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

2. वित्तीय समीक्षा :

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के निष्पोदन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश निम्निलिखित है: करोड़ में

विवरण	2022-23	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 (पुनर्स्थापित)
कुल आय	4951.62	2616.13
एफबीआईडीटीए	271.93	115.49
वित्तीय व्यय	शून्य	शून्य
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	170.04	85.02
कर पूर्व लाभ/(हानि)	101.89	30.47
कर आदि के लिए प्रावधान	28.54	8.78
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	73.35	21.69
कर पूर्व लाभ/(हानि)	शून्य	शून्य
तुलनपत्र में लाया गया अधिशेष	73.35	21.69

2.2 लाभांश :

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के अनुसार, वित्त मंत्रालयने अपने पत्र सं. एफ. संख्या 4/27/2019–डीआईपीएएम–द्वितीय–ए(ई), दिनांक:13.06.2023 द्वारा यह सूचित किया गया है किसी पीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की संवीक्षा के लिए समिति (सीएमसीडीसी) ने एमआईएल को वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए लाभांश भुगतान से छूट दी है।

2.3 विकास :

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भी कारोबार बढ़ाकर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में ग्राहक आधार का विस्तार करके और नए उत्पादों को प्रस्तुत कर लाभ बरकरार रखा है, जिससे उत्पाद आधार में वृद्धि हुई है।

2.4 निवल मूल्य :

31 मार्च,2023 को कंपनी की कुल संपत्ति7480.62 करोड़ है (पिछले वर्ष यह6,339.44 करोड़ थी)।

2.5 विदेशी मुद्रा (आय और व्यय)

आय यू एस डी, यूरो के रूप में है

व्यय यूएसडी, यूरो, एसईके के लिए है

अवधि	आय	व्यय
2022-23	45.54 करोड	642.96 करोड
17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए	22.55 करोड	245.31 करोड

3. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के तहत आवश्यकता नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न वेबसाइट https://munitionsindia.in/Downloads/Manual and Policies / Annual Return 2022-23https://munitionsindia.in/Downloads/पर प्रदर्शित किया गया है।

4. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा134 (3) (सी) के अनुसार एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि–

4.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

4.2 ऐसी लेखांकन नीतियों का हमेशा चयन किया जाता है एवं उसे लागू किया जाता है तथा निर्णय एवं अनुमान लगाए जाते हैं जो उचित और विवेकपूर्ण होते हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति या उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या नुकसान का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके ।

4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त निगरानी की जाती है।

4.4. वार्षिक लेखा जोखा का विवरण संचालित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है ।

4.5 सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं एवं उनमें और सुधार किया जा रहा है।

5.

कंपनी की गतिविधियाँ :

5.1 उत्पादन:

लगभग 23000 कुल कर्मचारियों के साथ देश भर में स्थित कंपनी अपनी 12 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों में विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और विस्फोटक का उत्पादन करती है । यह सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्ये बलों और निर्यात के लिए गोला बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान और विकास और विपणन में भारत का सबसे बड़ा निर्माता और मार्केट लीडर है। कंपनी के पास 150 से अधिक वर्षों के लिए इनिशिएटिव कंपोजिशन, प्रोपेलेन्टम एवं उच्च विस्फोटक के इनहाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर के गोला बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए सिद्ध एकीकृत आधार है । कंपनी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करती है । कंपनी की सभी इकाइयां आईएसओ9001 प्रमाणित है ।

उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों का विवरण:

उत्पादन इकाइयां

गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)

पुणे शहर में स्थित गोला बारूद निर्माणी खड़की 16 दिसंबर 1869 को ब्रिटिश सरकार की एक छोटी सशस्त्र विनिर्माण इकाई के रूप में अस्तित्व में आयी । गन पाउडर का उपयोग कर गोला बारूद कारतूस का नियमित उत्पादन 1872 में शुरू हुआ । कार्डाइट प्रोपलेंट का प्रयोग करते हुए (नाइटोसेल्यूलोज और नाइटोग्लिसरीन पेस्ट से बने) 1886 मेंकाटिज 0.303" का निर्माण किया गया । 1914 में एएफके में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार हुआ और विभिन्न प्रकार के प्राथमिक विस्फोटक जैसे मरक्यूरी फलमिनेट, लेड एजाइड, लेड स्टाइफ्नेट और कैप्स, डेटोनेटर, पर्क्यूशन फ्यूज़ भरना तथा एशिया और अफ्रीका में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएफ्फ्रके में विभिन्न पायरो तकनीक स्टोर आरंभ किए गए थे। यह निर्माणी विभिन्न सशस्त्र बलों और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोल-बारूद के निर्माण में अग्रणी है।

कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु

कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी । सीएफए के पास प्रोपलेंट निर्माण के लिए उपयुक्त जलवायु, भौगोलिक स्थिति, पानी की आपूर्ति के लिए अपना जलाशय और सुरक्षा के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के आवश्यक लाभ थे, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीएफए 105 मि.मी., 120 मि.मी., 130 मि.मी., 155 मि.मी., नौसैनिक गोला-बारूद और छोटे हथियारों के लिए प्रोपलेंट सहित विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के लिए गुणवत्ता वाले प्रोपलेंट के निर्माण में अग्रणी है। 155 मि.मी., गोला बारूद के लिए बायो मॉड्यूलर चार्ज के लिए ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का नवीनतम जोड़ सीएफए की एक महान उपलब्धि है ।

अति विस्फोटक निर्माणी खड़की

अति विस्फोटक निर्माणी खड़की को पूर्व द्वितीय विश्वक युद्ध वर्ष 1935-40 में उच्च विस्फोटकों (टीएनटी और सीई) और गोला बारूद निर्माणी खड़की के लिए आवश्यक पहलकर्ताओं के निर्माण के लिए एक अलग इकाई के रूप में नियोजित किया गया था। इसकी आधारशिला 11 जनवरी, 1940 को मुळा नदी के पश्चिमी तट पर एक ऐसे स्थान पर रखी गई थी, जहां 1817 में बहादुर मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच''खड़की का युद्ध'' लड़ा गया था। एचईएफ में प्रमुख उत्पादन 1942-44 के दौरान शुरू हुआ था। अपनी स्थापना के पश्चात यह हमारे देश की रक्षा तैयारियों में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। एचईएफ उच्च ऊर्जा सामग्री, टीएनटी, तरल प्रोपलेंट का उत्पादन करती है।

हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली

हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी (पूर्व में हैवी एलॉय पेनीट्रेटर प्रोजेक्ट (HAPP), एक प्रमुख उत्पादन इकाई है जो विभिन्न कैलिबर के फिन स्टैबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग एंड डिस्कार्डिंग सैबोट (FSAPDS) एंटी टैंक काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का निर्माण करती है। यह देश में FSAPDS शॉट्स बनाने वाली एकमात्र इकाई है। 1980 के दशक की शुरुआत में DRDO ने FSAPDS गोला-बारूद के लिए इस एकीकृत विनिर्माण सुविधा की स्थापना की। यह गोला बारूद दुश्मन के लिए एक दु:स्वाप्न है और तीव्र गति ऊर्जा से दुश्मनों के युद्ध टैंक को अस्थिर करने की क्षमता रखती है। गति ऊर्जा प्रोजेक्टाइल के अलावा, एचईपीएफ विभिन्न टंगस्टन मिश्र धातु आधारित घटकों के निर्माण में भी लगी हुई है। यह निर्माणी ग्रामीण परिवेश में स्थित है और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 21 कि.मी. और हवाई अड्डे से17 कि.मी. दूर है।

आयुध निर्माणी भंडारा

आयुध निर्माणी भंडारा महाराष्ट्र राज्य के जिला भंडारा में कोलकाता -मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंडारा टाउनशिप के पश्चिम में 18 किलोमीटर और नागपुर शहर से ५५ किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह फैक्टरी विस्फोटक एवं रसायन ग्रुप ऑफ फैक्टरीज में अग्रणी है। इसे सभी प्रोपलेंट निर्माणियों की जननी माना जाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में प्रोपलेंट का उत्पादक है। इसमें एसिड से लेकर उच्च विस्फोटक और उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाले विभिन्न प्रोपलेंट तक के बहु-आयामी उत्पाद मैट्रिक्स है। इसकी सुसज्जित प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर

आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर की स्थापना उड़ीसा राज्य में मेसर्स डे और ज़िमर्मन, यूएसए, मेसर्स जोसेफ मीस्नर, जर्मनी, मेसर्स हाको, स्विटजरलैंड और मेसर्स किनटेक्स, बुल्गारिया से अत्याधुनिक तकनीक के साथ की गई थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 29 अक्टूबर 1984 को इस निर्माणी की आधारशिला रखी थी। मध्यम और भारी कैलिबर गोला बारूद के निर्माण के लिए समर्पित एक विशाल गोला-बारूद की निर्माणी स्थापित करने की दृष्टि से उड़ीसा के केबीके बेल्टन के इस पिछड़े क्षेत्र सुर्खियों में ला दिया है। परियोजना को मंजूरी 1989 में मिली थी। फैक्टरी उड़ीसा के बोलांगीर जिले में 12,200 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें ऐतिहासिक गंधमर्दन रेंज की पहाड़ियों को शामिल किया गया है और महानदी नदी प्रणाली की दो सहायक नदियां लैंथ और तेल से घिरी हुई है। यह निर्माणी यंत्रीकृत बलों, आर्टिलरी और सेना के इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का उत्पादन करती है।

आयुध निर्माणी चांदा

आयुध निर्माणी चांदा परियोजना को वर्ष 1964 में स्वीकृत किया गया था और प्रारंभिक उत्पादन 1970 में शुरू हुआ था। निर्माणी को मध्यम और उच्च कैलिबर गोला बारूद निर्माण इकाई के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें उत्पादन विस्फोटक और गैर-विस्फोटक घटक जैसे कि इनीशियेटर, प्राइमर, कैप, फ्यूज, पेपर घटक और पैकेज के लिए आवश्यक सहायक थे। आयुध निर्माणी चांदा दक्षिण में नागपुर से 135 कि.मी. और उत्तर में चंद्रपुर से 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

आयुध निर्माणी देहूरोड

सेनाओं ने संकेत दिया था कि भविष्य में रात्रि युद्ध की संभावना अधिक होगी और इस तरह, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत आवश्यक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत में रात्रि युद्ध के लिए विभिन्न पायरोटैकनिक गोला बारूद का उत्पादन स्थापित किया जाना था। रक्षा मंत्रालय की उत्पादन और आपूर्ति समिति की बैठक के दौरान इस नए कारखाने की स्थापना की आवश्यकता पर विचार किया गया था और जनवरी 1977 में सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यह निर्माणी विभिन्न प्रकार के पायरोटैकनिक बनाने वाले गोला-बारूद के विनिर्माण में लगी हुई है। इस तरह के गोला-बारूद का उत्पादन करने वाली यह देश की एकमात्र निर्माणी है। चूंकि यहां उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत संवेदनशील हैं और इनमें उच्च ऊर्जा सामग्री है, इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

आयुध निर्माणी इटारसी

रासायनिक आयुध निर्माणियों में 1969-70 में उपलब्ध क्षमताओं के माध्यम से उच्च क्षमता वाले गोला–बारूद के लिए प्रोपलेंट की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, एक नये प्रोपलेंट निर्माणी की आवश्यकता पर विचार किया गया और आयुध निर्माणी इटारसी की स्थापना की गई। आयुध निर्माणी इटारसी डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (यूआईजीएमडीपी) के तहत डबल, ट्रिपल और बॉल पाउडर बेस प्रोपेलेंट का निर्माण करता है। IS/ISO-9001: 2015 , 14001:2015 प्रमाणित फैक्टरी की उत्पादन गतिविधियों में गन एम्युनिशन के प्रोपेलेंट बनाने, छोटे हथियारों के लिए बॉल पाउडर और पिकराइट, मध्यीवर्ती जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन से लेकर एकीकृत गाइडेड मिसाइल अर्थात पिनाका, त्रिशूल, पिकोरा, मिलन, आरजेड–61, आकाश और नाग के लिए प्रोपेलेंट तक शामिल हैं । संरक्षा एवं मानव संसाधन विकास निर्माणी की बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय है । अनुसंधान एवं विकास इसके प्रयास के क्षेत्र हैं।

आयुध निर्माणी खमरिया

आयुध निर्माणी खमरिया की स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी बलों के लिए गोला–बारूद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वी समूह परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात, विभिन्न सेवाओं और अर्धसैनिक बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माणी की उत्पाद श्रृंखला का विविधीकरण किया गया। 1962 में चीनी युद्ध और 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, सेना, वायु सेना और नौसेना की नई मांगों को पूरा करने के लिए निर्माणी का और विस्तार किया गया। वर्तमान में यह देश की सबसे बड़ी गोला–बारूद की निर्माणी है । निर्माणी की वर्तमान उत्पादन गतिविधि तीनों सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोसिव फिलिंग और एम्युनिशन असेंबली का एक संयोजन है।

आयुध निर्माणी नालंदा

आयुध निर्माणी नालंदा, देश में गोला–बारूद निर्माण निर्माणियों में एक नई परियोजना है। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रोपेलेंट के निर्माण में लगी हुई है। लगभग 3000 एकड़ के विशाल क्षेत्र के साथ 155 मिमी आर्टिलरी गन के लिए द्वि–मॉड्यूलर प्रोपेलेंट के प्रणोदक निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की स्थापना के लिए परियोजना को29.11.2001 को मंजूरी दी गई थी।

आयुध निर्माणी वरणगांव

आयुध निर्माणी वरणगांव की स्थापना 1964 में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद मुख्य रूप से 0.303 काट्रिज के स्थान पर 7.62 मि.मी.एम्युनिशन के निर्माण के लिए की गई थी, जो तब तक भारतीय सेना के प्राथमिक एम्युनिशन का काम करता था। निर्माणी में उत्पादन 1965 में अमेरिकी सहायता के तहत प्राप्त संयंत्र और मशीनों के साथ शुरू हुआ। डीआरडीओ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय लघु शस्त्र प्रणाली (INSAS) के विकास के पश्चात, आयुध निर्माणी, वरणगांव ने अपने गोला-बारूद के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित की । वर्तमान में यह निर्माणी सशस्त्र और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला-बारूद के उत्पादन में लगा हुआ है ।

गैर उत्पादन इकाइयां

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया को 1 अप्रैल, 1996 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, खमरिया (RTI, KH) के रूप में स्थापित किया गया था और इसे बाद में समूह ख और ग कर्मचारियों के संबंध में विकासात्मक गतिविधियों को प्रशिक्षण देने के लिए OFILKH, जबलपुर के नाम से परिवर्तित किया गया । इस संस्थान के पास रसायन और विस्फोटक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की विशेषज्ञता है । उपरोक्त के अलावा, इस संस्थान द्वारा नए भर्ती किए गए चार्जमैन (केमिस्ट) के लिए रसायनों, विस्फोटकों, गोला-बारूद के घटकों, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और संबंधित सुरक्षा पहलुओं आदि के निर्माण पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है ।

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका अधिदेश भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) और भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (आईओएफएचएस) के अधिकारियों को इंडक्शन और इन-सर्विस प्रशिक्षण दोनों प्रदान करना है। आईओएफएस के नए प्रवेशकों और सेवारत अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1978 में आयुध निर्माणी स्टाफ कॉलेज (ओएफएससी) के रूप में स्थापित; इसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) के रूप में नामकरण किया गया। 'विद्या अमृतम' (ज्ञान शाश्वत) के आदर्श वाक्य के साथ, अकादमी 'सीखने के माध्यम से उत्कृष्टता' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है । संगठन की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने और अपने अधिकारियों को पर्याप्त तकनीकी-प्रबंधकीय कौशल से लैस करने के लिए अकादमी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड–संरक्षा नियंत्रणालय

विस्फोटक उत्पादन में संरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार, संबंधित मामलों की निगरानी के लिए दि.02/03/2001 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड– संरक्षा नियंत्रणालय की स्थापना की गई थी।

- विस्फोटक सुरक्षा
- विद्युत सुरक्षा
- औद्योगिक सुरक्षा
- पर्यावरण संबंधी सुरक्षा

5.2 प्रमुख उत्पाद :

i. स्मॉल कैलिबर एम्युनिशन
ii. मीडियम कैलिबर एम्युनिशन
iii. लार्ज कैलिबर एम्युनिशन
iv. ग्रेनेड
v. एरियल बॉम्ब
vi. मोर्टार बॉम्ब
vii. नेवल एम्युनिशन
viii. रॉकेट पिनाका
ix. टैंक एम्युनिशन
x. विस्फोटक एवं प्रोपेलेंट
xi. स्मोक एवं पायरोटेकनिक

5.3 मान्यता और प्रमाणन:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सभी बारह इकाइयों के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र हैं:

प्रमाणन	संस्करण	इकाइयां
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	ISO 9001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)	ISO 14001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस)	ISO 145001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
परीक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्या बोर्ड (एनएबीएल)	ISO/IEC/17025	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
एरोस्पेस क्यूएमएस	AS9100D	एएफके पुणे ओएफडीआर, ओएफआई,ओएफबीए

06. स्वदेशीकरण:

एमआईएल उत्पादों की वर्तमान रेंज की स्वदेशीकरण सामग्री लगभग 95% तक बहुत अधिक है। इसके अलावा अपनी स्थापना के बाद से ही एमआईएल द्वारा स्वदेशीकरण के प्रयास किए गए हैं। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) के अंतर्गत कुल 51 वस्तुओं की पहचान की गई है और अबतक 03 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	पीआईएल सूची सं.	आइटम की संख्या
1	PIL - I	08
2	PIL - II	04
3	PIL - III	30
4	PIL - IV	09

इसके अलावा, गैर–पीआईएल श्रेणी के अंतर्गत सृजन पोर्टल परकुल 137 आइटम प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से 37 वस्तुओं का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया है।

07. निर्यात:

7.1 म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की निर्यात रणनीति

क) एमआईएल ने निम्नलिखित कार्रवाइयों के साथ एक उत्साही निर्यात संवर्धन रणनीति बनाने की योजना बनाई है।

i) चिन्हित लक्षित देशों में उत्साही विपणन द्वारा भूगोल का विस्तार।

ii) विभिन्न देशों की हथियार सूची का विश्लेषण करके उत्पाद–देश मैट्रिक्स तैयार करना

iii) निर्यात योग्य उत्पाद आधार का विस्तार

iv) ऑफसेट अवसरों की निरंतर निगरानी करना

v) गोला–बारूद के घटकों, विस्फोटकों और गोला–बारूद की उप–असेंबली की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की संभावनाएं तलाशना।

vi) संभावित ग्राहकों के लिए एमआईएल उत्पादों और उत्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यूरो सैटरी – 2022, डिफेंस एक्सपो–2022, एरोइंडिया–2023, नेवडेक्स–2023, डीएसईआई–2023 आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता।

vii) एक्सपोर्ट लीड्स में भाग लेने के लिए डीए से नियमित संपर्क करना।

viii) ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार गोला–बारूद का संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए नए उत्पादों का विकास करना।

ख) उपलब्धियां :

i) अक्टूबर,2021 में अपने गठन के पश्चात एमआईएल को3,800 करोड़ के निर्यात ऑर्डर मिले हैं।

ii) 1,000 करोड़ के निर्यात ऑर्डर बातचीत के अग्रिम चरण पर हैं और शीघ्र ही अमल में आने की संभावना है।

iii) एमआईएल को 2022-23 में निम्नलिखित नए देशों से निर्यात ऑर्डर मिले : मोरक्को, युगांडा, नाइजीरिया, यूके, अर्मेनिया, चेक गणराज्य।

iv) एमआईएल को 2022-23 में निम्नलिखित नए उत्पादों के लिए निर्यात ऑर्डर मिले: 7.62 X 39 मिमी, 7.62X 54 मिमी, उन्नत पिनाका, पिनाका गाइडड, एमआईएल–17 ग्रेनेड, एमआईएल–25 ग्रेनेड, बीएमसीएस एम 92 चार्ज, चार्ज 8, पीडीएम557 फ़्यूज़, ईआरएफबीबी शैल।

7.2 निर्यात के लिए प्रस्तावित उत्पाद

क. स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन (5.56 मिमी,7.62 मिमी,9 मिमी,12.7 मिमी,14.5 मिमी)
ख. ग्रेनेड (30 मिमी एमआईएल–17, 40 मिमी एमआईएल–25, 40 X46 मिमी)
ग. मोर्टार (81 मिमी एवं 120 मिमी)
घ. टैंक एम्युनिशन :125 मिमी एचई
ड. आर्टिलरी एम्युनिशन :155 मिमी,130 मिमी,105 मिमी
च. प्रोपेलेन्ट और विस्फोटक (आरडीएक्स, टीएनटी, बॉलपाउडर, नाइट्रोगुआनिडाइन)

7.3 विदेश में खोले गए कार्यालयों की संख्या:
डीडीपी/एमओडी के निर्देशानुसार, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब में कार्यालय खोलने की योजना है।

7.4 चालू वित्त वर्ष और अगले दो वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की संभावना :

वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
निर्यात मूल्य	1,500 CR	2,000 CR	2,500 CR

08. मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति:

आईपीआर पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू), रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रचनात्मक/नवोन्मेषी अधिकारियों को आईपीआर व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (MoD, DDP) ने अप्रैल 2018 के महीने में IP संस्कृति को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की है।

रक्षा क्षेत्र में यथार्थवादी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, कंपनी इन–हाउस आरएंडडी प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक पेटेंट उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है एवं सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा इसका समय पर व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है।

एमआईएल ने सभी इकाइयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। प्रशिक्षण के दौरान विकसित ज्ञान आधार ने कर्मचारियों के बीच संगठन के भीतर नवीन विचारों आईपी को ग्रहण करने के लिए जागरूकता उत्पन्न की है।

एमआईएल ने विक्रेताओं को उनके परिसर में वर्चअुल/प्रत्यक्ष मोड के माध्यम से आईपीआर से संबंधित गतिविधियों पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित कर वेंडर्स को भी सुविधा प्रदान की है।

9. मानव संसाधन विकास :

9.1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण:

भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया गया।

9.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

कंपनी ने 'गोला बारूद प्रौद्योगिकी में वेब-सक्षम एम.टेक' आयोजित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के 10 (दस) कर्मियों को पहले बैच के लिए नामांकित और प्रायोजित किया गया जो अगस्त2022 में शुरू हुआ और अगस्त2023 में पूरा हुआ।

कंपनी के प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) ने प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने/आगे बढ़ाने के इच्छुक अधिकारी सहित छात्रों के लिए रक्षा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 2 साल का पूर्ण आवासीय कार्यक्रम 'पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (बिजनेस मैनेजमेंट)' आयोजित करने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी प्राप्त हुई है।

प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास में कंपनी का योगदान

i) अपने कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न ट्रेडों में व्यापार प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए कंपनी की विभिन्न निर्माणियों /इकाइयों में इन-हाउस मानव संसाधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ii) आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया (OFILKH) डिजिटल लर्निंग कोर्स शुरू करने के लिए एनआईईएल आईटी से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

iii) अनुरक्षण, संरक्षा, आईपीआर, अग्निशमन, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

iv) आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस (कंपनी के कर्मचारियों के अलावा) को केमिकल (एओसीपी), मैकेनिकल (मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर आदि), इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रीशियन), सिविल (प्लंबर, मेसन आदि) के ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मानव संसाधन को प्रेरित करने और उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए नई पुरस्कार और इनाम प्रणाली शुरू की गई है।

9.1.1 औद्योगिक संबंध:

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सौहार्द्रपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

औद्योगिक संबंध /औद्योगिक सद्भाव के लिए निगमित कार्यालय स्तर पर परामर्शी तंत्र का गठन किया गया है। इस मंच के माध्यम से कम्पनी के विकास एवं वृद्धि में योगदान हेतु कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

10. रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:
वित्तीय वर्ष2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

11. राजभाषा कार्यान्वयन:
इस अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा अधिनियम, उसके नियम और राजभाषा विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश लागू किए गए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और कंपनी में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गई।

12. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, आदि के संरक्षण पर रिपोर्ट

12.1 ऊर्जा संरक्षण–

12.1.1 उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव:

देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए हरित विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दृष्टिकोण से, अन्य बातों के साथ–साथ संसाधन दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीयता, कम उत्सर्जन वाले उत्पादों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, सुपर–कुशल उपकरणों को अपनाने और हरित हाइड्रोजन, पर्यावरण की दृष्टि से अपशिष्ट प्रबंधन जैसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना और हरित अर्थव्यवस्था परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को मजबूत करना होगा।

भारत के हरित रोडमैप के अनुरूप, रक्षा उत्पादन विभाग का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता को अपनाना, ऊर्जा लागत को कम करना और रक्षा उत्पादन में टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करना है। तदनुसार, एक व्यापक ऊर्जा दक्षता कार्य योजना जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, उपकरणों और प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता में सुधार, घाटे और अपव्यय में कटौती और ऊर्जा की तीव्रता को कम करने, हरित भवनों की ओर बढ़ना, ई–गतिशीलता में परिवर्तन को बढ़ावा देने और निर्माण से संबंधित व्यापक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। हरित विकास पहल के लिए एक संस्थागत तंत्र और सक्षम वातावरण तैयार किया गया है।

12.1.3 इस दृष्टिकोण के आलोक में, सभी रक्षा उत्पादन इकाइयों से समय सीमा के साथ एक विस्तृत इकाई–वार ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। इस रणनीति के अनुरूप, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए व्यापक सिद्धांतों को शामिल करते हुए व्यापक ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आगे का रास्ता तैयार करना है। रक्षा उत्पादन इकाइयों में ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाली अपार संभावनाएं हैं। इस कार्य योजना के छह फोकस क्षेत्र हैं :

i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करें।
ii) उपकरणों और प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता में सुधार;
iii) घाटे और बर्बादी में कटौती करें और विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करें;

iv) हरित भवनों की ओर बढ़ें।
v) विद्युत गतिशीलता में परिवर्तन को बढ़ावा देना, और
vi) क्षमता निर्माण के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र और सक्षम वातावरण का निर्माण, और सभी रक्षा उत्पादन इकाइयों में ऊर्जा दक्षता पहलों को मापना, मूल्यांकन करना, निगरानी करना, रिपोर्टिंग करना और पुरस्कृत करना।

भारत सरकार/डीडीपी दिशा निर्देशों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i) बिजली बचाने के लिए पारंपरिक सीलिंग पंखों को ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखों से बदलना।
ii) बिजली बचाने के लिए पारंपरिक लाइटों के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें लगाना।
iii) स्ट्रीट सोडियम वेपर लैंप को एलईडी लैंप से बदलना और स्ट्रीट लाइट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर नियंत्रण स्विच की स्थापना करना ताकि सूर्योदय पर लाइट को स्वचालित रूप से बंद किया जा सके।
iv) कार्यालयों, गलियारों, शौचालयों आदि में अधिभोग सेंसर की स्थापना।
v) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
vi) पावर फैक्टर में सुधार के लिए कारखानों और इस्टेट के अंदर सभी सब स्टेशनों और उत्पादन दुकानों पर एपीएफसी पैनलों की स्थापना।
vii) तेल प्रकार के ट्रांसफार्मर को ऊर्जा कुशल शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर से बदलना।
viii) चिलर प्लांट में रिसीप्रोकेटिंग कंप्रेसर को ऊर्जा कुशल स्क्रू कंप्रेसर से बदलना।
ix) कूलिंग टॉवर फैन ब्लेड्स को एफआरपी ब्लेड्स से बदलना।
x) पुराने कम कुशलH2 पीढ़ी संयंत्र को नए उच्च कुशलH2 पीढ़ी संयंत्र से बदलना।
xi) उच्च एचपी मोटरों के लिए स्टार-डेल्टा स्टार्टर्स को वीएफडी/सॉफ्ट स्टार्टर्स से बदलना।
xii) विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने के लिए खरीद के तहत सभी संयंत्रों और मशीनरी के लिए और भविष्य की खरीद के लिए ऊर्जा कुशलIE3 मोटर्स को तकनीकी विशिष्टताओं में शामिल किया गया है।
xiii) पुराने बॉयलरों के स्थान पर ऊर्जा कुशल बॉयलरों की स्थापना।
xiv) फर्नेस तेल की खपत को बचाने के लिए बॉयलर घरों में सौर जलतापन प्रणाली की स्थापना।
xv) बॉयलर में बॉयलर फ़ीड पानी को प्री-हीटिंग करने के लिए ग्रिपगैस का उपयोग करने के लिए इकोनॉमाइज़र की स्थापना।

12.1.4 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, मुख्यतःऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

कंपनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास और उपयोग के लिए कई कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करने और ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए विभिन्न इकाइयों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की खरीद और स्थापना की गई है।

कंपनी की सभी इकाइयों ने लोड संतुलन सहित ऊर्जा कुशल उपकरणों और फिटिंग का उपयोग किया है और बिजली व्यय को कम करने के लिए सौर ऊर्जा जैसी गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग का सहारा लिया है। कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और प्रत्येक इकाई की संपत्ति में ऊर्जा कुशल लाइट फिटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बचत हुई है।

विभिन्न इकाइयों में रूफ-टॉप और ग्राउंड सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। अधिकांश इकाइयों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, यह 28 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है जो कंपनी की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग40% है। अन्य10 मेगावाट बिजली की स्थापना का काम चल रहा है

और वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2026-27 तक, एमआईएल इकाइयां सौर/नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% से अधिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगी।

12.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण :

12.2.1 उत्पादन के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समावेश :

पिनाका रॉकेट के दो संस्करण अर्थात DPICM और उन्नत रेंज MK-I, जिसके लिए DRDO से TOT लिया गया था, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साथ ही, गाइडेड पिनाका रॉकेट का विकास उन्नत चरण में है। 12.5 मिमी एफएसएपीडीएस अभ्यास गोला बारूद का उत्पादन जिसके लिए डीआरडीओ से टीओटी लिया गया था, सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। बीएमसीएस का उत्पादन डीआरडीओ (एचईएमआरएल) के सहयोग से स्वदेशी रूप से स्थापित किया गया है।

आयुध निर्माणी भंडारा के इन-हाउस प्रयासों के माध्यम से नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-II (एनसी-II) और नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-III (एनसी-III) का ऑटोमेशन सफलापूर्वक कर लिया गया है ।

12.2.2 उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए :

प्रौद्योगिकी अवशोषण के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्पाद की लागत भी काफी कम हो गई है। आयुध निर्माणी, चांदा में पिनाका परियोजना से प्राप्त लाभ हैं:-

i. विस्फोटक के घनत्व में सुधार ।
ii. सुधार के लिए रिटर्न में कमी (आरएफआर)
iii. उत्पादन के घंटों में कमी
iv. उत्पादकता में वृद्धि।

आयुध निर्माणी नालंदा ने गतिशील परीक्षणों के दौरान उप-शून्य तापमान (-30 डिग्री सेल्सियस) में बीएमसीएस एम 92 की विस्तारित परिचालन सीमा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह अत्यधिक ठंडे पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्वदेशी बीएमसीएस की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा और बीएमसीएस (एक्स-ओएफएन) को अन्य विदेशी प्रतिस्पर्धियों के अंतरराष्ट्रीय मानक के बराबर साबित करेगा।

आयुध निर्माणी, भंडारा में, नाइट्रोसेल्युलोज संयंत्र के स्वचालन के बाद निम्नलिखित लाभ अर्जित किए गए हैं :

(क) ऑपरेशन के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी ।
(ख) नाइट्रेशन के बाद बिजली गुल होने की स्थिति में घोल के जमा होने के कारण सर्कुलेशन लाइन वाल्व में कोई चोकिंग नहीं।
(ग) एनसी और एसिड की बर्बादी नहीं ।.
(घ) खतरनाक कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के जोखिम में कमी ।

12.2.3 उत्पादन के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का अवशोषण:

I. एचईपीएफ में 3VBM17 राउंड (AMK 339– मैंगो गोला बारूद का उत्पादन रूस से टीओटी के तहत रूसी उपकरण और सामग्रियों का उपयोग करके एचईपीएफ एएमके 339–मैंगो गोला बारूद) में 3 वीबीएम 17 राउंड का स्वदेशी निर्माण वित्तीय वर्ष2022-23 के अंत तक स्थापित होने की उम्मीद है।

II. आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना शुरू किया जा रहा है।

III. आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट की स्थापना आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS मैंगो प्रोजेक्ट के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट की स्थापना चालू किया जा रहा है ।

iv. नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना
वर्ष 2022 में आयुध निर्माणी भंडारा में नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की आपूर्ति के लिए मैसर्स बोवास, ऑस्ट्रिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। संयंत्र के वर्ष2024 तक शुरू होने की उम्मीद है।

v. आयुध निर्माणी, नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और एनसी–एनजी मिक्सिंग प्लांट की स्थापना
वर्ष 2021 में आयुध निर्माणी नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और NC-NG मिक्सिंग प्लांट की आपूर्ति के लिए मैसर्स एलबिट, इज़राइल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। संयंत्रों के2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

12.2.4 अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय
वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही (अर्थात 01/10/2021 से 31/03/2022 तक) के दौरान कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय:INR 1150 लाख ।
कंपनी ने लागत में कमी और व्यय के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

i. ठेका मजदूर और सेवाएं:
ठेका श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किए गए खर्च को कम करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं । कंपनी की सभी इकाइयों ने ठेका मजदूरों की आवश्यकता का विस्तार से अध्ययन किया है और उसे10% से अधिक कम किया है ।

ii. मौजूदा अपरिहार्य अस्वीकृति (यूएआर) में कमी :
सभी प्रमुख स्टोर्स के यूएआर में कमी के लिए कंपनी की प्रत्येक उत्पादन इकाइयों द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख स्टोर्स के यूएआर को 10% से नीचे लाया गया है। सभी उत्पादन इकाइयों ने अस्वीकृति को कम करने के लिए प्रक्रिया में सुधार किया है और मशीन रखरखाव गतिविधियों की आवृत्ति को अनुकूलित किया है, जिससे अंततः यूएआर में कमी आएगी ।

iii. पानी की खपत में कमी :
कंपनी ने इस्टेट और निर्माणियों में पानी की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे वर्षा जल संचयन, डी–सिल्टिंग और जल निकायों की बहाली, बोर के पानी की स्थापना एव पुर्नचक्रित जल का पुन: उपयोग आदि ।

iv. ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग:

कंपनी की सभी इकाइयों ने लोड संतुलन सहित ऊर्जा कुशल उपकरणों और फिटिंग का उपयोग किया है और बिजली खर्च को कम करने के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का सहारा लिया है। प्रत्येक यूनिट के कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और इस्टेट में ऊर्जा कुशल प्रकाश फिटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बचत हुई है ।

अधिकांश इकाइयों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, यह28 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है जो कंपनी की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग40% है ।

IV. खर्च कम करने के लिए जहां भी संभव हो प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाए :

मीटिंग, वेंडर मीट, कस्टमर मीट आदि आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । सभी खरीद मामलों को अधिकारियों / कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके संसाधित किया जा रहा है। इसके अलावा, इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच संचार के लिए ईमेल सेवाओं का उपयोग किया गया है जो त्वरित संचार प्रदान करता है और कागज और छपाई की लागत को भी कम करता है ।

13. सतर्कता मामले:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है। सतर्कता अधिकारी और सहायक कर्मचारी/अधिकारियों को कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात किया जाता है। यूनिट स्तर की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए सतर्कता अधिकारी विभिन्न एमआईएल इकाइयों के सतर्कता विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं।

सतर्कता एक अभिन्न प्रबंधकीय कार्य है। सतर्कता विभाग द्वारा की जाने वाली प्रमुख सतर्कता गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

सतर्कता गतिविधियाँ:

सतर्कता विभाग म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) में निवारक, सहभागी और दंडात्मक सतर्कता बरतने के लिए उचित कार्रवाई करता है। यह सभी वाणिज्यिक खरीद कार्यों, भर्ती, आउट सोर्सिंग गतिविधियों आदि सहित विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता, निष्पक्षता, जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

सतर्कता विभाग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए शिकायतों की जांच/स्पॉट जांच/सीटीई प्रकार की परीक्षा के आधार पर उचित उपाय/प्रणालीगत सुधार सुझाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि संगठन के सभी कार्यों में सत्यनिष्ठा बनी रहे।

i) सीटीई प्रकार की परीक्षा:

निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, निर्धारित प्रक्रियाओं और वैधानिक मानदंडों/विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए खरीद/सेवा अनुबंध/परामर्शी अनुबंध/उप अनुबंध/आउट सोर्सिंग आदेशों की सीटीई प्रकार की गहन जांच की जाती है।

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न एमआईएल इकाइयों में ०२ ऐसी सीटीई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई और प्रणाली गत सुधार का सुझाव दिया गया।

ii) शिकायत :

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग को 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 01 जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) शिकायतें शामिल हैं। इन 23 शिकायतों में से 22 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है और उनका उचित निपटान किया जा चुका है और शेष01 शिकायत की जांच जारी है।

iii) स्पॉट जांच / औचक जांच:

सतर्कता विभाग द्वारा औचक/स्पॉट जांच भी की जा रही है। 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान, विभिन्न एमआईएल इकाइयों में औचक/स्पॉट जांच की गई और प्रणालीगत सुधार के लिए सुझाव/सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की गई।

iv). लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच:

शाखा लेखा परीक्षकों और केंद्रीय लेखा परीक्षकों की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच की गई है।

v). अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की जांच:

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा IOFS अधिकारियों के APR की जांच की गई।

vi). निवारक सतर्कता:

निवारक सतर्कता के लिए एक पहल के रूप में प्रबंधन को खरीद के क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया था और इसे प्रबंधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और परिपत्रों के माध्यम से प्रख्यापित किया गया। एमआईएल की सभी इकाइयों में संवेदनशील पोस्ट की पहचान और जॉब रोटेशन के लिए नई नीति बनाई गई। तदनुसार, एमआईएल समूह की निर्माणियों/इकाइयों में संवेदनशील पद/क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की रोटेशनल में स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है। यूनिट स्तर के सतर्कता अधिकारियों के नामांकन के लिए भी नए दिशा निर्देश तैयार किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में आयोग के उपकरणों में से एक है। की गई गति विधियाँ : सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के अग्रदूत के रूप में 16 अगस्त –15 नवंबर 2022 तक की अवधि में निवारक सतर्कता सह आंतरिक हाउस कीपिंग गतिविधियों पर अभियान

1. संपत्ति प्रबंधन : अभियान के दौरान 42734.85 एकड़ भूमि के स्वामित्व दस्तावेज और पट्टा समझौतों का सत्यापन किया गया है।
2. संपत्तियों का प्रबंधन : एमआईएल ने एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी करके 1429 लाख रुपये मूल्य के अपशिष्ट और स्क्रैप आइटम और170 लाख रुपये मूल्य के प्लांट और मशीनरी आइटम का निपटान किया।
3. रिकॉर्ड प्रबंधन : इसने पुष्टि की है कि एमआईएल की सभी इकाइयों के पास रिकॉर्ड प्रतिधारण/संरक्षण नीति है।

अभियान अवधि के दौरान कुल मिलाकर (एमआईएल की कुल 14 इकाइयाँ) पुराने रिकार्डों को हटाने का कार्य इस प्रकार है:

फाइलों की संख्या	:	3048
ई– फाइलों की संख्या	:	758

रिकार्डों की संख्या	:	30144
रजिस्टरों की संख्या	:	115
दस्तावेजों के बंडल	:	312

4. तकनीकी पहल: इस अभियान अवधि के दौरान वेबसाइट अपडेशन, ऑनलाइन सेवाएं, ईप्लेट फॉर्म की सुरक्षा, दिशा निर्देशों/परिपत्रों का अपडेशन, शिकायतों जैसे गतिविधियों का निपटान किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियाँ :

'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक पूरे संगठन में विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर फैली एमआईएल की सभी इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू 2022) आयोजित किया गया।

सभी इकाई प्रमुखों ने कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए यूनिट स्तर के प्रमुखों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा भाषण/चर्चा का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह2022 के पालन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई।

क) सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए एमआईएल कर्मचारियों के बीच हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में सतर्कता संबंधी विषयों पर नारे, पोस्टर और निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को उचित पुरस्कार भी प्रदान किये गये।

ख) सभी इकाइयों द्वारा पैम्प्लेट, बैनर प्रदर्शित/वितरित किये गये।

ग) एमआईएल की एक इकाई कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।

घ) एमआईएल की एक इकाई राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

श्री.डी.डी.श्रीवास्तव, महाप्रबंधक महोदय द्वारा वृक्षारोपण

ड.) एमआईएल द्वारा 16 एमआईएल के विद्यालयों में संगठन के बाहर भी वाद–विवाद, निबंध लेखन, ई–प्रतिज्ञा के माध्यम से सतर्कता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई जैसे आ.नि. बड़माल, आ.नि. इटारसी, एचईपीएफ तिरुचिरापल्ली, आ.नि. खमरिया, और आ.नि. बड़माल एवं आ.नि. इटारसी इकाइयों द्वारा 03 कॉलेज में सतर्कता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई ।

च) एमआईएल की इकाइयों में से एक आयुध निर्माणी इटारसी द्वारा सतर्कता जागरूकता के लिए ग्रामसभा का आयोजन किया गया।

छ) श्री महेश चंद्र, आईआरएसएस और सीवीओ/एमडीएल और एमआईएल द्वारा एमआईएल के समूह 'क' अधिकारियों के लिए दि.07.11.2022 को एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

ज) दि. 30.12.2022 को एमआईएल के समूह 'क'अधिकारियों के लिए श्री कंवलप्रीत, निदेशक खरीद नीति प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा एक व्याख्यान आयोजित किया गया।

झ) इकाई स्तर की मानव संसाधन एवं सतर्कता टीम द्वारा निवारक सतर्कता उपायों के विषय पर एमआईएल कर्मचारियों के लिए इन–हाउस संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

त्र) विभिन्न एमआईएल इकाइयों द्वारा विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई।

ट) सतर्कता संबंधी प्रकाशन: एमआईएल इकाइयों द्वारा सतर्कता बुलेटिन/पत्रिकाएँ प्रकाशित की गई ।

सत्यनिष्ठा समझौता:

एमआईएल ने इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाया है और उस पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान किया है और तदनुसार खरीद नियमावली में एक खंड प्रस्तुत किया गया है। प्री–कॉन्ट्रैक्ट आईपी एक विशिष्ट अनुबंध के लिए कंपनी और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें पार्टियां वादा करती हैं कि वे अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा नहीं लेंगे। आईपी ने विश्वास पैदा करके स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत किया है और इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का पूरा समर्थन प्राप्त है।

14. निदेशक मंडल और बोर्ड बैठकें :

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अत: कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति और उन के पारिश्रमिक पर कोई नीति नहीं है, जिसमें धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों के निर्धारण के मानदंड शामिल हैं। आज की तारीख में, म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में श्री रविकांत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री देबाशीष बनर्जी निदेशक/मानव संसाधन, श्री सुशांत कुमार राउत निदेशक/ऑपरेशन, श्री प्रकाश अग्रवाल निदेशक/वित्त और श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, संयुक्तश सचिव/एलएस सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में, श्री सुशांत कुमार राउत निदेशक/ऑपरेशन के रूप में दि.30.06.2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान छह बोर्ड बैठकें 17.05.2022, 08.08.2022, 03.11.2022, 22.12.2022, 27.12.2022 और23.02.2023 को आयोजित की गई।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक :

नाम	पदनाम	2022-23 (रुपये में)	2021-22 (रुपये में) 01/01/2021 से 31/03/2022 तक
श्री रवि कांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	46,13,712	21,37,914
श्री देवाशीष बैनर्जी	निदेशक / मानव संसाधन	46,49,872	21,07,299
श्री सुशांत कुमार राउत	निदेशक / ऑपरेशन	46,29,904	21,07,299
श्री विवेक चंद्र वर्मा	निदेशक /वित्त (20/05/2022 तक)	6,42,712	19,04,724
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /वित्त एवं सीएफओ (14/06/2022 से)	40,32,414	शून्य
श्री ई.जे.पॉल	कंपनी सचिव (11/07/2022 से)	7,36,667	शून्य

15. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मैसर्स पी.जी. भागवत एलएलपी, सूट 102, ऑर्चर्ड, डॉ. पाई मार्ग बानेर, पुणे –411045 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में एवं अन्य12 फर्मों को शाखा परीक्षक के रूप में नियुक्तत किया है ।

लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कंपनी के खातों का ऑडिट किया है। आवश्यक अनुबंध और रिपोर्ट के साथ ऑडिट किए गए खाते इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005:

आरटीआई आवेदनों प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी में आरटीआई मशीनरी मौजूद है । म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दिशा में कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है ।

1. अपीलीय प्राधिकारी
   श्री अविनाश तरहावदकर

2. मुख्य लोक सूचना अधिकारी
   शहीर फारुकी

17. सतर्कता तंत्र:
बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को अमल में लाने के लिए कंपनी व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है, किसी भी धोखाधड़ी का पता लगने या संदेह होने की सूचना देना और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष व्यवहार करना है।

18. लेखा–परीक्षा समितिAUDITCOMMITTEE :
लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया जा रहा है।31 मार्च,2023 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	पदनाम	लेखा परिक्षक समिती में पद
अभी नियुक्ति होनी बाकी है	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
अभी नियुक्ति होनी बाकी है	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/ वित्त	सदस्य

वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण कोई ऑडिट समिति की बैठक नहीं हुई है।

19. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:
प्रपत्र सं. एमआर–3, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है।

20. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ :
अपनी रिपोर्ट में वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई राय के अस्वीकरण पर निदेशक मंडलद्वारा स्पष्टीकरण :
वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर प्रतिकूल राय प्रदान की है। निम्नलिखित तालिका वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रदान की गई प्रतिकूल राय के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करती है। लेखा परीक्षकों की विस्तृत टिप्पणियों के लिए वित्तीय विवरणों से जुड़ी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट देखें।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से उद्धरण हम अनुबंध 'क' में वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण और व्यापक हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हैं जहां हम और अन्य लेखा परीक्षक/शाखा लेखा परीक्षक पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उक्त अनुबंध 'क'में वर्णित मामलों के प्रभाव जिन्हें उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, मात्राबद्ध हैं और उसमें दिए गए हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय प्रतिकूल है :	प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति, 31 मार्च, 2023 लिए इसके प्रदर्शन और उक्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य दर्शाते हैं। प्रबंधन की राय है कि लेखा परीक्षकों को इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए थी कि 200 साल पुरानी विरासत लेखाप्रणाली सेटैली प्रणाली में स्थानांतरण चालू वित्तीय वर्ष मे सफलता पूर्वक हुआ है। कंपनीने लेखांकन प्रणाली लाने के लिए सभी प्रयास किए हैं जो INDAS के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक डाटा कोरिकॉर्ड करने और बनाए रखने में सक्षम है। लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रतिकूल राय का आधार बननेवाले प्रत्येक आइटम के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे सूची बद्ध है।
	नियमों द्वारा आवश्यक खातों की पुस्तकों के रखरखाव का अपालन	कंपनी के खातों की किताबें टैली सॉफ्टवेयर में रखी जाती हैं, जो सिस्टम में लेखांकन प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करता है। फॉक्स प्रो आधारित सिस्टम, पीपीसी सिस्टम आदि सहित कई अन्यपूरक प्रणालियाँ हैं, जो मुख्य प्रणाली का पूरक हैं। प्रत्येक लेखांकन प्रविष्टिको उचित रूप से अनुमोदित प्रासंगिक वाउचर, बिल, सहायक दस्तावेज़ आदि द्वारा समर्थित किया जाता है। ये सामूहिक रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रखी जानेवाली आवश्यक खातों की किताबें बनाते हैं। प्रबंधन के विचार में, कंपनीने कानून के तहत रखी जानेवाली उचित खातों की किताबें बनाए रखी हैं। अत: एकीकृत प्रणाली की अनुपस्थिति टैली सॉफ्टवेयर में दर्ज लेखांकन प्रविष्टियों की अखंडता को प्रभावित नहीं करती है। प्रबंधन का यह भी मानना है कि ऑडिट के लिए सभी आवश्यक डेटा कंपनी के पास उपलब्ध है। लेखा परीक्षकों को एकही सॉफ्टवेयर से डेटा एकत्र करने के लिए कहने के बजाय यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न खातों से डेटा सही ढंग से प्राप्त किया गया है या नहीं। प्रबंधन की राय है कि लेखा परीक्षकों को सभी मदों के सही लेखांकन की पुष्टि के लिए कंपनी की लेखाप्रणाली को समझने का प्रयास करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने, बाहरी विशेषज्ञों की मदद से, पहले की लेखा प्रणाली से टैली में स्थानांतरित किए गए डेटा की अखंडता और सटीकता का आकलन करने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया। प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों के अनुसार राशियों और टैली मेंदर्ज 1 अप्रैल, 2022 तक के शुरुआती शेष के बीच कोई अंतर नहीं पाया।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	लेखांकन का उपार्जन आधार	ओएफबीएल के लिए बताए गए संचय के उदाहरण के संबंध में, ऑडिटर द्वारा उद्धृत राशि 29.91 करोड़ गलत है और 2022-23 के दौरान ओएफबीएल का वास्तविक व्यय 1,38,81,102/- है, जिसका प्रावधान वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया था । तदनुसार टैली प्रणाली में लेखांकन प्रविष्टियाँ सही ढंग से की गई हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में ओएफबीएल में राशि 1,35,40,388/- हेतु पीएलबी का प्रावधान किया गया है। कंपनी लागू लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोद्भवन आधार पर खातों की किताबें बनाए रखती है। प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्ष के अंत में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाते लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं कि वर्ष के अंत में उचित संचय दर्ज किए जाएं। इसलिए, प्रबंधन वैधानिक लेखा परीक्षक की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है कि, कंपनी की लेखा प्रणाली में लेखांकन के संचय आधार के संबंध में पूर्णता की अंत निहित सीमा है। प्रबंधन ने आकलन किया है कि ऐसे संचयन की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रियाएं और नियंत्रण मौजूद हैं ।
	1 अक्टूबर, 2021 तक शेष राशि का पुर्नकथन । खाता खोलने से विस्तृत विवरण के बिना विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को संतुलित किया जाता है।	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड ('ओएफबी') से अर्जित संपत्ति और देनदारियों के संतुलन में त्रुटियों की पहचान की। ओएफबी से स्थानांतरण के समय, इन परिसंपत्तियों और देनदारियों की शेष राशि, जो अधिग्रहित की गई थी, अन ऑडिटेड थी। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया क्योंकि कुछ शेषराशि कंपनी के पास मौजूद पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित नहीं थी। परिणाम स्वरुप, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनीने आयुध निर्माणी बोर्ड से ली गई संपत्तियों और देन दारियों के शेष के लिए सहायक साक्ष्य की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे इन शेष राशि का पुनर्कथन हुआ। कंपनीने इन शेषों की जांच करने और 31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट को मान्य करने के लिए आंतरिक समितियों का गठन किया था। आंतरिक समितियों के निष्कर्षों के आधार पर, कंपनीने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक संख्याओं को फिर से बताया है ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	अंतर–इकाई लेन देन और शेष राशि का समाधान	वर्तमान लेखांकन प्रणाली को संबंधित इकाइयों द्वारा अंतर–इकाई लेन देन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। हालाँकि, असंगत अंतर–इकाई शेष के जोखिम को कम करने के लिए, प्रबंधन ने एक विस्तृत अभ्यास किया और वर्ष के अंत में असमाधान वाली वस्तुओं की पहचान की और खातों की पुस्तकों में उचित समायोजन दर्ज किए गए । प्रबंधन इस प्रक्रिया को और मजबूत करेगा और अंतर–इकाई लेन देन और शेष समाधान के संबंध में नियंत्रण लागू करेगा, यह सुनिश्चित करके कि सिस्टम में इकाई स्तर पर ऐसे लेन देन का उचित विवरण बनाए रखा जाता है और समय पर समाधान किया जाता है और अनुमोदित किया जाता है ।
	देय खरीद और व्यापार के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया	लेखा परीक्षकों द्वारा उजागर किए गए मुद्दे सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट की उपलब्धता से संबंधित हैं, जिसमें बकाया व्यापार देय और व्यापार प्राप्य की विस्तृत चालान–वार और पार्टी–वार सूची पर प्रकाश डाला गया है, सामान्य खाता बही के साथ–साथ रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार इन शेष राशि की पुष्टि और समाधान पर सहमति व्यक्त की गई है । इसके अलावा, जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है उनमें खरीदारी को रिकॉर्ड करने का समय और खरीदारी को रिकॉर्ड करने की सटीकता भी शामिल है । आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के एक भाग के रुप में प्राप्त देय की सूची पिछली प्रणाली की सीमाओं के कारण प्रणाली में उपलबध नहीं है । कंपनी ऐसी शेष राशि का उचित विवरण प्राप्त करने एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से आवश्याकता नुसार उचित कार्रवाई करने के लिए एक समिति का गठन करेगी । प्रबंधन ने उचित दरों पर खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया है और प्रक्रियाओं में किसी भी अंतराल की पहचान नहीं की है। कंपनी अधिकांश वस्तुओं को निश्चित मूल्य अनुबंध पर खरीदती है और इसलिए कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, अनुबंध मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर उत्पन्न नहीं होता है, जिसे नीचे समझाया गया है: आयुध निर्माणी, खमरिया के लेखा–परीक्षक द्वारा उद्धृत उदाहरण के संबंध में, मामले मूल्य भिन्नता खंडवाले अनुबंधों से संबंधित हैं । विभिन्न वस्तुओं जैसे पीओएल (पेट्रोल, तेल, लूबरिकेन्ट्स) वस्तुओं में संबंधित अनुबंधों में मूल्य भिन्नता खंड होता है। मूल्य भिन्नता खंड के अनुसार, वस्तुओं की कीमत बिक्री की तारीख पर प्रचलित दर पर होती है, जो अनुबंध मूल्य

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		से भिन्न हो सकती है। इन मामलों में, बिक्री मूल्य और अनुबंध मूल्य के बीच समायोजन वाउचर बनाए जाते हैं और खरीद को बिक्री मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इसलिए ऑडिटर की टिप्पणी सही नहीं है । एएफके से संबंधित मामला लिगसी का मुद्दा था और कंपनी के निगमीकरण से पहले की अवधि से संबंधित है । इकाई द्वारा शाखा लेखा परीक्षक को लेन देन की पुष्टि करनेवाले अनुमोदन और प्रासंगिक दस्तावेज के साथ उत्तर प्रस्तुत किया गया है । सभी इकाइयों के विक्रेताओं को दिए गए अग्रिमों का पार्टी–वार विवरण उपलब्ध है और इसे वैधानिक लेखापरीक्षकों को भी विधिवत प्रदान किया गया है।
	बिक्री और व्यापार प्राप्य के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया	आयुध निर्माणी बोलंगीर इकाई के वित्तीय विवरणों में दर्ज राजस्व के बेमेल पर टिप्पणी के संबंध में, कुल राजस्व में माल की बिक्री से राजस्व, स्क्रैप बिक्री और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त अनुबंधों पर मूल्य भिन्नता का दावा शामिल है। राशि 479.82 करोड़. वित्त वर्ष 2022-23 में तैयार किए गए उत्पादन वाउचरों की कुल राशि है, राशि 499.27 करोड़ में स्टोर और स्क्रैप की बिक्री का मद्दा स्टॉक वाउचर शामिल हैं और राशि 550.60 करोड़ में 7.5% के लाभ तत्व के मद्दे उठाया गया बिल शामिल है।इस प्रकार प्राप्त कुल राजस्व टैली में रिकॉर्ड के साथ–साथ दायर किए गए प्रासंगिक जीएसटी रिटर्न से मेल खाता है। यह आश्चर्य की बात है कि लेखा परीक्षा के दौरान शाखा लेखा परीक्षक को यह बात समझाई गई, परंतु लेखा परीक्षकोंने इस बात की सराहना नहीं की। ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का यूनिट–वार विवरण उपलब्ध है, जिसे टैली में उचित रूप से दर्ज किया गया है और सभी शाखा लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया गया है। सभी बिक्री, ग्राहकों से अग्रिम और बकाया प्राप्तियों को उचित दस्तावेज द्वारा विधिवत समर्थित किया जाता है और तदनुसार टैली प्रणाली में हिसाब लगाया जाता है। लेखा–परीक्षकों को बता दिया गया है कि कंपनी के प्रमुख ग्राहक सरकारी एजेंसियां हैं। इन मामलों में, उपयोगकर्ता/ग्राहक और भुगतानकर्ता अलग–अलग एजेंसियां हैं। ऐसे में, संबंधित भुगतान एजेंसियों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेखा परीक्षक सीमा की सराहना कर सकते हैं।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	इन्वेंट्री	इन्वेंट्री सत्यापन समितियों का गठन करके इकाई स्तर पर इन्वेंट्री का पूर्ण (100%) भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन पर पहचाने गए विषयों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है। तैयार माल और प्रगतिरत कार्यों के लिए प्रत्येक इकाई स्तर पर एनआरवी किया गया है। टैली प्रणाली में इकाई स्तर पर एनआरवी प्रभाव का हिसाब लगाया गया है। एएफके और ओएफके के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा उद्धृत उदाहरणों के संबंध में, इकाइयों ने संबंधित मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के खिलाफ इन टिप्पणियों का जवाब दिया है। हालाँकि, ऑडिटर उत्तरों की सराहना नहीं कर रहे हैं और सभी दस्तावेजी सबूतों के बावजूद अपने विचार बरकरार रखे हैं। एएफके के मामले में, हालांकि ऑडिटर को सभी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, हालांकि ऑडिटर पुनर्कथन के लिए सहमत नहीं था, इसलिए वर्ष के दौरान इन्वेंट्री को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। अंतर-इकाई इन्वेंट्री के असंतुलित लाभ/हानि का कार्य समेकन स्तर पर किया गया है और समेकन के दौरान प्रभाव का पूरी तरह से हिसाब लगाया गया है। लेखा परीक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कंपनी ने इन्वेट्री की गैर-चलती और धीमी गति से चलनेवाली वस्तुएं प्रदान नहीं की हैं। हालाँकि, कंपनी ने 1 अक्टूबर, 2021 की स्थानांतरण तिथि पर इन्वेंट्री की ऐसी वस्तुओं की पहचान की है और उसका हिसाब लगाया गया है। ऐसे समायोजनों का विवरण लेखा परीक्षकों को उनके सत्यापन के लिए प्रदान किया गया था। प्रबंधन ने 31 मार्च 2023 तक की स्थिति का आकलन किया और निर्धारित किया कि किसी अतिरिक्त प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।
	जीएसटी से संबंधित लेखांकन	जीएसटी रिटर्न और खातों की पुस्तकों के अनुसार खरीद का अंतर जीएसटी की बुकिंग और अनुबंध की शर्तों के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति के बाद खरीद की बुकिंग और चालान निर्माण के समय विक्रेता द्वारा बिक्री की बुकिंग से संबंधित है। कंपनी और विक्रेता के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार खरीद को खाते की किताबों में दर्ज किया गया है, इसलिए खरीद की बुकिंग की पूर्णता सुनिश्चित की गई है। वर्ष के दौरान लेन देन को सही ढंग से दर्ज किया जाता है और उनका मिलान किया जाता है। हालाँकि, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से कुछ लिगसी संबंधी मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	लंबी अवधि के अनुबंधों पर अनुमानित नुकसान के लिए प्रावधान	कंपनी एक cost-plus इकाई है और अपने उत्पादों को अपनी लागत से अधिक मार्जिन पर बेचती है। कंपनी के पास डीम्ड अनुबंध के रूप में सेवाओं के साथ दीर्घ कालिक अनुबंध हैं जो एक लीगसी संबंधी मुद्दा है। भारत सरकारने 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी इन अनुबंधों की कीमत पर 7.5% लाभ तत्व निर्धारित किया है । अत: इन अनुबंधों को कठिन अनुबंधों के रूप में नहीं माना जा सकता है । अन्य अनुबंधों में इसकी लागत पर लाभ मार्जिन होता है और अत: इसे एक कठिन अनुबंध नहीं माना जा सकता है ।
	कर व्यय	आयकर अधिनियम अनुपालन में वित्तीय विवरणों और इंडस्ट्री और देश प्रथा के अनुसार कर की गणना ठीक से की गई है, जिसे केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के साथ साझा किया गया है ।
	निदेशकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा समिति के गठन से संबंधित गैर–अनुपालन	कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशकों (कार्यात्मक और स्वतंत्र निदेशक दोनों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। नियुक्ति होने पर इसकी सूचना दी जाएगी। कंपनीने दि. 03/11/2022 को लेखा परीक्षा समिति का गठन कर लिया है ।
	शेयर आवेदन राशि का आवंटन लंबित है	31 मार्च, 2023 तक बकाया कुल राशि में से, कंपनी ने मई 2023 के महीने में 577 करोड़ का हिस्सा आवंटित किया है। शेष राशि के लिए, शेष राशि के शेयर चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित किए जाएंगे ।
	समेकित वित्तीय विवरण और शाखा वित्तीय विवरण के बीच विसंगतियां	कंपनी के वित्तीय विवरण शाखा लेखा परीक्षकों से उचित पुष्टि के साथ शाखाओं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस अवलोकन के संबंध में ओएफके के संबंध में, वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के समय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा किए गए इस पुर्नवर्गीकरण/पुर्न समूहन के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है । कंपनी स्तर पर वित्तीय विवरणों में अंतिम संख्या को शामिल करने से पहले शाखा संख्याओं के संकलन के लिए प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षित शाखा वित्तीय विवरणों की हस्ताक्षरित प्रतियों के बीच विसंगतियों के जोखिम को कम करने के लिए नियंत्रण और प्रक्रिया तैयार और कार्यान्वित करेगी ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	वर्तमान कर देनदारी और वर्तमान कर परिसंपत्तियों का शुद्धिकरण	भुगतान किए गए अग्रिम कर, संचित टीडीएस और कर देनदारी की शेष राशि की निगरानी के लिए वर्तमान कर देनदारियों और वर्तमान कर संपत्तियों को अलग से प्रस्तुत किया गया है । इस प्रेजेंटेशन के कारण P&L स्टेटमेंट और बैलेंसशीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । आगामी वर्षों में वर्तमान कर परिसंपत्ति और वर्तमान कर देनदारी को वर्षवार घटाने का आकलन किया जाएगा ।
	एमएसएमई को देय राशि पर ब्याज का प्रावधान	ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को अधिनियम, 2006 के अनुसार, 2023 तक एमएसएमई की कोई राशि देय नहीं है, और इस लिए ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है ।
2	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय का अस्वीकरण	आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय का अस्वीकरण कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को औपचारिक बनाने और बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इसने रिपोर्टिंग तिथि के बाद पहले ही इस संबंध में कुछ उपाय कर लिए हैं । इसमें प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए एक औपचारिक जोखिम और नियंत्रण मैट्रिक्स बनाना शामिल है क्योंकि वे वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित हैं । कंपनी प्रत्येक इकाई स्तर पर लेखांकन प्रक्रियाओं को ठीक करने तथा संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक इकाई स्तर पर योग्य लेखाकारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में भी है ।

21. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

21.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है । हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है ।

जवाब : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व में सरकारी कंपनी है। इसलिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को02 बार इसकी सूचना दी गयी है ।

21.2 वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

जवाब: म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी, अत: म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए हम पहले ही रक्षा मंत्रालय को दो बार सूचित कर चुके हैं।

हमने लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है तथा बैठक वित्तीय वर्ष2023-24 में होगी।

21.3 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गैर स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंडVII का अनुपालन नहीं किया है।

जवाब : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी, इसलिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए हम पहले ही रक्षा मंत्रालय को दो बार सूचित कर चुके हैं।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी गैर–स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV केखंड VII का अनुपालन करेगी।

21.4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर– कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत नहीं किया गया था।

जवाब : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी, इसलिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए हम पहले ही रक्षा मंत्रालय को दो बार सूचित कर चुके हैं।

22. जोखिम प्रबंधन नीति :

निदेशक मंडल समय–समय पर व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी जोखिमों की समीक्षा करता है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसकी आंतरिक कमजोरियों और विभिन्न बाहरी खतरों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती है।

23. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

कृपया अनुबंध–III देखें

24. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के तहत खुलासा।

महिला स्टाफ सदस्यों की शिकायत के निवारण के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है :
प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य
निस्तारित शिकायतों की संख्या – शून्य

25. कॉर्पोरेट प्रशासन :
कंपनी अपने कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाब देही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। इन प्रयासों पर प्रकाश डालने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है । (अनुलग्नक।)

26. सावधि जमा :
कंपनी ने कंपनी अधिनियम,2013 की धारा2(31), 73 और74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किया है।

27. कर्मचारियों का विवरण :
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम5 (2) और5(3) के तहत आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में आनेवाला कोई भी कर्मचारी नहीं था।

28. आभार :
बोर्ड कंपनी के व्यवसायिक पार्टनर्स को म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में उनके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता है और भविष्य में भी इस पारस्परिक सहायक संबंध को बनाए रखने और बनाने के लिए तत्पर है। बोर्ड कंपनी के संचालन में भारत सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए भी आभारी है। निदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, बैंकर्स, संरक्षकों और कंपनी के ग्राहकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बोर्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के उत्साही और समर्पित कार्य के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान कंपनी के सुचारू कामकाज के लिए उनका उत्कृष्ट टीम प्रयास बहुमूल्य था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(रवि कान्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 09283919

स्थान: पुणे
दिनांक: 03/11/20

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक- I)

भारत सरकार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है –

1. कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता पर कंपनी का दर्शन:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा, प्रचार और सुरक्षा के लिए उचित पारदर्शी प्रणालियों एवं अभ्यास द्वारा समर्थित अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड देश और विदेश में विस्फोटक और गोला–बारूद के निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–अनुकूल एवं विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से ग्राहक अनुकूल सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड की संरचना:

एमआईएल के निदेशक मंडल में पांच सदस्य शामिल हैं, जिनमें से चार कार्यात्मक निदेशक हैं और एक सरकारी है। भारत सरकार के नामित निदेशक बोर्ड में अनुभव, ज्ञान और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आते हैं।

31 मार्च2023 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है –

कार्यकारी निदेशक

श्री रवि कांत	– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देबाशीष बनर्जी	– निदेशक/मानव संसाधन
श्री सुशांत कुमार राउत	– निदेशक/संचालन
श्री प्रकाश अग्रवाल	– निदेशक/वित्त

गैर – कार्यकारी निदेशक

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	– शासकीय नामांकित निदेशक

2.2 बोर्ड और समितियों के संबंध में अन्य प्रावधान

वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक का विवरण।

i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान छह बोर्ड बैठकें क्रमश: 17.05.2022, 08.08.2022, 03.11.2022, 22.12.2022, 27.12.2022 और23.02.2023 को आयोजित की गई।

ii) बोर्ड के पास कंपनी के भी तरस भी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच है, जिससे निदेशक मंडल को सूचित और कुशल निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद (सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में) और निदेशकों द्वारा आयोजित समिति सदस्यता की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है: –

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठक		अंतिम वा. आ. बैठक में उपस्थिति	31/03/2023 तक अन्य निदेशकों की संख्या	31/03/2023 तक अन्य समिति सदस्यताओं की संख्या	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया			अध्यक्ष के रुप में	सदस्य के रुप में
1	श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6	हां	0	1	0
2	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक/मा.सं.	6	6	हां	0	1	3
3	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक/ऑपरेशन	6	4	नहीं	0	0	4
4	श्री विवेक चन्द्र वर्मा	निदेशक/वित्तन	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6	2	हां	3	0	1
6	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	5	5	हां	0	0	4

iv) बोर्ड का कोई भी निदेशक10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

नये निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

श्री प्रकाश अग्रवाल

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 16 जून, 2022 को एमआईएल में निदेशक/वित्त का पदभार ग्रहण किया । वे एमआईएल के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) भी हैं।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने एनआईटी कुरूक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और आईआईएम, कोलकाता से एमबीए किया है। वे1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं।

एनएडीपी, अंबाझारी, नागपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह 1992 में तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में शामिल हो गए, जहां विपणन एवं निर्यात का एक नया प्रभाग स्थापित किया जा रहा था। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उनके पास विपणन, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दीर्घ अनुभव है। इस अवधि में उन्हें प्रतिष्ठित 'आयुध भूषण' पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने आयुध उपकरण फैक्टरी, कानपुर और उसके पश्चात ओईएफ मुख्यालय, कानपुर में फैक्टरी स्तर पर सामग्री प्रबंधन, उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्षेत्रों में भी कार्य किया है। उन्होंने पुणे में नवनिर्मित डीपीएसयू, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) में महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास और वित्त के रूप में शामिल होने से पहले वर्ष 2021 तक तीन वर्ष के लिए तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता में विपणन एवं निर्यात के उप महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री प्रकाश अग्रवाल के पास रक्षा निर्यात प्रोत्साहन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लगभग 25 देशों का दौरा करने का दीर्घ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है।

2.3 आचार संहिता

कंपनीने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता पर एक नीति तैयार की है । इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ:

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियाँ इस प्रकार हैं:–

* लेखा परीक्षा समिति
* नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
* निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
* निवेश समिति
* पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति
* नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति

i) 31 मार्च,2023 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	–	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/ वित्त एवं मु.वि.अधि.	सदस्य

दो स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

ii) लेखा परीक्षण समिति की भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश2010 के अध्याय4.2 में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना है।

3.1.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	–	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	सदस्य
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

दो स्वतंत्र निदेशकों के पदखाली हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई।

ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करना है और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति भी तय करेगी।

3.1.3 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	अध्यक्ष
2	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक /ऑपरेशन	सदस्य
3		स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 27/01/2023 और 21/03/2023 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की02 बैठकें आयोजित की गई।

ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका है :–

क) एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना एवं बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना, जो कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों (अनुसूचीत।। में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में) को इंगित करेगी।

ख) ऊपर(1) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होनेवाले व्यय की राशि की अनुशंसा करना एवं

ग) समय–समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना ।"

3.1.4 निवेश समिति

i) 31 मार्च,2023 को निवेश समिति की संरचना इस प्रकार है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक /ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अड़तालीस(48) निवेश समिति की बैठकें आयोजित की गई जिनकी तिथियां इस प्रकार है :–

16/09/2022, 28/09/2022, 30/09/2022, 04/10/2022, 11/10/2022, 17/10/2022, 28/10/2022, 31/10/2022, 04/11/2022, 05/11/2022, 10/11/2022, 16/11/2022, 18/11/2022, 25/11/2022, 28/11/2022, 30/11/2022, 05/12/2022, 08/12/2022, 09/12/2022, 12/12/2022, 13/12/2022, 22/12/2022, 30/12/2022, 30/12/2022, 03/01/2023, 06/01/2023, 09/01/2023, 10/01/2023, 13/01/2023, 17/01/2023, 23/01/2023, 30/01/2023, 06/02/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 21/02/2023,

22/02/2023, 27/02/2023, 01/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 10/03/2023, 15/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 23/03/2023, 28/03/2023 एवं 31/03/2023.

ii) निवेश समिति की भूमिका एक वर्ष तक के अल्पकालिक अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में निर्णय लेना है।

3.1.5 पूंजीगत व्यय के लिए निदेश कों की समिति

i) 31 मार्च,2023 को पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	सदस्य
2	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक /ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /वित्तन एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की एक समिति की बैठक 28/03/2023 को आयोजित की गई थी।

ii) पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति की भूमिका सार्वजनिक उद्यम विभाग/रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पैरामीटर तक10 करोड़ रुपये से अधिक के प्लांट एवं मशीनरी और सिविल कार्यों के पूंजीगत व्यय को मंजूरी देना है।

3.1.6 नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति।

i) 31 मार्च, 2023 तक नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	सदस्य
2	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक /ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /वित्तन एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू की मंजूरी तय करने के लिए निदेशकों की कोई समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

ii) नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू की मंजूरी तय करने के लिए निदेशकों की समिति की भूमिका नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू को मंजूरी देना है।

4. वार्षिक आम बैठक:

सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है
1	2021-22	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	21/12/2022 पूर्वा 11.10	नहीं

5. प्रकटीकरण :-

i) संबंधित पक्षों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ है।

ii) कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाई गई वस्तुओं को अपनाया है।

iii) कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

iv) सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अतिरिक्त खुलासे।

i) व्यय की मदें खातों की पुस्तकों में डेबिट की गई, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं – शून्य

ii) किए गए व्यय जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं – शून्य

iii) वित्तीय वर्ष2022-23 के लिए कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय4.88% है।

iv) गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने/न अपनाने की जानकारी नीचे दी गई है –

गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ

i) बोर्ड

कंपनी का नेतृत्व एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

डीपीई के निर्देशों के अनुसार बोर्ड ऑफ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करने और निर्धारित सीमा के भीतर कार्यकारी एवं गैर संघीय पर्यवेक्षकों के बीच उसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन और नीति भी तय करना ।

iii) शेयरधारकों के अधिकार

अभी तक शेयरधारकों को पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशसहित अर्धवार्षिक वित्तीय प्रदर्शन भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है।

iv) ऑडिट योग्यता–ऑडिटर की रिपोर्ट संलग्न है।

v) बोर्ड सदस्य को प्रशिक्षण–यह आवश्यकता आधारित है।

vi) **व्हिसिल ब्लोअर नीति**

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, रोक थाम और रिपोर्टिंग के लिए एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया गया है। यह नीति किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है जिसमें कर्मचारियों के साथ–साथ हितधारक, सलाहकार, विक्रेता, ऋणदाता, उधारकर्ता, ठेकेदार, कंपनी के साथ व्यापार करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/या कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले कोई भी अन्य पक्ष शामिल हैं।

6. संचार के साधन:

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होगी, जो सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को वितरित की जाती है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक– II)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
फार्म सं. एम.आर.3
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014
के नियम संख्या 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा गोला बारूद निर्माणी, खडकी,
पुणे – 411003
महाराष्ट्र

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (U29190PN 2021 GOI 203505) (इसके बाद 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी कहा जाएगा) का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट एक तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनटबुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं। हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र हैं, जो कि उचित तरीके से और उचित तरीके से लागू हैं।

इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन: हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है, प्रावधानों के अनुसार:

(i) कंपनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम,1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू नहीं)
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (लागू नहीं)
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर स्टॉक के साथ सूची बद्ध नहीं हैं।
क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम,2011
ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइड ट्रेडिंग का निषेध) विनियम,1992
ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम,2009
घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश,1999
ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम,2008

च) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम,1993
छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डी लिस्टिंग) विनियम,2009 एवं
झ) भारतीय प्रतिभूति एवं निमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम,1998

(vi) हमने निम्नलिखित कानूनों के अनुपालन की भी जांच की है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

1	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981
3	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016,
4	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
5	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
6	सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
7	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004
8	SOMET के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992
9	शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियम 2016
10	मध्यप्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2018 के तहत राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम (स्पिरिट लाइसेंस), मध्यप्रदेश मोटर, स्पिरिट उपकार अधिनियम, 2018

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते (वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी को कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है, हालांकि कंपनी के पास ऐसा नहीं है। बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रबंधन फर्म के गैर स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूचीIV के खंडVII का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

वित्तीय वर्ष 2022-23 केदौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बैठक और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कुछ जरूरी मामलों को छोड़कर, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची की मदें पर पहले से अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय पारित किया गया जब कि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया गया और कार्यवृत्तौ के भाग के रूप में दर्ज किया गया। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के पास उपरोक्त संदर्भित कानूनों के नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर डालनेवाली कोई बड़ी घटना नहीं थी।

नोट : इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है तथा रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ए.के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
ICSI Unique code No S2020UP724400

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 08.09.2023

(ए.के. रस्तोगी)
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 1748
सीपी सं. 22973
UDIN F001748E00097495

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा – गोला बारूद निर्माणी ,
खडकी, पुणे – 411003 (महाराष्ट्र)

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड एवं लेखा पुस्तकों की यथार्थता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और नही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

ए.के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
ICSI Unique code No S2020UP724400

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 08.09.2023

(ए.के. रस्तोगी)
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 1748
सीपी सं. 22973
UDIN F001748E00097495

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक– III)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा –

म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं।

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने के लिए, (''निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना'') और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारतकोष में योगदान सहित) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना.

(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं शामिल हैं।

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जानेवाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशुकल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना (केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगानिधि में योगदान सहित) गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए।

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना, जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्त शिल्प का प्रचार और विकास शामिल है।

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, (केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्यबलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों) के लाभ के लिए उपाय करना।

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

(viii) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहतकोष (या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहतकोष (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में योगदान करने के लिए। सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए।

(ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इन क्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान करना और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विभाग के तहत स्थापित सार्वजनिक वित्त पोषित विश्व विद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में योगदान करना । फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं अन्य निकाय, अर्थात्रिक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए।

(xi) स्लम क्षेत्र विकास के लिए।

स्पष्टीकरण:– इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत घोषित कोई भी क्षेत्र होगा।

(xii) आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	2	2
2	श्री एस. के. राउत	निदेशक /ऑपरेशन	2	2
3	रिक्त	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना,https://munitionsindia.in/हमारे बारे में/कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर https:// munitionsindia.in / Downloads/Manual परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा एवं सीएसआर समितिकी नीतियां/संरचना किया गया है ।

4	यदि लागू हो तो नियम8 के उप–नियम(3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।	लागू नहीं
5	(क) धारा135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	रू. 25.40 करोड
	(ख) धारा135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत	रू. 50.80 लाख
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	शून्य
	(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य
	(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख + ग +घ)	रू. 50.80 लाख
6	(क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों)	शून्य
	(ख) प्रशासनिक अपरिव्यरय में खर्च की गई राशि	शून्य
	(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
	(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई याअव्ययित सीएसआर राशि	शून्य
	(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: (क+ख + ग)	शून्य

ड. वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुलराशि (रुपयेमें)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुलराशि ।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूचीत II के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधी का नाम	राशि	स्थानातरण की तिथि
शून्य	रु. 51.66 लाख	21/04/2023	शून्य	शून्य	शून्य

(च) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत	50.80 लाख
2	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
4	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
5	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष.	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपयेमें)	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपयेमें)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेषराशि । (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि	स्थानांतरण की तिथि		
1		शून्य						
2		शून्य						
3		शून्य						
	कुल	शून्य						

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है : हां/नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – शून्य
वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्तिया संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरापता और स्थान सहित)	संपत्ति का पिनकोड	सृजन की तारीख	खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई/प्राधिकरण/ का विवरण पंजीकृत स्वामी का लाभार्थी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य						

(सभी फ़ील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

देर से ऑडिट पूरा होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के संचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में सीएसआर व्यय की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

(रवि कान्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN No.09283919

(देबाशीष बैनर्जी)
निदेशक/मा.सं.एवं
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
DIN No.09283921

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. कंपनी:

म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) ऐतिहासिक शहर पुणे में स्थित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एमआईएल, भारत की सबसे बड़ी निर्माता और मार्केट लीडर है जोसेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों और पुलिस बलों के लिए गोला-बारूद और विस्फ्फ्रोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान और विकास और विपणन में लगी हुई है।

एमआईएल का दृष्टिकोण सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला-बारूद से लैस करके, प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना है। एमआईएल का मिशन गोला-बारूद के क्षेत्र में 'आत्म-निर्भर भारत' अभियान और 'मेक इन इंडिया' पहल का एक प्रमुख संरक्षक बनना है।

2. एमआईएल की शक्ति:

* कुशल कार्यबल
* 150 से अधिक वर्षों का गोला-बारूद के निर्माण एवं बिक्री का अनुभव।
* विशाल विनिर्माण क्षमता।
* वृद्धि क्षमता की उपलब्धता।
* घरेलू गोला बारूद बाजार में अग्रणीय।
* स्थापित आपूर्तिकर्ता आधार।
* स्थापित उत्पाद रेंज

3. कमजोरियोंWEAKNESSES:

* उच्च ओवरहेड्स
* विरासती प्रणाली
* बोझिल खरीद प्रक्रिया
* निगमीकरण से पूर्व अनुसंधान एवं विकास के लिए डीआरडीओ पर निर्भरता के कारण इकाइयों में खराब अनुसंधान एवं विकास आधार।

4. अवसर :

* निर्यात के अवसर
* निगमीकरण के बाद संयुक्त उद्यम बनाने एवं सह-उत्पादन समझौतों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन
* निगमीकरण के बाद ऑपरेशन में अधिक स्वायत्तता
* वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य/पर्यावरण

5. जोखिम / धमकी

* भारतीय रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देना ।
* घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धियों का उदय ।
* विभिन्न घरेलू कंपनियों को वस्तुओं हेतु आरएफपी जारी करना (जो पहले हमारे द्वारा नामांकन के आधार पर आपूर्ति की गई थी) ।
* प्रूफ रेंज के लिए डीआरडीओ /डीजीक्यूए पर पूर्ण निर्भरता ।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्त :

कंपनी के पास अपने आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है ।

7. निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चल रही परियोजनाओं पर 51.66 लाख रुपये का निगमित सामाजिक दायित्व व्यय किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
पुणे, महाराष्ट्र

हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 के तहत आवश्यक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (CIN: U29190PN2021GOI203505) (इसके बाद कंपनी के रूप में कहा जाएगा) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि नीचे निर्दिष्ट मामले के लिए:

1. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ3.1.1 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है, हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों अनुरूप नहीं हैं।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

ए.के. रस्तोगी एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नंबर S2020UP724400

दिनांक: 11.09.2023
स्थान: गाजियाबाद

(ए.के. रस्तोगी)
प्रोपराइटर
एफसीएस संख्या 1748
सीपी नंबर: 22973
UDIN: F001748E000982772

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

सं. एमआईएल/एचआर/बीसी एंड ई

दिनांक : 17/04/2023

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(रवि कान्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी', जिसमें पुणे, महाराष्ट्र स्थित प्रधान कार्यालय और पंद्रह शाखाएं शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि(अन्य व्यापक आय सहित), का विवरण शामिल है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसे 'वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पंद्रह शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है–

महत्वपूर्ण शाखाएँ :

क्र.सं.	शाखा का नाम	शाखा का स्थान
1	गोला बारूद निर्माणी, खड़की	पुणे, महाराष्ट्र
2	अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	पुणे, महाराष्ट्र
3	आयुध निर्माणी देहूरोड	पुणे, महाराष्ट्र
4	आयुध निर्माणी खमरिया	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
5	कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	ऊटी, तमिलनाडु
6	हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली , तमिलनाडु
7	आयुध निर्माणी भंडारा	भंडारा, महाराष्ट्र
8	आयुध निर्माणी चांदा	चंद्रपुर, महाराष्ट्र
9	आयुध निर्माणी बोलंगीर	बोलंगीर, उडीसा
10	आयुध निर्माणी इटारसी	इटारसी, मध्या प्रदेश
11	आयुध निर्माणी नालंदा	नालंदा, बिहार
12	आयुध निर्माणी वरणगांव	वरणगांव, महाराष्ट्र

अन्य शाखाएँ :

क्र.सं.	शाखा का नाम	शाखा का स्थान
1	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्था, खमरिया	खमरिया, जबलपुर,मध्य प्रदेश
2	क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	पुणे, महाराष्ट्र
3	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	नागपुर, महाराष्ट्र

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन की स्थिति और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह आदि उपरोक्त वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं।

प्रतिकूल राय का आधार

हम अनुबंध 'क' में वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण और व्यापक हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हैं जहां हम और अन्य लेखा परीक्षक/शाखा लेखा परीक्षक पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। उक्त अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों के प्रभाव जिन्हें उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, मात्राबद्ध हैं और उसमें दिए गए हैं।

हमने अपना ऑडिट कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों के मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के तहत भारत में वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने आचार संहिता तथा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' के साथ पढ़ा गया लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी प्रतिकूल राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले पर ज़ोर

इंडस्ट्रीज़ एस19 – कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

हम कर्मचारी लाभ व्ययों के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट35(बी)(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, आईएनडी–एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ का प्रावधान, अर्थातब ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते आदि का प्रावधान 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी (पीएलजी–त)/02 दिनांक 24 सितम्बर 2021 के अंतर्गत कंपनी के नहीं बल्कि केंद्र सरकार के दायित्व हैं।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद बोर्ड रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई है। .

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित) का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन सशोधित है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितता को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चल रही संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चल रही संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या संचालन बंद करने, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वापूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

हमभी:

* वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें एवं उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत विवरण या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

* परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

* उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्क संगतता का मूल्यांकन करें।

* लेखांकन के चालू विवरण के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू विवरण के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

* प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में,आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता तथा संबंधित सुरक्षा उपाय पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, ।

अन्य मामले

हमने उन पंद्रह शाखाओं की वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक कुल 13,777.03 करोड़ रुपये की संपत्ति और 7,711.65 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति दर्शाती है, कुल राजस्व रुपये 5,661.38 करोड़, कुल व्यापक आय (जिसमें ((हानि) शामिल है) और अन्य व्यापक आय) (122.35) करोड़ रुपये और

उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह 231.62 करोड़ रुपये था, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों) द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में जहाँ तक यह उपरोक्त शाखाओं से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश' / 'CARO') द्वारा आवश्यक के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए, तदनुसार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए, और कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल पंद्रह शाखाओं के लिए संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी CARO रिपोर्ट के आधार पर; लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण हम अनुबंध ख में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा143(3) की आवश्यकता के अनुसार यह रिपोर्ट देते हैं कि –

(क) हमने अनुलग्नक 'क' में बताए गए मामलों को छोड़कर उपरोक्त वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

(ख) उपरोक्त प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित विभिन्न मामलों के कारण, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित किताबें अब तक नहीं रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच तथा संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित तरीके से कार्रवाई की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है। हालाँकि, इस रिपोर्ट से जुड़े अनुबंध ए में वर्णित मामलों के कारण वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रतिकूल है।

(ङ) उपरोक्त प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित विभिन्न मामलों के कारण, उनके संभावित प्रभावों सहित, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं।

(च) उपरोक्त प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

(छ) जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार इस खंड के प्रावधान यानी अधिनियम की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ज) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित आरक्षण प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ और उपरोक्त पैराग्राफ2 (I) में बताए गए अनुसार हैं।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(त्र) अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ट) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 37 देखें। हालाँकि, शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, हम प्रासंगिक प्रकटीकरण की पूर्णता के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ii) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास दीर्घकालिक अनुबंध हैं। हालाँकि, उपरोक्त प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण और कंपनी के पास आवश्यक जानकारी की उपलब्धता न होने के कारण, कंपनी लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित महत्वपूर्ण अनुमानित हानि के लिए यदि कोई आवश्यक प्रावधान निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। अनुलग्नक 'क' – खंड 'ख' देखें।

(iii) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करें।

(iv) (क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में प्रकट किए गए के अलावा, यदि नोट 41 (बी) (एक्स) देखें। कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

(ख) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार (नोट 41(बी)(x) देखें), यदि कोई हो, के अलावा कोई धनराशि नहीं है कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियाँ') सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से इस समझ के साथ प्राप्त हुआ है कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उधार देगी। या फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और परिस्थितियों में उचित और उचित मानी जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि अभ्यावेदन किया गया है। प्रबंधन और जैसा कि ऊपर उप–खंड (iv)(ए) और (iv)(बी) के तहत बताया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है। अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून2015 के तहत अधिनियम की धारा123 की उपधारा(1) और(4) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) कंपनी के खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता है जिसमें ऑडिट ट्रायल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (i) के तहत निर्धारित है । 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए स्थगित, इसलिए कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है ।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक 'घ' में 'कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर एक बयान देते हैं ।

पी. जी. भागवत के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि.सं. 101118W/W100682

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 151638
यूडीआईएन : 2315638 बीजीक्यू जीजीजी 2023
स्थान – पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

अनुलग्नाक 'क' – धारा –।
अनुलग्नक 'क'
(जैसा कि प्रतिकूल राय के आधार पर संदर्भित है
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में)

धारा –।
भाग– क – शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राय की प्रकृति

(vi) कंपनी के खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता है जिसमें ऑडिट ट्रायल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के तहत निर्धारित है। 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए स्थगित, इसलिए कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक घ' में 'कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर एक बयान देते हैं।

क्र.सं.	ब्रांच का नाम	संशोधन की प्रकृति
1	आयुध निर्माणी खमरिया	प्रतिकूल राय
2	गोला बारूद निर्माणी खड़की	प्रतिकूल राय
3	आयुध निर्माणी बोलंगीर	प्रतिकूल राय
4	आयुध निर्माणी चांदा	हमारी कोई जवाबदारी नहीं है
5	आयुध निर्माणी भंडारा	हमारी कोई जवाबदारी नहीं है
6	अति विस्फ्रोटक निर्माणी, पुणे	योग्य राय
7	आयुध निर्माणी देहूरोड	योग्य राय
8	कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	योग्य राय
9	हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	असंशोधित राय
10	आयुध निर्माणी इटारसी	योग्य राय
11	आयुध निर्माणी नालंदा	योग्य राय
12	आयुध निर्माणी वरणगांव	योग्य राय
13	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	योग्य राय
14	क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	अस्वी करण राय
15	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	योग्य राय

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है, कुल 5 शाखाएँ हैं (अर्थात क्रम संख्या 1 से 5) जहाँ या तो प्रतिकूल राय या राय का अस्वीकरण संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा दिया गया था (अर्थात नोट की गई गलतियाँ भौतिक और व्यापक दोनों थीं)। कंपनी के वित्तीय विवरणों में समाप्त वर्ष के लिए गठित कुल संपत्ति रु. 9,617.35 करोड़ (अंतर इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), रुपये की शुद्ध संपत्ति 5,174.01 करोड़, कुल राजस्व रु. 4,219.03 करोड़ (अंतर इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और कुल व्यापक आय रु. 176.55 करोड़ (अंतर इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) है। कंपनी के वित्तीय विवरण में ये कुल संपत्ति का 62.90%, कुल शुद्ध संपत्ति का 69.17%, कुल राजस्व का 85.20% और कुल व्यापक आय का240.71% है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण है।

भाग–I सामान्य टिप्पणियाँ

ऑडिट के दौरान शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ने और सभी शाखाओं से प्राप्त संचार के आधार पर, हमने निम्नलिखित टिप्पणियां नोट की हैं।

क. खातों की पुस्तकों का रखरखाव

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1 जनवरी, 2023 को आंशिक रूप से अपने खातों की पुस्तकों को नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अर्थात टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (इसके बाद 'टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर' के रूप में संदर्भित) को 1 अप्रैल, 2022 से प्रधान कार्यालय और विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया है (व्यक्तिगत रूप से 'इकाई' के रूप में जाना जाता है)। कुछ पुस्तकें और लेन–देन अभी भी अन्य सॉफ़्टवेयर पर बनाए रखे जा रहे हैं। पहले, कंपनी वाणिज्यिक खातों (COMMAC) पर अपने खातों की किताबें बनाए रखती थी। कंपनी ने खरीद की प्राथमिक रिकॉर्डिंग और इन्वेंट्री पैकेज, कैश कंपाइलेशन रिपोर्ट (CC02), उत्पादन, योजना और नियंत्रण (पीपीसी) पैकेज, पंचिंग मीडिया आदि सहित विभिन्न एक्सेल स्प्रेडशीट जो न तो एक दूसरे के साथ एकीकृत हैं और न ही टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्राइम के साथ पूर्ववर्ती लेखांकन प्रणालियों/सॉफ्टवेयर पर इन्वेंट्री आदि की रिकॉर्डिंग और रखरखाव जारी रखा है। यूनिट स्तर पर, एक्सेल स्प्रेडशीट को अपडेट करने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर के आउटपुट का उपयोग किया जाता है, जिसे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेखांकन प्रविष्टियों को पास करने के लिए आधार माना जाता है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेटा को अपडेट करने और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग प्रविष्टियों को पास करने की आवृत्ति को न तो परिभाषित किया गया है और न ही इसका समान रूप से पालन किया जाता है। इसके अलावा, खातों की पुस्तकों के रखरखाव और वित्तीय विवरणों की तैयारी की पूरी प्रक्रिया के आसपास निर्माता चेकर सिद्धांतों, अनधिकृत परिवर्तनों से बचने के लिए पहुंच नियंत्रण आदि सहित आंतरिक नियंत्रण की पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका। यूनिट स्तर पर वित्तीय विवरण टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आधार पर तैयार किए जाते हैं। हालाँकि, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तनों को ठीक से और लॉग शीट का उपयोग किए बिना प्रलेखित नहीं किया गया है। कई बार, सुधार प्रविष्टियों को पारित करने के बजाय संपादन लॉग रखे बिना मूल गलत प्रविष्टियों को संपादित किया गया था। यूनिट स्तर पर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पारित कई लेखांकन प्रविष्टियों के मामले में इसके अलावा गलत या कोई विवरण नहीं देखा गया।

पिछले लेखांकन सॉफ़्टवेयर से माइग्रेट किए गए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कोई पोस्ट कार्यान्वयन और माइग्रेशन ऑडिट नहीं किया गया है।

लेखांकन प्रणालियों/सॉफ्टवेयर के बीच गैर–एकीकरण के कारण और नीचे और इस अनुलग्नक के खंड II में रिपोर्ट की गई विभिन्न टिप्पणियों के कारण, दर्ज किए गए सभी लेनदेन की सटीकता और पूर्णता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

ख) लेखांकन का संचय आधार

प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित वर्तमान लेखांकन प्रक्रियाओं को प्रोद्भवन आधार पर खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने यथासंभव सीमा तक प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की हैं। हालाँकि, यूनिट स्तर पर बही खाता प्रक्रिया में नोट की गई विभिन्न कमियों के कारण 31 मार्च, 2023 तक लेखांकन के संचय आधार की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। जैसा कि विभिन्न शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, खातों की पुस्तकों की इकाई स्तर में पारित पुनर्कथन प्रविष्टियों सहित बड़ी संख्या में सुधार प्रविष्टियाँ हुई हैं।

जैसा कि ओएफ बोलांगीर के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएलबी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। वर्ष 2022-23 के दौरान निर्माणी ने कर्मचारियों को29.91 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएलबी के लिए औद्योगिक कर्मचारियों को 1.09 करोड़ का भुगतान किया था। ये व्यय प्रकृति में पूर्व अवधि के हैं, परंतु चालू वर्ष के व्यय के रूप में दिखाए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 में बताया गया है, प्रारंभिक शेष के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और आगे के वर्षों में आगे समायोजन, यदि कोई हो, की पहचान की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे पुनर्कथन हो सकता है।

ग) **1 अक्टूबर, 2021 को शेष राशि का पुनर्विवरण**

चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न शाखाओं में स्थानीय प्रबंधन सहित प्रबंधन ने ऑडिट के दौरान 1 अक्टूबर, 2021 को संपत्ति और देनदारियों के शेष में त्रुटियों की पहचान की। इसके परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर, 2021 को रुपये 213.90 करोड़ (क्रेडिट) की सीमा तक शुद्ध संपत्ति के शुरुआती शेष, 31 मार्च 2022 को शुद्ध संपत्ति का समापन शेष रु. 210.31 करोड़ (क्रेडिट) का पुनर्कथन हुआ है तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ रु. 5.08 करोड़ (क्रेडिट) हुआ है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी अभी भी शुरुआती शेष के सत्यापन की प्रक्रिया में है और आगे के समायोजन, यदि कोई हो, की पहचान बाद के वर्षों में की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आगे पुनर्कथन हो सकता है। इसके अलावा 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में दी गई राय के अस्वीकरण और 31 मार्च, 2022 को खाता शेष की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व की पुष्टिकरने वाले लेनदेन के अनुसार विवरण की कमी पर विचार करते हुए, उपरोक्त की पूर्णता पुनर्कथन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। वित्तीय विवरणों के लिए नोट40 देखें।

इसके अलावा, हमें सौंपे गए हस्ताक्षरित शाखा वित्तीय विवरणों के सत्यापन के आधार पर, 31 मार्च, 2022 तक शुद्ध संपत्तियों पर पुनर्कथनों का कुल लेखांकन प्रभाव रु. 219.44 करोड़ और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में बताया गया है, रु.210.31 करोड़. रुपये का अंतर कंपनी द्वारा9.13 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

घ) अंतर–इकाई लेनदेन और शेष का समाधान

नियमित आधार पर अंतर–इकाई लेनदेन और शेष के समाधान के लिए प्रबंधन के पास आंतरिक नियंत्रण नहीं है। कंपनी स्तर पर शुद्ध असमाधान शेष रु. 7.02 करोड़ (क्रेडिट) जिसे चालू वर्ष में कंपनी स्तर के वित्तीय विवरणों में लिखा गया है और अपेक्षित लेन देन–वार विवरण की उपलब्धता की कमी के कारण 'विविध व्यय' (नोट 30 – अन्य व्यय देखें) के तहत वर्गीकृत किया गया है। मिलान मदों का विस्तृत लेनदेन–वार विवरण (उसकी बाद की प्राप्तियों सहित) सत्यापन के लिए लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके अलावा, अंतर–इकाई शेषों के समाधान और संबंधित इकाइयों की पुस्तकों में अंतर–समाधान के समय पर लेखांकन की कोई प्रक्रिया नहीं है।

इसके अलावा अंतर इकाई लेनदेन और शेष राशि कंपनी स्तर पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। असंतुलित शेषों के उपरोक्त शुद्ध राइट-बैक का विभिन्न वित्तीय विवरण पंक्ति वस्तुओं पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, लेन-देन के अनुसार विवरण की उपलब्धता की कमी के कारण, वास्तविक प्रभाव की पहचान और रिपोर्ट नहीं की जा सकती है।

ड.) देय खरीद और व्यापार के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया

विभिन्न शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों को पढ़ने के आधार पर, खरीद और भुगतान संबंधी प्रक्रिया के संबंध में कई कमियां पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण हुई। जैसा कि आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) इकाई के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है, यह देखा गया कि निर्माणी में माल प्राप्त होने और निरीक्षण पूरा होने पर खरीदारी बुक की जाती है। हालाँकि, यह देखा गया कि लेखांकन प्रणाली में जिस लागत पर खरीदारी दर्ज की जाती है, वह आवश्यक रूप से खरीद चालान में उल्लिखित सामान की वास्तविक लागत से मेल नहीं खाती है।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि सामान की खरीद की बुकिंग के समय खरीद आदेश के अनुसार दर मेल नहीं खाती है और कई बार खरीद सामग्री की परंपरागत भारित औसत लागत पर बुक की जाती है, न कि खरीद चालान के अनुसार वास्तविक कीमत पर।

भुगतान खरीद चालान के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य पर किया जाता है। भुगतान करते समय, मूल्य अंतर को ध्यान में रखने के लिए एक कार्यक्रम चलाना आवश्यक है।स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर मामलों का प्रभाव (अर्थात अवैतनिक चालान या गैर-अद्यतन चालान दर) यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, इसका इन्वेंट्री मूल्यांकन और उपभोग की लागत पर भी समान प्रभाव पड़ेगा। उसी के मद्देनजर, खरीद, खपत और देय राशि की उचित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

इसके अलावा, जैसा कि गोला बारूद फैक्टरी खड़की (एएफके) के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, खरीद चालान आम तौर पर समग्र रूप से खातों की किताबों में दर्ज किए जाते हैं और आंशिक रूप से हिसाब नहीं किया जाता है। आगे यह भी देखा गया कि एएफफके में खरीद चालान एमआईएस के आधार पर खातों की पुस्तकों में बुक/दर्ज किए जाते हैं, न कि चालान के अनुसार या समग्र रूप से चालान के आधार पर। जैसा कि एएफके शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा आगे बताया गया है, 1 अप्रैल, 2022 को देय व्यापार की प्रारंभिक शेष राशि रुपये 18.18 करोड़ से अधिक बताई गई थी। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों के अनुसार समापन शेष की तुलना में ये शेष राशि बिना किसी प्राधिकरण या अनुमोदन के वर्ष के दौरान वापस लिखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए लाभ को रुपये18.18 करोड़ से अधिक बताया गया है।

इसके अलावा, जैसा कि आयुध निर्माणी चांदा के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, लेखांकन प्रणाली सामान्य खाता शेष के साथ विधिवत मिलान करते हुए आपूर्तिकर्ता को अग्रिम सहित व्यापार देय शेष की पार्टी-वार और चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है। आगे प्रबंधन ने आपूर्तिकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है और 31 मार्च, 2023 तक समाधान नहीं किया है। अत: हम खरीद की पूर्णता और सटीकता और देय व्यापार के अस्तित्व और आपूर्तिकर्ता शेष के लिए अग्रिम के संबंध में पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

इसके अलावा, जैसा कि आयुध निर्माणी बोलांगीर के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा लेखा परीक्षकों को प्रदान किए गए जीएसटीआर 2बी के साथ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेटा के बीच मिलान विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि रु.25.35 करोड़ (कुल2214 चालान) का कर योग्य मूल्य जीएसटीआर २बी में दिखाई दे रहा है, परंतु

टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बुक नहीं किया गया है। जिसके कारण इकाई द्वारा की गई खरीद के लेखांकन की पूर्णता और सटीकता के संबंध में गलत विवरणी हुई।

जैसा कि गोला बारूद निर्माणी, खड़की और आयुध निर्माणी बोलांगीर के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया हैकि विक्रेताओं के खाते में अग्रिम राशि रु 60.07 करोड़ और रु. 33.47 करोड़ में डेबिट की गई। लेकिन सत्यापन के लिए पार्टी–वार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

जैसा कि आयुध निर्माणी खमरिया के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि लेनदारों / देयताओं, देनदारियों/आकस्मिक देनदारियों की शेष राशि और तीसरे पक्ष से भुगतान/प्राप्त अग्रिमों के असमायोजित शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी और सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के अलावा, भाग II देखें जिसमें संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई इकाई वार टिप्पणियां शामिल हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वित्तीय विवरणों में बताई गई खरीद, खपत और देय शेष (आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम सहित) को वास्तव में गलत बताया गया है। इसके अलावा, इन्वेंट्री मूल्यांकन पर परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

च) बिक्री और व्यापार प्राप्य के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया

विभिन्न शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों को पढ़ने के आधार पर, बिक्री और व्यापार प्राप्य से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कई कमियां देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरणी हुई।
जैसा कि आयुध निर्माणी खमरिया के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है,
शाखाओं द्वारा की गई वस्तुओं की बिक्री को पीपीसी नामक लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, जिससे एक्सेल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिक्री की बुकिंग के लिए आधार माना जाता है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिक्री की बुकिंग के समय, ऐसी बिक्री पर देय जीएसटी का हिसाब लगाया जाता है। आगे, ऑडिट के दौरान, यह नोट किया गया कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिक्री की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन प्रविष्टि जनवरी, 2023 से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद बैक–डेटेड प्रविष्टि के माध्यम से पारित की गई है। जबकि ग्राहकों से व्यापार प्राप्तियों और अग्रिमों का संतुलन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है। ग्राहकों से प्राप्त आगे के भुगतान को चालान स्तर पर समायोजित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, देनदारों की लंबित पुष्टिको ध्यान में रखते हुए, ग्राहक से प्राप्त होने वाली चालान–वार बकाया शेष राशि और ग्राहक से प्राप्त अग्रिमों की विस्तृत सूची किसी भी लेखांकन प्रणाली से सत्यापित नहीं की जा सकी।

इसके अलावा आयुध निर्माणी बोलांगीर के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई कि पीपीसी पैकेज के अनुसार कुल 'पी' वाउचर मूल्य (बिक्री) रुपये 478.73 करोड़ है। जबकि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अनुसार उत्पादन वस्तुओं की बिक्री और स्टोर की बिक्री का कुल बिक्री मूल्य रु 499.26 करोड़. है। जीएसटीआर 3 बी के अनुसार बिक्री का कुल कर योग्य मूल्य रु. 551.34 करोड़ है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और जीएसटीआर 3 बी के अनुसार बिक्री का मिलान सत्यापन के लिए शाखा लेखा परीक्षकों को प्रदान नहीं किया गया।

जैसा कि एएफके और ओएफ–बोलांगीर के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि ग्राहकों से क्रमशः रुपये 91.43 करोड़ और रु. 98.99 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का एमआईएल एचओ खाते के अनुसार शेष राशि के साथ मिलान नहीं किया गया तथा उस आधार पर प्रविष्टियां नहीं की गई । आयुध निर्माणी बोलांगीर में यह देखा गया कि दिन–प्रतिदिन के आधार पर प्रविष्टियों को पारित करने के बजाय, एमआईएल मुख्यालय खाते के अनुसार शेष राशि और ओएफबीएल पुस्तकों के अनुसार 31/ 03/2023 शेष राशि के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करने वाली 'एमआईएल मुख्याकलय के साथ असंतुलित डेबिट शेष कथन के साथ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक एकल प्रविष्टिकी जाती है ।

ग्राहकों से व्यापार प्राप्य और अग्रिम की शेष राशि संबंधित पक्षों से पुष्टिऔर/या जैसा भी मामला हो, पुष्टि के अधीन है । ऐसी पुष्टिऔर समाधान लंबित होने और 1 अप्रैल, 2022 तक व्यापार प्राप्तियों के शुरुआती शेष के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अपेक्षित जानकारी की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए, परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है ।

छ) इन्वेंटरी

i. इन्वेंटरी का अस्तित्व

शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, यह नोट किया गया कि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 तक इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है । हालाँकि, नोट किए गए मतभेदों का उचित विश्लेषण नहीं किया गया था और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटने सहित इसके लेखांकन प्रभावों को खातों की पुस्तकों में नहीं लिया गया था ।

जैसा कि आयुध निर्माणी खमरिया के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि रुपये 57.47 करोड़ और रुपये 54.31 करोड़ की अतिरिक्त सूची का मूल्यांकन नहीं किया गया और पूर्व अवधि के शेष और चालू वर्ष से संबंधित अंतरों के पुनर्विवरण की आवश्यकता वाले अंतरों में विभाजित किया गया । इसके अलावा शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा समय–समय पर बदलता रहता है । हालाँकि, उपर्युक्त गणना अंतर नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट किए गए थे। डेटा में निरंतर परिवर्तन के कारण ओएफफ्रके स्थान पर इन्वेंट्री की पूर्णता और अस्तित्व पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है ।

इसके अलावा, जैसा कि एएफके के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन उचित तरीके से नहीं किया गया था । इसके अलावा अग्रिम मार्गदर्शन और ऑडिट आवश्यकताओं के संचार के बावजूद, इकाई में इन्वेंट्री की उच्च मात्रा को देखते हुए इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन करने के लिए शाखा लेखा परीक्षकों को पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था । एएफके के शाखा लेखा परीक्षकों ने आगे देखा कि रुपये 67 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री उचित मूल्यांकन और अनुमोदन के बिना वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दी गई।

ii. एनआरवी सहित मूल्यांकन

शाखा लेखा परीक्षकों की ऑडिट रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, यह नोट किया गया कि गलत खरीद लेखांकन का प्रभाव, जैसा कि ऊपर पैरा ई के तहत वर्णित है और ऊपर पैरा डी के तहत वर्णित असंगत इंटरयूनिट शेष को बट्टे खाते में डालने के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2023 को इन्वेंट्री का गलत मूल्यांकन हो रहा है । इन्वेंट्री मूल्यांकन पर शाखावार टिप्पणियों के लिए इस अनुलग्नरक की धारा II को देखें ।

जैसा कि ओएफके और एएफके के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, अंतर इकाई इन्वेंट्री के संबंध में, अप्राप्त लाभ या हानि के उन्मूलन की पहचान नहीं की गई थी और व्यक्तिगत इन्वेंट्री स्तर पर इसका हिसाब नहीं लगाया गया था। प्रदर्शन किए गए प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, यदि ऐसे समायोजन किए जाते हैं तो उनका प्रभाव महत्वहीन होगा। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है, और इसलिए, प्रबंधन के निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित कारणों से वास्तविक लागत से कम या अधिक मूल्य पर इन्वेंट्री का मापन, इसके परिणामस्वरूप शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) का गलत मूल्यांकन होगा। इसलिए, कम लागत या एनआरवी पर इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में इंडस्ट्रीज़ एएस २ 'इन्वेंटरीज़' के अनुपालन को सत्यापित नहीं किया जा सका।
इसके अलावा, जैसा कि एएफके के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जीआईटी में खरीद पर जीएसटी घटक शामिल था, जिसके कारण इन्वेंट्री रुपये लगभग6.41 करोड़.से अधिक बताई गई थी।

iii) नॉन मूविंग और स्लो मूविंग प्रावधान

शाखा लेखापरीक्षकों को दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और उन्हें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से यह देखा गया कि प्रबंधन द्वारा नॉन मूविंग और स्लों मूविंग इन्वेंटरी के लेखांकन प्रभाव का मूल्यांकन न कर इसे सामान्य के अनुसार मूल्यांकित किया गया। अप्रयुक्त/निष्कासित इन्वेंटरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अचल स्टॉक के प्रावधान के बारे में कोई नीति नहीं है। प्रबंधन मूल्यांकन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

यह भी देखा गया कि इन्वेंटरी की वास्तविक आवक संचलन और तदनुरूपी खरीद की बुकिंग अर्थात इन्वेंटरी का जावक संचलन और बिक्री की तदनुरूपी मान्यता मौजूदा लेखा प्रणाली से मेल नहीं खाती है, अत: अवधि समाप्त के समय यह देय और प्राप्य शेष राशि को कम करके आंका जा सकता है। हालांकि, इस जोखिम को कम करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण के अभाव में और पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
उपरोक्त कारणों और इस अनुलग्नीक के खंड II में बताई गई अन्य टिप्पणियों के कारण, 31 मार्च, 2023 तक की सूची को वास्तव में गलत बताया गया माना जाता है।

ज) जीएसटी संबंधित शेष और अन्य एफएसएलआई पर इसका प्रभाव

शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ने के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक खातों की पुस्तकों के अनुसार जीएसटी आईटीसी का मिलान संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देने वाली शेष राशि के साथ किया गया है। जैसा कि कुछ शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जीएसटी रिटर्न और खातों की किताबों के अनुसार खरीदारी में अंतर है, जिनका समाधान नहीं किया गया है। इसलिए, किताबों में दर्ज खरीद की घटना और पूर्णता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

इसके अलावा, खातों की किताबों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को जीएसटी देनदारी का दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न के साथ मिलान नहीं किया गया था। इसलिए, इसकी पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

अप्रचलित/अनुपयोगी इन्वेंट्री के कारण आईटीसी में कोई उलट फेर नहीं किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि एएफके के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जीआईटी के संबंध में खरीद के जीएसटी आईटीसी घटक को इन्वेंट्री मूल्य के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को जीएसटी आईटीसी शेष की गलत रिपोर्टिंग होगी।

उपर्युक्त कारणों और इस अनुलग्नक के खंड II में बताए गए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नोट की गई विभिन्न टिप्पणियों के कारण, खातों की पुस्तकों में दिखाई देने वाली जीएसटी आईटीसी शेष राशि की पूर्णता और पुनर्प्राप्ति और इसके परिणामस्वरूप वैधानिक अनुपालन पर प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

झ) प्रारंभिक खाता विस्तृत विवरण के बिना विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को संतुलित करता है

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में दी गई राय के अस्वीकरण और 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए शाखा वित्तीय विवरणों पर विभिन्न शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों को ध्यारन में रखते हुए, प्रबंधन द्वारा पूर्णता और अस्तित्व के संबंध में मूल्यांकन किया गया है। शेष चालू वर्ष या अगले वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ष के अंत के शेष भी पर्याप्त कामकाज और दस्तावेजों जैसे तीसरे पक्ष के शेष की पुष्टिआदि के साथ समर्थित नहीं थे। अत:31 मार्च, 2023 तक विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वर्ष के अंत के शेष पर शुरुआती शेष में गलत विवरण का प्रभाव पड़ सकता है। पहचाना और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

त्र) दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी, एक डीपीएसयू होने के नाते, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करती है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी के पास यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है कि क्या वर्ष के अंत में कोई कठिन अनुबंध हैं और क्या कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि के लिए प्रावधान करने की कोई आवश्यकता है। पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, वित्तीय विवरणों पर ऐसे समायोजन के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अत: हम इस पर कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

ट) कर व्यय

ऊपर वर्णित विभिन्न मामलों के कारण, लाभ और हानि के विवरण में बताए गए कर पूर्व लाभ को वास्तविक रूप से गलत बताया गया है, लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए कर पूर्व लाभ पर गणना किए गए परिणामी वर्तमान कर और आस्थगित कर प्रभाव को भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है। ग़लत बताया गया ऊपर उल्लिखित बिंदुओं में बताई गई आवश्यक जानकारी की उपलब्धता की कमी और मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्निक 'क' के खंड II में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए विभिन्न मामलों के कारण ऐसे गलत विवरणों के सटीक प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है।

ठ) निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति के गठन से संबंधित गैर-अनुपालन

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और अधिनियम की धारा 149 और अधिनियम की धारा 177 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक ऑडिट समिति का गठन नहीं किया है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी आवश्यक अनुपालन करने की प्रक्रिया में है और कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण ऐसे अनुपालन नहीं किए जा सके। ऐसी प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं थी और इन वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक कंपनी अधिनियम2013 के

प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था । हालांकि,हम कंपनी के वित्तीय विवरणों और कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य अनुपालनों पर उपर्युक्त गैर– अनुपालन के वित्तीयि प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है।

ड) आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि

वर्ष के दौरान, कंपनी को भारत सरकार से रु. 1067.83 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं तथा इसे आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में प्रकट किया गया है। शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति की तारीखें निम्नलिखित हैं :–

क्र.सं.	रसीद की तारीख	प्राप्त राशि (रु.करोड में)	60 दिन पूरे होने की तिथि	धनराशि वापस करने की नियत तिथी
1	29 सितंबर 2022	827.00	28 नवंबर 2022	13 दिसंबर 2022
2	27 मार्च 2023	240.83	26 मई 2023	10 जून 2023
	कुल	1,067.83		

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार, रिफंड के लिए देय शेयर आवेदन राशि को 'अन्य वित्तीय देयता' के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए । हालाँकि, कंपनी ने रुपये 827.00 करोड़ का खुलासा किया है । (ऊपर क्रम संख्या 1 देखें) जो वित्तीय विवरणों में अन्य वित्तीय देयता के बजाय इक्विटी के हिस्से के रूप में रिफंड के कारण है, जो कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूचीIII की आवश्यकता के अनुसार नहीं है ।

जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है कि कंपनी शेयर एप्लिकेशन मनी लंबित आबंटन के रूप में पूरी राशि के विरुद्ध शेयर आबंटित करने का इरादा रखती है, अत: इसे अन्य वित्तीय देयता के बजाय इक्विटी के तहत खुलासा किया गया है । कंपनी ने बाद में मई2023 के महीने में577.00 करोड़ रुपये के शेयर आबंटित किए हैं ।

ढ) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण और हस्ताक्षरित शाखा वित्तीय विवरण के बीच विसंगतियां ।

हमें सौंपे गए हस्ताक्षरित शाखा वित्तीय विवरणों और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के सत्यापन के आधार पर, हमने नीचे उल्लिखित विसंगतियों के कारण निम्नलिखित महत्वपूर्ण गलत विवरण नोट किए हैं।

गलत विवरण की प्रकृति	शाखा	एफएसएलआई / विवरण	कंपनी स्तर के वित्तीय विवरण के अनुसार	हस्ताक्षरित विवरण के अनुसार शाखा वित्तीय विवरण शाखा वित्तीय	पीएंडएल पर कुल प्रभाव डिबिट/(क्रेडिट)
प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण/वर्गीकरण	आ.नि.खमरिया आ.नि.खमरिया आ.नि.खमरिया	संचालन से राजस्व असाधारण वस्तुएँ प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	1,584.97 - 524.84	1,547.77 -14.02 576.06	37.20 14.02 -51.22
शाखा के वित्तीय विवरण एवं शाखा के खातों पर नोट्स (डेटा पैक) के बीच विसंगतियाँ	आ.नि.खमरिया	समापन कार्य प्रगति पर है जो 'प्रगति पर चल रहे कार्य की सूची में परिवर्तन' में दिखाई दे रहा है एवं तैयार माल (पी एंड एल नोट) इन्वेंटरी (बैलेंस शीट नोट) से रु. 51.22 करोड़ अधिक है।	लागू नहीं	लागू नहीं	51.22
	सीएफए	शाखा तुलन पत्र में बताए गए अनुसार संपत्ति संयंत्र उपकरण, शाखा नोट्स टू अकाउंट्स में बताए गए से रु. 1.45 करोड़ अधिक है।	लागू नहीं	लागू नहीं	1.45

ण) अन्य अवलोकन

i) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया आयकर रु. 13.68 करोड़ को अन्य वर्तमान संपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया है, इसे वर्तमान कर देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।अत:वर्तमान संपत्ति एवं वर्तमान कर देनदारियां दोनों रुपये से13.68 करोड़ अधिक बताई गई हैं ।

ii) नोट 20 – व्यापार देय के अनुसार, सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय शेष की कुल राशि रु. 47.38 करोड़ है, हालांकि कंपनी ने सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों को देय राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है।

iii) अनुलग्नक – ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – I

सम तारीख पर हमारी रिपोर्ट के शीर्षक, 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी CARO रिपोर्टों पर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते है:

i) (क)(क) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, आठ शाखाओं के संबंध में, कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे गए हैं। शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई इकाईवार टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
प्रधान कार्यालय (प्र.का.)	प्रधान कार्यालय ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है।
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	शाखा ने मात्रात्मक विवरण, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए पीपीई का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा है।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	शाखा ने मात्रात्मक विवरण, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए पीपीई का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा है। कई मामलों में, संपत्ति का स्थान, भूमि रिकॉर्ड से पहचान संख्या, मात्रात्मक विवरण आदि का संपत्ति रजिस्टर में उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक प्रारूप में पीपीई रजिस्टर नहीं रखा गया है । पूर्व एएफके द्वारा बनाए गए ब्लॉक बुक की सॉफ्ट कॉपी पीपीई के रिकॉर्ड के रूप में हमारे सामने पेश की गई थी, हालांकि यह नई कंपनी द्वारा वर्ष के लिए मूल्यह्रास आदि के अधिग्रहण की लागत जैसे विवरण नहीं देती है। हालांकि इकाई विभिन्न फर्नीचर के भौतिक कब्जे में है और कंप्यूटर, पीपीई रजिस्टर में किसी भी फर्नीचर और कंप्यूटर का उल्लेख नहीं किया गया है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रा–वार और स्थान–वार विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति की पहचान संख्या शाखा द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को सौंपी जाती है, संपत्ति वर्ग कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण एवं बनाए रखने की आवश्यकता है।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
आयुध निर्माणी देहूरोड	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति का विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। अचल संपत्ति रजिस्टर में मात्रा के अनुसार विवरण अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
आयुध निर्माणी खमरिया	कंपनी की शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	शाखा की संपत्ति को आयुध निर्माणी खमरिया की संपत्ति के साथ बनाए रखा गया है। अत: हम इस खंड पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	शाखा ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी भंडारा	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	यूनिट ने संपूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण शामिल हैं।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान को छोड़कर, जिसे अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया है, मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है । इसके अलावा, शाखा ने लेखा पुस्तकों के साथ-साथ अचल संपत्ति रजिस्टर में फर्नीचर एवं फिक्सचर को दर्ज नहीं किया है, भले ही वे भौतिक रूप से साइट पर उपलब्ध हों । पूर्व आ.नि.बोर्ड से भूमि के शीर्षक विलेख को MIL के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया है । शाखा ने पूर्ववर्ती आ.नि.बोर्ड द्वारा सौंपी गई अचल संपत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है ।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आयुध निर्माणी बोलंगीर ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान को छोड़कर मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसे अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया है, आगे कंपनी ने अचल संपत्ति रजिस्टर में फर्नीचर और फिक्सचर को दर्ज नहीं किया है, भले ही वे समान हों भौतिक रूप से साइट पर उपलब्ध हैं और पूर्ववर्ती लेखांकन नीति के अनुसार लाभ और हानि के लिए प्रभारित हैं।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
आयुध निर्माणी नालंदा	कंपनी ने पैरा 'योग्यता के लिए आधार' में उल्लिखित हमारी योग्यता के अधीन, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी वरणगांव	शाखा ने अचल संपत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दिखाया गया है। अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी छह इकाइयों को छोड़कर जहां शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे, को छोड़कर कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है। शाखा लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई इकाईवार टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है :

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
प्रधान कार्यालय (एचओ)	मुख्यालय ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	यूनिट के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, शाखा के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती संस्था ने पेटेंट अधिकार, लाइसेंस और सफल पुनर्मूल्यांकन और विकास परियोजना प्राप्त की थी। अत:हम मात्रात्मक विवरण एवं अमूर्त स्थिति उत्पन्न सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	शाखा के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। अत: CARO, 2020 का यह बिन्दु लागू नहीं होता है।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
आयुध निर्माणी भंडारा	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	इकाई ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने अचल संपत्ति रजिस्टर में अनुसंधान और विकास व्यय का खुलासा नहीं किया है जिसे आईएनडी एएस वित्तीय विवरण में अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आयुध निर्माणी बोलंगीर ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी नालंदा	कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी वरणगांव	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें सौंपी गई शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर,

- पांच शाखाओं के मामले में, संबंधित शाखा की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है तथा इस तरह के सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों को खाते की किताबों में उचित रूप से निपटाया गया है।
- एक शाखा के मामले में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। सत्यापन की आवृत्ति को उचित माना जाता है।
- पांच शाखाओं के मामले में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा शाखाओं की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। तदनुसार, विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, शाखा लेखा परीक्षक इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या विसंगतियों, यदि कोई है, को खाते की पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है।
- पांच शाखाओं के मामले में, संबंधित शाखा की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, तथापि पर्याप्त एवं उचित साक्ष्य की उपलब्धता की कमी के कारण विसंगतियां, यदि कोई हों, का पता नहीं लगाया जा सका है।

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए और हमारे द्वारा देखे गए विवरण नीचे दिए गए हैं :

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
प्रधान कार्यालय (एचओ)	परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रधान कार्यालय स्तर पर नहीं किया गया है।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	यह बताया गया कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न इमारतें और मशीनरी का बड़ा हिस्सा जो परिसंपत्ति रजिस्टर में हैं, या तो भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं या काम करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। अत: हमारी राय में, शाखा द्वारा बनाए गए पीपीई रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं हैं।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई ।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट यदि कोई हो तो विसंगतियों का विवरण प्रदान नहीं करती है, अत: हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के सत्यापन पर देखी गई भौतिक विसंगतियों का कोई प्रभाव है या नहीं । जैसा कि प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि संपत्ति के अन्य सभी वर्ग अर्थात भवन, फर्नीचर और फिक्सचर और कार्यालय उपकरण के लिए, भौतिक संपत्ति सत्यापन गतिविधि नहीं की जाती है।
आयुध निर्माणी देहूरोड	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के सत्यापन पर देखी गई भौतिक विसंगतियों का कोई प्रभाव है या नहीं । जैसा कि प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि संपत्ति के अन्य सभी वर्ग यानि भवन, फर्नीचर और फिक्सचर और कार्यालय उपकरण के लिए, भौतिक संपत्ति सत्यापन गतिविधि नहीं की जाती है ।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किसी कंपनी की शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, शाखा के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की एक नीति, दिशा और कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जा सकता है । हालाँकि, रिपोर्टों की जांच करने पर हमने पाया कि कई विसंगतियाँ मौजूद हैं जिनका विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध–क के खंड–II में बिंदु संख्या–5 में दिया गया है। अत:हम खंड की निम्नलिखित आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं: – (i) क्या ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गई और (ii) क्या खाते की किताबों में इसका ठीक से निपटान किया गया है

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	शाखा के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जा सके । इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन नहीं होने के कारण हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा समय के एक नियमित अंतराल पर (आमतौर पर वर्ष में एक बार) भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई ।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में शाखा के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई। दिनांक 31.03.2022 की शेष राशि को बहाल करके विसंगतियों को विधिवत ठीक किया गया है।
आयुध निर्माणी भंडारा	इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए अनुचित है ।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया है । अत:संपूर्ण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हमें प्रस्तुत नहीं की गई है ।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने पूर्ववर्ती आ.नि.बोर्ड से संपत्ति का हैंडओवर लेते समय और संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया है । अत: हम उपलब्ध रिकॉर्ड की तुलना में 31.03.2023 को भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते ।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आ.नि.बोलंगीर के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को 3 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में आ.नि.बोलंगीर के आकार को ध्यान में रखते हुए उचित है । और इसकी संपत्ति की प्रकृति. आ.नि.बोलंगीर ने 31/03/2022 तक फर्नीचर और फिक्सचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि को अचल संपत्ति नहीं माना है । अत: उसने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान इसका भौतिक सत्यापन नहीं किया है ।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने निगमीकरण अर्थात वित्तीय वर्ष अवधि 2022-23 में पहली बार अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन पर महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गई और ऐसी राशि द्वारा परिसंपत्तियों के मूल्य को समायोजित करके खातों की पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है ।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी नालंदा	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया गया ।हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई ।
आयुध निर्माणी वरणगांव	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, शाखा के पास सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को भौतिक रूप से सत्यापित करने का नियमित कार्यक्रम नहीं है ।

(ग) अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं क्योंकि सभी संपत्तियां पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियों को स्थानांतरित करने के लिए 29 सितंबर 2021 के समझौता ज्ञापन के तहत रक्षा मंत्रालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (डीपीएसयू) को स्थानांतरित की गई थीं। यह कंपनी ऐसे ही DPSUs में से एक है । तथापि जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने 'नए डीपीएसयू के नाम पर पूर्व आयुध निर्माणियों की भूमि को सौंपना' नामक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हमें बताया गया कि कंपनी के नाम पर टाइटल डीड के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय विवरण के लिए नोट41(बी)(i) देखें ।

(घ) कंपनी ने लागत मॉडल अपनाया है और इसलिए इस अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है ।

(ड.) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है । अत: आदेश के खंड3(i)(e) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

ii (क) हमारी राय में और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, छह शाखाओं को छोड़कर, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित एवं निर्णायक नहीं है। अत: विसंगतियों, यदि कोई हो, पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा बताए गए विवरण नीचे दिए गए हैं :

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
प्रधान कार्यालय (एचओ)	प्रधान कार्यालय के पास कोई सूची नहीं है । अत: आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	अत: हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री को उचित रूप से भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, और प्रबंधन द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन विश्वसनीय नहीं है ।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	स्टोर की सूची को अलग आंतरिक निरीक्षण विभाग द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इन्वेंट्री की अन्य वस्तुओं को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कि उचित है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परीक्षण जांच के आधार पर नियमित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालाँकि, इन्वेंटरी सत्यापन में पहचानी गई विसंगति को खातों की पुस्तकों में ठीक से नहीं निपटाया गया है। ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया के संबंध में, यह उचित है या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
आयुध निर्माणी देहूरोड	इन्वेंटरी सत्यापन में पहचानी गई विसंगति को खातों की पुस्तकों में ठीक से नहीं निपटाया गया है। ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया के संबंध में, यह उचित है या नहीं, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार प्रबंधन द्वारा ओएम में निर्धारित उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हालाँकि, शाखा ने वित्तीय वर्ष के अंत के बाद इन्वेंटरी का सत्यापन किया है, जिसके लिए टीम के सदस्यों द्वारा कोई उचित, विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत कामकाज तैयार नहीं किया गया है और हमें हमारी जिरह के लिए प्रदान किया गया है ताकि एक आश्वासन दिया जा सके। निष्कर्ष निकाला कि सत्यापन में देखी गई सभी भौतिक विसंगतियों को खाते की पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार कोई सूची नहीं रखी गई है। अतः CARO, 2020 का यह बिन्दु लागू नहीं होता है।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री को छोड़कर वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा सत्यापन की आवृत्ति उचित है और ऐसे सत्यापन के लिए कवरेज और प्रक्रिया उचित है। प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2023 तक तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री की पुष्टिकी गई है। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई, जो कि इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक थी।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऑडिटर की राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है; इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई और उन्हें लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित को छोड़कर उचित रूप से निपटाया गया है। WIP में इन्वेंट्री की मद है जिसे गुणवत्ता की समस्याओं(रू. 0.23 करोड) केकारण अस्वीकार कर दिया गया है। हमारी राय है कि लाभ/खातों का सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त करने के लिए खातों में पर्याप्त प्रावधान/बट्टेखाते में डाला जाना चाहिए।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी भंडारा	प्रबंधन ने पारगमन में माल और तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर, इस अवधि के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। अवधि के अंत में तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	यूनिट के पास कोई सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
आयुध निर्माणी चांदा	जैसा कि हमें बताया गया है और हमारे सामने प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर, हमारी राय में, हालांकि प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया गया है। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्य प्रणाली तैयार नहीं की गई है और शाखा लेखा परीक्षकों को क्रॉस चेकिंग के लिए प्रदान नहीं की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्यापन में देखी गई सभी भौतिक विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है या नहीं।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। खाते की पुस्तकों के साथ तुलना करने पर इन्वेंट्री के ऐसे भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
आयुध निर्माणी इटारसी	इन्वेंट्रीका भौतिक सत्यापन, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर किया गया है, हमारी राय के अनुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा लगाए गए आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा पहचाने गए भौतिक गलत विवरण की पहचान करने, पता लगाने और सही करने में सक्षम नहीं थे। इन्वेंट्री के लिए 10.70% की भौतिक विसंगतियां प्रबंधन द्वारा देखी गई हैं, और प्रबंधन ने इन्वेंट्री का मूल्यांकन रुपये से कम कर दिया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 6.78 करोड़ रुपये, ऐसी विसंगतियों को प्रबंधन द्वारा खातों की पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है।
आयुध निर्माणी नालंदा	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगतियां नहीं देखी गई, जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर10% या अधिक थीं।
आयुध निर्माणी वरणगांव	प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। अत: आदेश की धारा3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. इस अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए उक्त आदेश के खंड (iii)(ए), (iii)(बी), (iii)(सी), (iii)(डी), (iii)(ई) और (iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं हैं।

iv. कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत आने वाली पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिसूचित सीमा तक जनता से जमा मानी जाने वाली कोई भी जमा राशि या राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। हमें सौंपी गई शाखा ऑडिट रिपोर्टों पर विचार के आधार पर यह पाया गया है कि, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित आठ शाखाओं के मामले में, प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकॉर्ड नहीं बनाए गए हैं और बनाए नहीं रखे गए हैं। हालाँकि, शाखा लेखा परीक्षकों ने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	जैसा कि हमें बताया गया है, लागत रिकॉर्ड केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट किया गया है, हालांकि ऐसे खाते और रिकॉर्ड इस प्रकार बनाए और बनाए नहीं रखे गए हैं।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड निर्दिष्ट किया गया है, हालांकि ऐसे खाते और रिकॉर्ड इस प्रकार बनाए और बनाए नहीं रखे गए हैं।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित किया है। हालांकि, इकाई द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी देहूरोड	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित किया है। हालांकि, इकाई द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित किया है। हालांकि, इकाई द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है।
आयुध निर्माणी भंडारा	लागत रिकॉर्ड सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसलिए हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
आयुध निर्माणी चांदा	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार, शाखा में लागत लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।
आयुध निर्माणी वरणगांव	हमने शाखा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शाखा द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की समीक्षा नहीं की है, और उनका मानना है कि प्रथम दृष्ट्या, निर्दिष्ट खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए नहीं रखे गए हैं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित लेखा परीक्षकों की राय में, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित शाखाओं के मामले में वैधानिक बकाया को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित बकाया, जैसा लागू हो, कंपनी उचित प्राधिकारी सहित निर्विवाद वैधानिक जमा करने में नियमित है। 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वैधानिक बकाया का कोई बकाया नहीं है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार, एक कंपनी की शाखा ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 4 के तहत श्रम उपकर जमा करने में देरी की है। जैसा कि समझाया गया है हमारे यहां इस खाते की देनदारी हर छह माह के आधार पर जमा की जा रही है। हालाँकि पूरा डेटा उपलब्ध न होने के कारण हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
गोला बारूद निर्माणी, खडकी	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया आम तौर पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए जाते रहे हैं और उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है। हालाँकि, वैधानिक पोर्टल के अनुसार देय वैधानिक बकाया इकाई में रखे गए खातों से मेल नहीं खाता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक उप-धारा (क) में उल्लिखित वैधानिक बकाया का विवरण, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। जैसा कि शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इस प्रकार हैं :

शाखा का नाम	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रू.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहा विवाद लंबित है
आयुध निर्माणी भंडारा	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	8.98	01/06/2015 से 30/06/2017	सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई खाता पुस्तकों और रिकॉर्ड के संदर्भ में, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड3(viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ix. (क) चूँकि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) चूँकि कंपनी द्वारा कोई उधार नहीं लिया गया है, इसलिए जानबूझकर चूक करने वाले से संबंधित खंड3(ix)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और शाखा ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने कोई टर्म लोन नहीं लिया है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने सहयोगी के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सहयोगी के पास रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है । कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है ।

x. (क)कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है । तदनुसार, आदेश के खंड3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी को रुपये की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है। 1067.83 करोड़ जिसके विरुद्ध 31 मार्च, 2023 तक आवंटन नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं । हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के खंड ख को भी देखें ।

xi. (क)भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें सौंपी गई शाखा ऑडिटर रिपोर्टों के आधार पर कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हम साथ में थे । शाखा लेखा परीक्षकों को वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला देखा गया है या रिपोर्ट किया गया है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है ।

(ख) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्ट कंपनी एक्ट की धारा 143 की धारा की उप धारा (12) के तहत निर्दिष्टफॉर्मADT-4 में दाखिल नहीं की गई है । तदनुसार आदेश के खंड3(xi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

(ग) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान एक शाखा को छोड़कर, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है कंपनी को कोई भी व्हिसिल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है : –

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी नांलदा	हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसिल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

xii. चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 उस पर लागू नहीं होते हैं, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित चार शाखाओं के मामले को छोड़कर। इसके अलावा एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंडस्ट्रीज एएस 24, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है (भारतीय लेखा मानक)) नियम, 2015, यथासंशोधित। कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 के तहत आवश्यक ऑडिट समिति का गठन नहीं किया है। जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, कंपनी इसके संबंध में अनुपालन करने की प्रक्रिया में है। वित्तीय विवरण के लिए नोट 35 (बी)(ii) देखें। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में अनुलग्नक 'क' – खंड। भी देखें।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	चूंकि कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन से संबंधित उचित जानकारी और रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुपालन में हैं और क्या संपूर्ण विवरण का खुलासा किया गया है। आईएनडी एज़ 24 द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	चूंकि कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन से संबंधित उचित जानकारी और रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुपालन में हैं और क्या संपूर्ण विवरण का खुलासा किया गया है। आईएनडी एज़ 24 द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।
आयुध निर्माणी भंडारा	हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन के बारे में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया गया था।
आयुध निर्माणी वरणगांव	चूंकि शाखा एक पब्लिक लिमिटेड शाखा है, इसलिए ऑडिट समिति का गठन करना आवश्यक है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 शाखा पर लागू होती है। शाखा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण में विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv. (क)हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि तीन शाखाओं को छोड़कर, कंपनी के पास कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप शाखा स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
प्रधान कार्यालय (एचओ)	शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी देहूरोड	शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी खमरिया	(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, हमें प्रदान की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट (एक पृष्ठ) उचित, प्रभावी नहीं है और आंतरिक में शामिल किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ऑडिट जो आम तौर पर अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं के आंतरिक ऑडिट में किया जाता है। इन परिस्थितियों में और इस रिपोर्ट में उल्लिखित ऑडिट टिप्पणियों पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि किसी कंपनी की शाखा में उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक ऑडिट प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमारी जांच के लिए हमें कोई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हम खंड की आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं 'क्या कंपनी की शाखा में उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है'।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	केंद्र सरकार ने शाखा द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने का प्रावधान नहीं किया है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
आयुध निर्माणी भंडारा	कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इकाई के पास अधिनियम की धारा–138 के तहत आवश्यक एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा के पास आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है और हमें प्रदान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट किसी भी जानकारी प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आयुध निर्माणी बोलंगीर के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी इटारसी	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, शाखा में शाखा के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
आयुध निर्माणी नालंदा	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।
आयुध निर्माणी वरणगांव	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, शाखा के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि तेरह शाखाओं के संबंध में, कंपनी की अब तक जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए विचाराधीन है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां
प्रधान कार्यालय (एचओ)	हमने ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है, क्योंकि वह हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
गोला बारूद निर्माणी खड़की	हालाँकि शाखा में आंतरिक लेखापरीक्षा केवल वर्ष के अंत में की जाती है, समय–समय पर नहीं, लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई विभिन्न कमियों और कमियों पर शाखा द्वारा सही भावना से कोई संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है।

यूनिट का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट सत्यापन के लिए हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की गई थी और इस प्रकार ऑडिट के तहत अवधि के लिए आंतरिक ऑडिटर की रिपोर्ट पर वैधानिक ऑडिटर द्वारा विचार नहीं किया गया था।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	शाखा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
आयुध निर्माणी देहूरोड	शाखा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमने ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है, क्योंकि वह हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमने ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है, क्योंकि वह हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
कार्डाईट निर्माणी अरुवनकाडु	कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	यह धारा शाखा पर लागू नहीं है।
आयुध निर्माणी भंडारा	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें प्रदान की गई, हालांकि प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों / बिंदुओं का लेखा पुस्तकों में अनुपालन नहीं किया गया / सही नहीं किया गया।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए इकाई के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा अब तक जारी की गई रिपोर्टों पर विचार किया है।
आयुध निर्माणी चांदा	यह धारा शाखा पर लागू नहीं है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	हमें वर्ष के दौरान आयुध निर्माणी बोलंगीर को जारी की गई और मार्च 2023 तक की अवधि को कवर करने वाली आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है, इसलिए, हमारे द्वारा विचार नहीं किया गया है।
आयुध निर्माणी इटारसी	लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया।
आयुध निर्माणी नालंदा	हमने ऑडिट अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।
आयुध निर्माणी वरणगांव	हमें ऑडिट अवधि के लिए आज तक जारी शाखा की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट (यदि कोई हो) प्रदान नहीं की गई थी।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं तथा शाखा ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xvi. (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड3(xvi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं । इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और जैसा कि प्रबंधन द्वारा दर्शाया गया है, ग्रुप के पास ग्रुप के हिस्से के रूप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है ।

xvii. कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद घाटा नहीं हुआ है ।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, वित्तीय वृद्धि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर और आगे यह भी विचार करते हुए कि कंपनी रक्षा क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार की सक्रिय इक्विटी भागीदारी और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं । फिर भी , हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है । हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों, जब भी उनका बकाया हो का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा ।

xx. (क) अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है ।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर, बिना खर्च की गई राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है :

वित्तीय वर्ष	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर 'चालू परियोजनाओं के अलावा' खर्च न की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि	नियत तिथि के बाद हस्तांतरित राशि
2022-23	0.52 करोड	0.52 करोड	लागू नहीं

पी. जी. भागवत के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि.सं. 101118W/W100682

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 151638
यूडीआईएन : 2315638 बीजीक्यू जीजीजी 2023
स्थान – पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

अनुलग्नक ग – स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक , 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत
पैराग्राफ 2 (i) में संदर्भित :
वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत

हम 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (कंपनी) (जिसमें प्रधान कार्यालय और पंद्रह शाखाएं शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट करने में लगे हुए थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार किए गए हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं।

नीचे दिए गए राय के अस्वीकरण पैराग्राफ में वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर ऑडिट राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है।वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

हमारी कोई जवाबदारी नहीं है

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन की राय में, कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण (मार्गदर्शन नोट) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया।जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने की प्रक्रिया में है।

इस कारण से, हम अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर प्रतिकूल राय जारी किया है। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में प्रतिकूल राय का आधार पैराग्राफ देखें।

अन्य मामले

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, जहां तक यह पंद्रह शाखाओं से संबंधित है, ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है । इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

पी. जी. भागवत के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि.सं. 101118W/W100682

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 151638
यूडीआईएन : 2315638 बीजीक्यू जीजीजी 2023
स्थान – पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

अनुलग्नक घ – अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ मेंऔर लेखा पुसत्कों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा, दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण हमारे लिए और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्टों पर विचार के आधार पर और प्रतिकूल राय के हमारे आधार में निर्दिष्ट मामलों के अधीन, हम उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण नीचे देते हैं।

अधिनियम की धारा143 की उपधारा(5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश

क्र.सं.	निर्देश और अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियों
1	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो स्पष्ट करें।	कृपया हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के खंड ख के तहत पैरा क और भाग 'ख' देखें। इसके अलावा, प्रतिकूल राय पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रभावों पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या FU/FU/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों पर भी लागू होता है।)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है और उसके पास कोई मौजूदा ऋण नहीं है। अत: यह धारा लागू नहीं होती।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त नहीं होती है। हालाँकि, ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू वर्ष के दौरान किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार से राहत की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि से संबंधित है, जो पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से संबंधित है। हालाँकि, चूंकि यह केंद्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों की विशिष्ट योजना के तहत निर्दिष्ट अनुदान या सब्सिडी की प्रकृति में नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

क्र.सं.	निर्देश और अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियों
4	क्या कंपनी ने आईएनडी एएस और भारत सरकार के आदेश या निर्देश के अनुसार पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड की संपत्तियों और देनदारियों को नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया है ? यदि कोई विचलन है, तो विचलन की प्रकृति और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड की संपत्ति और देनदारियों को Ind AS और भारत सरकार के आदेश या निर्देशों के अनुसार नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दी गई हैं। हालाँकि व्यवसाय पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में अर्जित संपत्तियों और देनदारियों की पूर्णता के संबंध में पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य की कमी के कारण और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि ये शेष राशि किसी भी स्वतंत्र लेखा परीक्षक या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधीन नहीं थी। यदि कोई हो, तो हम विचलन सहित पूर्णता, पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यवसाय पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में अर्जित संपत्ति और देनदारियों की शेष राशि को भी बहाल कर दिया है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी अभी भी शुरुआती शेष के सत्यापन की प्रक्रिया में है और आगे के समायोजन, यदि कोई हो, की पहचान बाद के वर्षों में की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आगे पुनर्कथन हो सकता है। इसलिए, हम विचलन सहित, यदि कोई हो, कंपनी में स्थानांतरित परिसंपत्तियों और देनदारियों की पूर्णता और सटीकता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के खंड 'ख'–भाग 'क' में क्रम संख्या ग भी देखें।
5	क्या कंपनी ने वाणिज्यिक प्रारूप में प्रधान लेखा नियंत्रक (वित्तीय) द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार नए गठित डीपीएसयू की संपत्तियों और देनदारियों के शुरुआती शेष को पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के समापन शेष के साथ समेट लिया है? देखी गई विसंगतियां (यदि कोई हो) और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव बताया जा सकता है।	1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन के कारण कंपनी द्वारा अर्जित संपत्ति और देनदारियों की शेष राशि, भारत के किसी भी स्वतंत्र लेखा परीक्षक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट के अधीन नहीं थी। ये बकाया 30 सितंबर, 2021 को रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा बनाए गए संबंधित इकाइयों के खातों की अलेखापरीक्षित पुस्तकों से लिए गए थे, जिसके लिए इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का विस्तृत विवरण और पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के समापन शेष के साथ उनका मिलान किया गया था। प्रधान लेखानियंत्रक (वित्तीय) द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया जा सका। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यवसाय पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में अर्जित संपत्ति और देनदारियों की शेष राशि को भी बहाल कर दिया है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी अभी भी शुरुआती शेष के सत्यापन की प्रक्रिया में है और आगे के

क्र.सं.	निर्देश और अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियों
		समायोजन, यदि कोई हो, की पहचान बाद के वर्षों में की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आगे पुनर्कथन हो सकता है। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के खंड 'ख'-भाग 'क' में क्रम संख्या 'ग' भी देखें। इसके अलावा, हमने 31 दिसंबर, 2022 की हमारी रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न मामलों के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया है।
6	क्या कंपनी ने कंपनी के गठन की तारीख पर अन्य डीपीएसयू के साथ अंतर-निर्माणियों शेष राशि का समाधान किया है और क्या अन्य डीपीएसयू से उनके कारण/बकाया शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है? प्रत्येक डीपीएसयू के लिए असमाशोधित शेष राशि, यदि कोई हो, बताएं।	जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, कंपनी के गठन की तारीख तक अन्य डीपीएसयू के साथ अंतर-फैक्टरी शेष का मिलान शाखा लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, हमने 31 दिसंबर, 2022 की हमारी रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न मामलों के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया है।
7	क्या डीपीएसयू द्वारा लेखांकन नीतियां Ind AS के प्रावधानों के अनुसार और रक्षा क्षेत्र पर लागू विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई हैं? असंगति, यदि कोई हो, बताएं।	हाँ, लेखांकन नीतियों को डीपीएसयू द्वारा Ind AS के प्रावधानों के अनुसार और रक्षा क्षेत्र पर लागू विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
8	क्या डीपीएसयू के गठन की तिथि पर कर्मचारी लाभ देनदारियों और उनके मूल्यांकन के प्रावधान Ind AS के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं? विचलन, यदि कोई हो, बताएं।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत तत्कालीन ओएफबी के कर्मचारियों को दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1 (5) /2021 / ओएफ/ डीपी (पीएलजी-वी)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021। उक्त ओएम के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए वेतन भत्ते , छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देनदारी केंद्र सरकार की बाध्यता बनी रहेगी। इसलिए, कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्तों के प्रावधान को वित्तीय विवरणों में IND-AS 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के दायित्व हैं न कि कंपनी के। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के**एम्फेसिस ऑफ मैटर** पैराग्राफ को भी देखें।

पी. जी. भागवत के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि.सं. 101118W/W100682

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 151638
यूडीआईएन : 2315638 बीजीक्यूजीजीजी 2023
स्थान - पुणे दिनांक - अक्टूबर 13, 2023

गोपनीय/स्पीड पोस्ट सं.84/टी-459/एमआईएल/अकाउंट्स/2023-24 दिनांक:12/12/2023

कार्यालय
महानिदेशक लेखा परीक्षा
आयुध निर्माणियां कोलकाता

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय,
दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड,
येरवडा, पुणे-411005

विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा143 (6) (I) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए।

संलग्नक: यथोक्त ।
आपका,

(सरत चतुर्वेदी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणियाँ)
कोलकाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर धारा के अंतर्गतअधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 13 अक्टूबर 2023 की इस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक एवं कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(I) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं ।

वित्तीय स्थिति की टिप्पणी
तुलन पत्र
गैर–चालू परिसंपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण{नोट4(क)}	: रुपये3305.17 करोड़
पूर्ण स्वामित्वं वाली भूमि	: रुपये73.09 करोड़

उपरोक्त में रु. 27093.01 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है, जो कि पंजीकृत मूल्यांकन कर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (रुपये 27166.10 करोड़) एवं कंपनी द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (रुपये 73.09 करोड़) का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप संपत्ति और अन्य इक्विटी में रुपये27093.01 करोड़ की कमी बताई गई है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(सरत चतुर्वेदी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणियां) कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12.12.2023

सी एण्ड एजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

सं. एमआईएल/फाय./ऑडिट /सीएजी/एमआईएल रिस्पोंस /2022-23 दिनांक . 13.12.2023

सेवा में
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय,
आयुध निर्माणियां ,
कोलकाता

(ध्यानाकर्षण : श्री सरत चतुर्वेदी, महानिदेशक लेखापरीक्षा)

विषय: सीएजी ऑडिट रिपोर्ट एवं टिप्पणियों पर एमआईएल की प्रतिक्रिया।
संदर्भ: (i) पत्र सं. 84/टी-459/एमआईएल/अकाउंट्स/2023-24 दिनांक 12/12/2023 के द्वारा सीएजी की टिप्पणियाँ

1. उपरोक्त संदर्भित पत्रों के जवाब में, एमआईएल की प्रबंधन प्रतिक्रिया नीचे दी गई है –

1.1. 31 मार्च2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143(6) (बी) के अंतर्गत सीएजी की टिप्पणियाँ:

उपरोक्त में रुपये 27093.01 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो कि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (रुपये 27166.10 करोड़) एवं कंपनी द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (रुपये 73.09 करोड) का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने का परिणाम यह हुआ कि संपत्ति और अन्य इक्विटी में रुपये 27093.01 करोड़ की कमी आई है।

एमआईएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आयुध निर्माणी बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सात अलग-अलग कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की। तदनुसार,भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के एक संलग्न कार्यालय, आयुध निर्माणी बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत भारत सरकार द्वारा सात अलग-अलग पूर्ण स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की । तदनुसार, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(पीएलजी-V)/01 के माध्यम से एम्युनिशन एवं विस्फोटकों के उत्पादन से संबंधित (इस नोट के प्रयोजन के लिए 'व्यवसाय' के रूप में संदर्भित) पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के 12 उत्पादन यूनिटों एवं4 गैर-उत्पादन यूनिटों को1 अक्टूबर,2021 से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया ।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से शस्त्र एवं गोला-बारूद का व्यवसाय संभालने के लिए नवगठित इकाई थी। अत: कंपनी पुनर्गठन के समय व्यवसाय की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाई। तदनुसार, इस लेन-देन को सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यापार संयोजन के रूप में नहीं, बल्कि पूंजी पुनर्गठन के रूप में माना जाता है। पूंजी पुनर्गठन के लिए लेखांकन पर इंडस्ट्रिज-AS के तहत कोई मार्गदर्शन नहीं है।हालाँकि, चूँकि पुनर्गठन से पहले एवं बाद में व्यवसाय

(अर्थात, भारत सरकार द्वारा)सामान्य नियंत्रण में रहा है,प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इंडस्ट्रिज –AS 103 में परिशिष्ट ग के प्रावधानों को लागू करना उचित है जो इंडस्ट्रीज –AS 103 द्वारा प्रदान की गई नीति विकल्प के अनुसार सामान्य नियंत्रण के तहत व्यापार संयोजनों से संबंधित है । तदनुसार, इंडस्ट्रीज –AS 103 के परिशिष्ट 'ग' के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी ने लेखांकन नीतियों को उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रभाव के लिए समायोजित उनके मौजूदा वहन मूल्यों पर हस्तांतरित व्यवसाय की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का लेखा–जोखा लगाया है ।

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड सरकारी विभागों पर लागू सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार व्यवसाय का लेखा–जोखा रखता था। कंपनी ने स्वेच्छा से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज–AS) को अपनाया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि सामान्य वित्तीय नियमावली कंपनी में स्थानांतरण से पहले व्यवसाय द्वारा अपनाए गए पिछले GAAP हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरण कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं। चूँकि कंपनी नवगठित निगमित हुई थी, इसकी आरंभिक तिथि अर्थात निगमन की तिथि तक इसके पास कोई संपत्ति या देनदारियाँ नहीं थीं। हालाँकि, चूंकि आयुध निर्माणी बोर्ड की कुछ इकाइयों का व्यवसाय एमआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था, प्रबंधन ने निर्धारित किया कि कंपनी हस्तांतरित व्यवसायों के संबंध में पहली बार अपनाने वाली हो सकती है।

तदनुसार, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इंडस्ट्रीज –AS 101 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध छूट एवं अपवादों को वहन मूल्य वाली संपत्तियों तथा देनदारियों पर लागू किया जाना चाहिए और फिर एमआईएल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

कंपनी ने हस्तांतरण की तिथि के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के मूल्य पर डीम्ड लागत लागू की है ।

अत: उचित मूल्य के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं है एवं संपत्ति तथा आरक्षित पूंजी का कोई कम विवरण नहीं है।

(पी.के.पाण्डे)
महाप्रबंधक/वित्त
सीएमडी/एमआईएल के लिए

तुलन पत्र

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2023 तक की तुलन पत्र
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को पुनर्विवरण
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट और उपकरण	4 (क)	3,305.17	2,877.46
पूंजीगत कार्य जारी	4 (क)	1,409.65	1,444.58
अवास्तविक परिसंपत्तियां	4 (ख)	71.28	87.49
विकास के अंतर्गत अवास्तविक परिसंपत्तियां	4 (ग)	56.46	4.61
इंवेंटरी	5	30.08	39.21
वित्तीय संपत्तियां			
(क) निवेश	6	0.80	0.80
(ख)सरकार से प्राप्त	7	0.95	3.43
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	8	10.92	5.67
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		4,885.31	4,463.25
चालू परिसंपत्तियां			
इंवेंटरी	9	4,314.44	2,938.30
वित्तीय संपत्ति			
(क) व्यापार प्राप्तियां	10	1,406.57	764.24
(ख) रोकड़ और समतुल्य	11	3,249.98	2,978.54
(ग) सरकार से प्राप्त	12	203.76	355.79
(घ) अन्य वित्तीय संपत्ति	13	26.91	14.85
अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	1,203.42	678.04
कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,405.08**	**7,729.76**
कुल परिसंपत्तियां		**15,290.39**	**12,193.01**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी शेयर पूंजी	15	33,737.66	1,232.31
व्यापार पुनर्गठन पर लंबित इक्विटी शेयरों का मुद्दा (नोट 39 देखें)	15	5.25	32,510.60
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित है	15	1,067.83	-
अन्य इक्विटी	16	(27,330.13)	(27,403.47)

	नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को पुनर्विवरण
कुल इक्विटी		7,480.62	6,339.44
उत्तरदायित्व			
गैर चालू उत्तरदायित्व			
वित्तीय उत्तरदायित्व.			
अन्य वित्तीय उत्तरदायित्व	17	5.86	3.60
प्रावधानों	18	2,917.62	2,985.31
विलंबित कर उत्तरदायित्व	19	13.97	3.23
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ		**2,937.45**	**2,992.14**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
(क) व्यापार देनदारियां	20		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		86.09	8.07
(ii) उपरोक्त (ए)(i) के अलावा कुल बकाया		734.80	562.46
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	202.59	190.08
वर्तमान कर देनदारियां	22	21.28	3.48
अन्य वर्तमान देनदारियां	23	3,827.56	2,097.34
कुल वर्तमान दायित्व		**4,872.32**	**2,861.43**
कुल देनदारियां		**7,809.77**	**5,853.57**
कुल शेयर और देनदारियां		**15,290.39**	**12,193.01**

पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें।

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 41

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

पी जी भागवत एलएलपीके लिए
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्यी: 101118W/W100682

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्य ता संख्या: 151638

रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283919

प्रकाश अग्रवाल
सीएफओ एवं वित्त निदेशक
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

लाभ और हानि विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनः बताना *
संचालन से राजस्व	24	4,652.18	2,571.55
अन्य आय	25	299.44	44.58
कुल आय		4,951.62	2,616.13
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	2,650.96	1,046.21
प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	27	(680.04)	283.38
कर्मचारी लाभ व्यय	28	2,041.78	920.87
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	170.04	85.02
अन्य व्यय	30	666.99	250.17
कुल व्यय		4,849.73	2,585.66
कर देने से पूर्व लाभ		101.89	30.47
आयकर खर्च			
– वर्तमान कर	31	17.80	5.55
– स्थगित कर	31	10.74	3.23
कुल कर व्यय		28.54	8.78
इस साल का मुनाफा		73.35	21.69
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		73.35	21.69
प्रति शेयर आय भारतीय रूपए में बेसिक और डाइल्यूटेड (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	38	0.02	0.01

	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनः बताना *
* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें ।	1 से 41		
संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं ।			
संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार ।			

पी जी भागवत एलएलपीके लिए
फर्म रजिस्ट्रेएशन संख्या: 101118W/W100682

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 151638

रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283919

प्रकाश अग्रवाल
सीएफओ एवं वित्त निदेशक
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

नकदी प्रवाह का विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

नकदी प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आयकर से पहले लाभ	101.89	30.47
इनके लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	170.04	85.02
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(1.67)	-
प्राप्त ब्याज	(190.59)	(20.39)
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन :		
व्यापार प्राप्य में(वृद्धि)/ कमी	(642.33)	(516.80)
इन्वेंट्री में (वृद्धि) /कमी	(1,367.01)	290.21
व्यापार देय में वृद्धि/ (कमी)	250.36	315.07
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(9.58)	22.28
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	14.77	58.47
अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(493.99)	(314.83)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(67.70)	(14.69)
सरकार से प्राप्य में(वृद्धि)/ कमी	152.03	262.44
वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	1,711.82	1,704.92
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(371.96)	1,902.17
आय करों का भुगतान	(31.38)	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(403.34)	1,902.17
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(61.07)	(179.45)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	6.78	
पूंजीगत कार्य के लिए भुगतान प्रगति पर है	(475.72)	-
अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान	(53.64)	(13.42)
प्राप्त ब्याज	190.59	20.39
आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में अर्जित नकदी (नोट 39 देखें)	-	16.54
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(393.05)	(155.94)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय	-	1232.31

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण
शेयर आवेदन राशि से प्राप्त आय	1067.83	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	1,067.83	1,232.31
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	271.43	2,978.54
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	2,978.54	-
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	3,249.98	2,978.54

नोट II के अनुसार	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंकों के पास शेष	-	-
– चालू खातों में	244.43	710.18
– ईईएफसी खाते में	24.00	-
तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएँ	2,981.54	2,268.36
हाथ में नकदी	0.01	-
कुल	3,249.98	2,978.54

* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें।

गैर–नकद निवेश गतिविधियों में रुपये की राशि के लंबित इक्विटी शेयरों के रूप में मार्च 2023 के लिए शून्य (मार्च 2022 – रु. 32,510.60)व्यवसाय पुनर्गठन पर विचार शामिल है। विवरण के लिए नोट 39 देखें।

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

पी जी भागवत एलएलपीके लिए
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्यी: 101118W/W100682

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 151638

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283919

प्रकाश अग्रवाल
सीएफओ एवं वित्त निदेशक
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

इक्विटी के परिवर्तनों का कथन

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
इक्विटी के परिवर्तनों का कथन
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	नोट	राशि
17 अगस्त 2021 तक	15	-
इक्विटी शेयर जारी करना		1,232.31
31 मार्च 2022 तक		1,232.31
इक्विटी शेयर जारी करना (नोट 39 देखें)		32,505.35
31 मार्च 2023 तक		33,737.66

ख. अन्य इक्विटी

	नोट	व्यापार पुनर्गठन पर इक्विटी शेयरों का मुद्दा लंबित है	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित है	अन्य इक्विटी			कुल
				संपत्ति कोष	प्रतिधारित कमाई	कुल भंडार और अधिशेष	
17 अगस्त 2021 तक	16	-	-	-	-	-	-
आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन पर	39	32,724.50	-	(27,425.16)	-	(27,425.16)	5,299.34
अवधि के लिए लाभ		-	-	-	301.48	301.48	301.48
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक		32,724.50	-	(27,425.16)	301.48	(27,123.68)	5,600.82
पुनर्विवरण*		(213.90)	-	-	3.59	3.59	(210.31)
31 मार्च 2022 को शेष राशि पुनर्विवरण		32,510.60		(27,425.16)	305.07	(27,120.09)	5,390.51
वर्ष का लाभ				-	73.35	73.35	73.35
मालिकों के साथ उनकी मालिक की हैसियत से लेन-देन				-		-	
प्राप्त आवेदन राशि		-	1,067.83	-	-	-	1,067.83
इक्विटी शेयर जारी करना		(32,505.35)	-	-	-	-	(32,505.35)
31 मार्च 2023 तक		5.25	1,067.83	(27,425.16)	378.42	(27,046.73)	(25,973.66)

* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें।
संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 से 41
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

पी जी भागवत एलएलपीके लिए
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101118W/W100682

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 151638

रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283919

प्रकाश अग्रवाल
सीएफओ एवं वित्त निदेशक
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं,जब तक उल्लेख न किया गया हो)

1. सामान्य जानकारी

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('MIL', या 'कंपनी') एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है,जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में स्थित है जिसे 17 अगस्त 2021 को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत सरकार के आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को निगमीकरण तथा पुनर्गठन करने के रुप में गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्माण का व्यवसाय संभालने के लिए शामिल किया गया था। एमआईएल भारतीय सशस्त्र बलों, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिक उपयोग के लिए रक्षा हार्डवेयर एवं उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाता है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की तैयारी तथा सारांश का आधार

यह नोट इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। इन नीतियों को प्रस्तुत किए गए सभी वर्षों में निरंतर लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.1 तैयारी का आधार

i. इंडस्ट्रीज-एएस के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) एवं अधिनियम के अन्यत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करता है।

ii. परंपरागत लागत विवरण

उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, परंपरागत लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार की गई है।

iii. वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी संपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (डिवीजन II) में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रुप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और संपति के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर उसकी प्रक्रिया करने तथा उनका नकद में वसूली करने तथा नकद समकक्षों के लिए कंपनी ने संपत्ति तथा देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह के रुप में इसका परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

iv. नए संशोधन जारी किए गए लेकिन वे प्रभावी नहीं हुए

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2023 जारी किया है, जिसमें कुछ लेखांकन मानकों में संशोधन किया गया है तथा वह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है।

नियम मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज एएस 12, आयकर एवं इंडस्ट्रीज एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में संशोधन करते हैं। इन नियमों द्वारा अधिसूचित इंडस्ट्रीज एएस में अन्य संशोधन मुख्य रूप से स्पष्टीकरण की प्रकृति में हैं। इन संशोधनों से कंपनी पर वर्तमान या भविष्य की रिपोर्टिंग अवधि में और निकट भविष्य के लेनदेन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। विशेष रूप से, इंडस्ट्रीज एएस 12 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप कोई बदलाव आवश्यक नहीं होगा क्योंकि कंपनी की वर्तमान लेखांकन नीति पहले से ही इन अनिवार्य नियमों का अनुपालन करती है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

क) विदेशी मुद्रा लेन– देन

(i) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का प्रयोग कर मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत की जाती है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा है।

(ii) लेन–देन और शेष राशि

लेन–देन की तारीखों पर विनिमय दरों का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के विनिमय से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है और शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

गैर–मौद्रिक वस्तु जो एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में किए जाते हैं, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग कर रिपोर्ट किए जाते हैं।

ख) राजस्व मान्यता

कंपनी अपने ग्राहक के साथ एक अनुबंध के लिए खाता बनाती है जब उसके पास दोनों पक्षों से अनुमोदन और प्रतिबद्धता होती है, पक्षों के अधिकारों की पहचान की जाती है, भुगतान शर्तों की पहचान की जाती है, अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ होता है एवं प्रतिफल की संग्रहणीयता संभावित होती है।

ग्राहक को सामग्री की आपूर्ति का हस्तांतरण करने का समान पैटर्न नहीं है क्योंकि यह समय के साथ संतोषजनक प्रदर्शन दायित्वों की शर्तों को पूरा नहीं करता है। अत: प्रत्येक उत्पाद का एक अलग प्रदर्शन दायित्व है।

कंपनी प्रत्येक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्व के मामले में राजस्व मान्यता के समय का आकलन करती है। कंपनी पहले यह आकलन करती है कि क्या राजस्व को समय के साथ पहचाना जा सकता है क्योंकि यह निम्न मानदंडों में से किसी को पूरा करता है:

(क) ग्राहक एक साथ लाभों का उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है, या

(ख) ग्राहक कार्य–प्रगति को नियंत्रित करता है, या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का अधिकार है।

यदि उपर्युक्त मानदंडों में से कोई भी पूरा नहीं होता है, तो कंपनी एक निश्चित समय पर राजस्व की पहचान करती है।

कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों में सामान्य तौर पर एकल प्रदर्शन दायित्व होता है। जो समय–समय पर निर्धारित किया जाता है जब सामग्री का नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है जो सामान्य तौर पर निर्धारित होता है जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार ग्राहक को स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी भुगतान के अपने वर्तमान अधिकार, सामग्री के कानूनी शीर्षक, भौतिक कब्जे एवं नियंत्रण को स्थानांतरित किए जाने के समय को निर्धारित करने में ग्राहक की स्वीकृति पर भी विचार करती है।

वित्तीय घटक

कंपनी ऐसे किसी भी अनुबंध की उम्मीद नहीं करती है जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। अत: कंपनी धन के समय मूल्य के लिए किसी भी लेन–देन की कीमत को समायोजित नहीं करती है।

अनुबंधों के लिए जहां कंपनी इंडस्ट्रीज –115 एएस व्यावहारिक उपाय का उपयोग करते हुए अपने ग्राहकों से अल्पकालिक अग्रिम प्राप्त करती है, कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की वादा की गई राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि अनुबंध की शुरुआत में,यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राहक को वादा की गई वस्तु या सेवा के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने के बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

ग) आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है, जो अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित लागू कर दर पर आधारित है।

वर्तमान आयकर शुल्क की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है तथा विचार करता है कि क्या यह संभव है कि एक कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर विवेचन को स्वीकार करेगा। कंपनी अपने कर संतुलन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य के आधार पर मापती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अनिश्चितता के समाधान का बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करती है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी अग्रणीत राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर, देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है । हालांकि, आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि वे गुडविल की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं। आस्थगित आय कर का भी हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह एक व्यावसायिक संयोजन के अलावा किसी अन्य लेनदेन में किसी संपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है और लागू होने की संभावना होती है जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति की अनुभूति होती है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और नुकसानों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर संपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है। वर्तमान कर संपत्ति और कर देनदारियां ऑफसेट हैं जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या संपत्ति की अनुभूति और एक साथ देयता का निपटान करना चाहती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

घ) संपत्ति की हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलते हैं कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो परिसंपत्तियों की हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। हानि की क्षति की पहचान उस राशि के लिए की जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटाकर परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक है।

हानि का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए, परिसंपत्तियों का परीक्षण निम्नतम स्तर पर किया जाता है, जिसके लिए अलग से पहचाने जाने योग्य नकदी प्रवाह होते हैं जो अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह (नकदी पैदा करने वाली इकाइयां) से नकदी प्रवाह से काफ्फ्री सीमा तक स्वतंत्र होते हैं।

गैर–वित्तीय संपत्तियों, जिन्हें हानि हुई है, का प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा संभावित उत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है ।

ङ) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकद समकक्षों में हाथ में नकदी, बैंकों में शेष राशि और अन्य अल्पकालिक, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

च) व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य राशियाँ व्यवसाय के सामान्य अवधि में बेचे गए माल के लिए ग्राहकों से देय राशियाँ हैं। व्यापार प्राप्तियों को शुरू में बिना शर्त के प्रतिफल की राशि पर मान्यता दी जाती है, जब तक कि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल न हों, जब उन्हें उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है । कंपनी संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्तियों को रखती है और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि भत्ता का उपयोग कर उन्हें परिशोधित लागत पर मापती है ।

छ) अनुबंध दायित्व

अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान होने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है । जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है । अनुबंध देनदारियों को बैलेंस शीट में अनर्जित राजस्व और ग्राहक अग्रिम के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो ।

ज) इन्वेंटरी

कच्चे माल और भंडार, कार्य–प्रगति एवं तैयार माल

कच्चे माल और भंडार, कार्य प्रगति और तैयार माल को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर बताया गया है। कच्चे माल की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य–प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित अनुपात शामिल होता है, जो बाद में सामान्य परिचालन क्षमता के

आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी शामिल हैं। भारित औसत पद्धति पर इन्वेंट्री के अलग-अलग मदों को लागत दी जाती है। छूट और घटौती घटाकर खरीदी गई इन्वैंटरी की लागत निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य अवधि में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें घटाई जाती हैं।

झ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

i) वर्गीकरण/Classification

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

* जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और

* जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है।

वित्तीय संपत्तियों के प्रबंधन और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में, निर्वाचित रूप मं दर्ज की जाएगी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए, यह उस बिजनेस मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। कंपनी ऋण निवेशों का पुर्न वर्गीकरण तब और केवल तब होता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

ii) मान्यता
वित्तीय संपत्तियों को शुरू में मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

iii) माप
आरंभिक मान्यता पर, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य से अधिक मापती है, वित्तीय संपत्ति के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होने की स्थिति में, लेन-देन की लागतें जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य' पर की गई वित्तीय संपत्तियों की लेनदेन लागत लाभ या हानि में व्यय की जाती है।
ऋण साधन साधन के बाद की माप संपत्ति के प्रबंधन एवं संपत्ति के नकदी प्रवाह की विशेषताओं के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल पर निर्भर करता है। कंपनी अपने ऋण साधन का वर्गीकरण निम्नत प्रकार से करती है :
परिशोधित लागत: परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके इन वित्तीय संपत्तियों से होने वाली ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है। अमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ या हानि में पहचाना जाता है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में हानि नुकसान को एक अलग लाइन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

iv. वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी दूरदेशी आधार पर परिशोधित लागत पर अपनी संपत्ति से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट घाटे का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं । ध्यान दें कि कंपनी कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं ।

केवल व्यापार प्राप्तियों के लिए इंडस्ट्रीज एएस 109 द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित जीवन भर के नुकसान की पहचान की आवश्यकता होती है।

v) वित्तीय संपत्तियों की अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

* कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है ।

* वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखा है परंतु एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है ।

जहां इकाई ने एक परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी सीमा तक स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां संस्था ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय संपत्ति की मान्यता को रद्द नहीं किया जाता है ।

जहां इकाई ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी सीमा तक बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा है तो वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय संपत्ति में निरंतर सहभागिता की सीमा तक संपत्ति को मान्यता देना जारी रखा जाता है ।

vi. आय पहचान

परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियों से ब्याज स्वरुप आय की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है और इसे अन्य आय के भाग के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

वित्तीय संपत्तियां जो बाद में क्रेडिट हानि हो जाती है उन्हें छोड़कर ब्याज आय की गणना किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है । क्रेडिट हानि वित्तीय संपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वित्तीय संपत्ति की शुद्ध अग्रणी राशि (हानि भत्ता की कटौती के बाद) पर लागू होती है ।

त्र) ऑफसेटिंग वित्तीय साधन

वित्तीय संपत्ति और देनदारियां ऑफसेट हैं और शुद्ध राशि तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में रिपोर्ट की जाती है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या संपत्ति की अनुभूति होने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा है । कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य अवधि में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट, दिवाला या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

ट) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि) को परंपरागत कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अन्य सभी मदों को मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर बताया जाता है । परंपरागत लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है ।

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तब जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को उचित रुप से मापा जा सकता है । एक अलग परिसंपत्ति के रूप में किसी भी घटक की अग्रणीत राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है । अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं ।

मूल्यह्रास के तरीके, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके संपत्ति की लागत को आवंटित करने के लिए की जाती है,

संपत्ति	उपयोगी जीवन के अनुसार अनुसूची II	प्रबंधन अनुमान के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्ष)
भवन	60 वर्ष	60 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष	5-7 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	5 वर्ष	3-8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	8 वर्ष	3-7 वर्ष
कंप्यूटर हार्डवेयर		
i) सर्वर एवं नेटवर्क्स	6 वर्ष	6 वर्ष
ii) डेक्सटॉप और अन्य सहायक उपकरण	3 वर्ष	3 वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर और प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक भवन, संयंत्र और मशीनरी, मोटर वाहनों एवं अन्य उपकरणों की कुछ वस्तुओं का मूल्यह्रास करती है जो कंपनियों के लिए उपयोगी जीवन से भिन्न है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी हैं और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाते हैं जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग होने की संभावना है ।

संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है । मूल्यह्रास की गणना मूल लागत और अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध मूल्य पर उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मूल्यह्रास दर के अनुसार की जाती है ।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है।

यदि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि में तुरंत लिख दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से रु. 10,000 या उससे कम की लागत वाली संपत्ति का खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण अग्रणी राशियों के साथ प्राप्तियों की तुलना करके किया जाता है। इन्हें अन्य आय के अंतर्गत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

ठ) अमूर्त संपत्ति
अर्जित अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्तियों का समर्थित लागत घटा संचित परिशोधन और हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर बताया गया है। परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तो परिशोधन अवधि तदनुसार बदल जाती है।
एक अमूर्त संपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।अमूर्त संपत्तियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत तकनीकी जानकारी के अधिकार शामिल हैं, जो कि समझौते की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है जो कि बारह वर्ष है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय
कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य और अद्वितीय अमूर्त संपत्ति के डिजाइन और परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार विकास लागतों को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जहां निम्नलिखित मानदंड होते हैं :

* संपत्ति को पूरा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है ताकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके।
* प्रबंधन का प्रयोजन अमूर्त संपत्ति को पूरा करना और उसका उपयोग करना या बेचना है।
* संपत्ति का उपयोग करने या बेचने की क्षमता है।
* यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि कैसे संपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।
* पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों के विकास को पूरा करने के लिए और संपत्ति का उपयोग या बेचने के लिए उपलब्ध हैं, और
* इसके विकास के दौरान संपत्ति के कारण होने वाले व्यय को उचित रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत होने वाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों में कर्मचारी लागत और प्रासंगिक ओवरहेड्स का उचित भाग शामिल है।

पूंजीगत विकास लागतों को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जिस पर संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय जो ऊपर दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में जाना जाता है। पूर्व में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागतों को बाद की अवधि में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

ड) व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। यह राशियाँ असुरक्षित हैं और वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें शुरू में उनके उचित मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ढ) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

कानूनी दावों और सेवा वारंटी के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है। यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है। भावी परिचालन हानियों के लिए प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

चूंकि छूट का प्रभाव भौतिक नहीं है, इसलिए प्रावधानों को बिना छूट वाली राशियों पर मापा जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है। पिछली घटनाओं से जहां या तो यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्वाह को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ण) कर्मचारी लाभ

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, रक्षा मंत्रालय के दि. 24 सितंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ OF/DP(Plg-V)/02 के अनुसार पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों को दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे एवं वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन देनदारी केंद्र सरकार की बाध्यता बनी रहेगी।केंद्र सरकार कंपनी से प्रतिनियुक्ति शुल्क लेती है। व्यय के सार को देखते हुए, इन खर्चों को वित्तीय विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

त) योगदान इक्विटी

इक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
नए शेयरों को जारी करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार वृद्धिशील लागत आय से कटौती, शुद्ध कर के रूप में इक्विटी में दिखाई जाती है।

आ.नि.बोर्ड के पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध संपत्ति के मद्दे जारी की जाने वाली और आवंटित की जाने वाली इक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में तुलन पत्र (बैलेंस–शीट) पर अलग से प्रस्तुत किया गया है।

थ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है।
वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के मालिकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को विभाजित करना।

द) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में दर्शाई गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो कि परिभाषा के अनुसार वास्तविक परिणामों के समान होंगे। प्रबंधन को कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की भी आवश्यकता है।
यह नोट उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिनमें निर्णय या जटिलता का एक उच्च स्तर शामिल होता है, और उन मदों का जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों से भिन्न होने वाले अनुमानों और मान्यताओं के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है।

महत्वपूर्ण निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है :

1. सहयोगी में निवेश

कंपनी ने आ.नि.बोर्ड के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) में 8% इक्विटी ब्याज प्राप्त किया। कंपनी ने IRRPL के निदेशक मंडल में एक निदेशक को भी नामित किया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि बोर्ड में प्रतिनिधित्व के साथ IRRPL में इक्विटी निवेश, IRRPL पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। तदनुसार, प्रबंधन ने निर्धारित किया है किIRRPLकंपनी का सहयोगी है। हालाँकि, शामिल

राशियों की भौतिकता को देखते हुए, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करके IRRPLमें अपने निवेश को इक्विटी में शामिल नहीं किया है । यदि कंपनी ने अपने सहयोगी के लिए इक्विटी खाते के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया होता, तो कर के बाद लाभ 0.87 करोड़ रुपये से अधिक होता । (31 मार्च, 2022 रु.0.06 करोड़) और एसोसिएट में संबंधित निवेश उसी राशि से अधिक होता ।

2. वारंटी के लिए प्रावधान

कंपनी पूर्ववर्ती आ.नि.बोर्ड से स्थानांतरित अनुबंधों के मद्दे अपने उत्पादों पर आजीवन वारंटी प्रदान करती है । कंपनी ने पूर्ववर्ती आ.नि.बोर्ड से हस्तांतरित की गई शुद्ध संपत्ति को स्थानांतरण तिथि के रूप में वारंटी प्रदान करके राशि के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर उन उत्पादों के मामले में समायोजित किया, जिनकी शेल्फ-लाइफ हस्तांतरण के रूप में समाप्त नहीं हुई है । हस्तांतरण की तारीख तक राशि को और कम कर दिया गया था । विवरण के लिए नोट39 देखें ।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों परटिप्पडणियां
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं,जब तक उल्लेख न किया गया हो)

4. (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	वाहन	कंप्यूटर एवं हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर एवं फिक्सिचर	कार्यालय उपकरण	कुल	कैपिटल कार्य – प्रगति पर
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३१ मार्च २०२२ तक	73.09	1,377.95	1,463.04	34.76	1.80	1.10	0.86	2,952.60	1,444.58
परिवर्धन	-	371.35	202.82	6.04	2.79	0.96	0.78	584.74	475.72
निपटान	-	(1.21)	(0.33)	(3.57)		-	-	(5.11)	(510.65)
समापन सकल वहन राशि	73.09	1,748.09	1,665.53	37.23	4.59	2.06	1.64	3,532.23	1,409.65
संचित मूल्यह्रास									
31 मार्च 2022 तक	-	18.26	52.81	3.83	0.11	0.06	0.07	75.14	
अवधि के लिए शुल्क	-	37.22	107.61	5.58	1.05	0.31	0.27	152.04	
निपटान	-	(0.00)	(0.02)	(0.10)	-	-	-	(0.12)	
संचित मूल्यह्रास को समाप्त करना	-	55.47	160.40	9.31	1.16	0.37	0.34	227.05	
शुद्ध वहन राशि	73.09	1,692.61	1,505.13	27.92	3.43	1.69	1.30	3,305.17	1,409.65

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं,जब तक उल्लेख न किया गया हो)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	वाहन	कंप्यूटर एवं हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	कुल	कैपिटल कार्य – प्रगति पर
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 अगस्तु 2021 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ.नि.बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर अधिग्रहण (नोट 39 देखें)	73.09	1,361.14	1,511.47	34.62	1.01	0.24	0.71	2,982.28	1,367.22
पुनर्विवरण*	-	(17.30)	(113.40)	(2.02)	(0.05)	0.37	-	(132.40)	1.59
आ.नि.बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर अधिग्रहण (नोट 39 देखें)	73.09	1,343.84	1,398.07	32.60	0.96	0.61	0.71	2,849.88	1,368.81
परिवर्धन	-	34.11	65.96	2.51	0.84	0.49	0.15	104.06	75.77
निपटान	-	-	(0.99)	(0.35)	-	-	-	(1.34)	
अंतिम सकल वहन राशि – पुनः बताई गई	73.09	1,377.95	1,463.04	34.76	1.80	1.10	0.86	2,952.60	1,444.58
संचित मूल्यह्रास									
अवधि के लिए शुल्क		18.26	53.49	4.11	0.11	0.06	0.07	76.10	
निपटान	-	-	(0.68)	(0.28)	-	-	-	(0.96)	
संचित मूल्यह्रास को समाप्त करना	-	18.26	52.81	3.83	0.11	0.06	0.07	75.14	
शुद्ध वहन राशि	73.09	1,359.69	1,410.23	30.93	1.69	1.04	0.79	2,877.46	1,444.58

* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें।

सकल वहन राशि में पुनर्कथन पर प्रभाव का 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा ।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं,जब तक उल्लेख न किया गया हो)

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में शामिल हैं:

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन	447.01	786.11
संयंत्र एवं मशीनरी	962.64	658.47
कुल	1,409.65	1,444.58

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

वृद्धिगत अनुसूची

31 मार्च 2023 तक

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
बड़े कैलिबर एम्युनिशन की सुविधाएं	20.63	70.87	159.30	105.93	356.73
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	1.90	5.10	7.00
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण प्रगति पर है	374.97	307.30	10.56	353.09	1,045.92
कुल	395.60	378.17	171.76	464.12	1,409.65

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
बड़े कैलिबर एम्युनिशन की सुविधाएं	42.60	60.08	137.20	462.93	702.81
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	181.64	181.64
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण प्रगति पर है	65.54	31.24	161.46	301.89	560.13
कुल	108.14	91.32	298.66	946.46	1,444.58

बैलेंस–शीट की तारीख तक कोई भी परियोजना निलंबित नहीं है ।

कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से अधिक हो गई हैं। हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है ।

4. (ख)

वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	तकनीकी ज्ञान
सकल वहन राशि	-
31 मार्च 2022 तक	96.41
परिवर्धन	1.79
निपटान	-
समापन सकल वहन राशि	98.20
संचित परिशोधन	8.92
वर्ष के लिए शुल्क	18.00
संचित परिशोधन को बंद करना	26.92
शुद्ध वहन राशि	71.28
वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त सकल वहन राशि 17 अगस्त 2021 तक	तकनीकी ज्ञान
आ.नि.बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर अधिग्रहण (नोट 39 देखें)	87.71
पुनर्विवरण*	8.70
समापन सकल वहन राशि – पुनर्निर्धारित	96.41
संचित परिशोधन वर्ष के लिए शुल्क	8.92
संचित परिशोधन को बंद करना	8.92
शुद्ध वहन राशि	87.49

* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट 40 देखें ।
सकल वहन राशि में पुनर्कथन पर प्रभाव का 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा ।

4 (ग) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
प्रारंभिक जमा	4.61	
परिवर्धन	51.85	13.42
पुनर्विवरण*	-	(8.81)
जमा शेष	56.46	4.61

वृद्धिगत अनुसूची के तहत अमूर्त
31 मार्च 2023 तक

	एक अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	–	–	-
उत्पादों से संबंधित प्रौद्योगिकी	51.85	4.61	–	–	56.46
कुल	51.85	4.61	–	–	56.46

31 मार्च 2022 तक पुनर्विवरण

	एक अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	–	–	–	-
उत्पादों से संबंधित प्रौद्योगिकी	4.61	–	–	–	4.61
कुल	4.61	–	–	–	4.61

बैलेंस–शीट की तारीख तक कोई भी परियोजना निलंबित नहीं है ।
कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से अधिक हो गई हैं । हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

5. गैर वर्तमान इंवेंटरी

कच्चा माल	30.08	39.21
कुल	30.08	39.21

6. गैर चालू निवेश

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
एसोसिएट में निवेश – लागत पर किया गया गैर उद्धृत		
इंडो–रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के 80,000 इक्विटी शेयर	0.80	0.80
कुल	0.80	0.80

उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	-
उद्धृत न किए गए निवेशों की कुल राशि	0.80	0.80
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	-	-

7. सरकार से प्राप्य

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
अच्छा माना जाना – असुरक्षित सरकार से प्राप्य	0.95	3.43
कुल	0.95	3.43

8. अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
पूंजी अग्रिम	10.52	5.67
कुल	10.52	5.67

9. इन्वेंट्री

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
कच्चा माल	2,606.85	1,910.75
कार्य प्रगति पर है	1,387.42	935.23
तैयार माल	320.17	92.32
कुल	4,314.44	2,938.30

उपरोक्त इन्वेंट्री में पारगमन माल निम्नानुसार शामिल है :

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
कच्चा माल	462.84	59.90
	462.84	59.90

10. व्यापार प्राप्तियां

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुन: विवरण)
ग्राहकों के साथ अनुबंध से व्यापार प्राप्य – बिल किया गया	1,406.57	764.24
ग्राहकों के साथ अनुबंध से व्यापार प्राप्य – बिना बिल के	-	-
ग्राहकों से संबंधित पक्षों के साथ व्यापार प्राप्य अनुबंध		
कम: हानि भत्ता	-	-
कुल	1,406.57	764.24

सुरक्षा विवरण का ब्यौरा

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक पुनर्विवरण
व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाना – सुरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाना – असुरक्षित	1,406.57	764.24
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	-	-
कुल	1,406.57	764.24
कम : हानि भत्ता		
कुल व्यापार प्राप्य	1,406.57	764.24

31 मार्च 2023 तक

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	–	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है	0.07	286.91	1041.71	74.18	3.70	–	1406.57
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य– साख खराब	-	-	-	-	-	–	-
कुल	0.07	286.91	1041.71	74.18	3.70	-	1406.57

31 मार्च, 2022 तक पुनर्विवरण *

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां	-	-	–	-	–	–	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है	377.88	262.94	–	123.42	–	–	764.24
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	–	-	–	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	–	-	–	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	–	-	–	–	-
विवादित व्यापार प्राप्य– साख खराब	-	-	–	-	–	–	-
कुल	377.88	262.94	-	123.42	-	-	764.24

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक कोई विवादित व्यापार प्राप्य नहीं है ।

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक कोई बिल रहित व्यापार प्राप्य नहीं है ।

11. नकद और नकदी समकक्ष

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक(पुन: विवरण)
बैंकों के साथ शेष	-	-
– चालू खातों में	244.43	710.18
– ईईएफसी खाते में	24.00	-
तीन माह से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएँ	2,981.54	2,268.36
हाथ में नकदी	0.01	-
कुल	3,249.98	2,978.54

12. सरकार से प्राप्य

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक(पुन: विवरण)
अच्छा माना जाना – असुरक्षित	-	-
सरकार से प्राप्य	203.76	355.79
कुल	203.76	355.79

13. अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक(पुन: विवरण)
सुरक्षा जमा	10.65	6.99
अन्य	16.26	7.86
कुल	26.91	14.85

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक(पुन: विवरण)
विक्रेताओं को अग्रिम	648.80	511.48
सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन	499.43	166.56
अन्य चालू परिसंपत्तियां	55.19	-
कुल	1,203.42	678.04

15. (क) इक्विटी शेयर पूंजी अधिकृत शेयर पूंजी

	शेयर की संख्या	राशि
निगमन तिथि अर्थात 17 अगस्त 2021 तक	40,50,00,00,000	40,500.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2022 तक	40,50,00,00,000	40,500.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	40,50,00,00,000	40,500.00

(ख) जारी, सब्सक्राइब और चुकता शेयर पूंजी

	शेयर की संख्या	राशि
निगमन तिथि अर्थात 17 अगस्त 2021 तक	-	-
अवधि के दौरान परिवर्तन	1,23,23,10,000	1,232.31
31 मार्च, 2022 तक	1,23,23,10,000	1,232.31
अवधि के दौरान परिवर्तन	32,50,53,50,000	32,505.35
31 मार्च, 2023 तक	33,73,76,60,000	33,737.66

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य INR 10 है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने का अधिकार देते हैं, और कंपनी को बंद करने की आय में शेयरों की संख्या और भुगतान की गई राशि के अनुपात में हिस्सा लेते हैं। बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक वोट का हकदार है, और मतदान पर प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

(ग) कंपनी में कुल शेयरों का 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों का विवरण

	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत सरकार	33,73,76,60,000	100%	1,23,23,10,000	100%

प्रवर्तक होने के नाते भारत सरकार के पास 31 मार्च 2023 तक 100% शेयर हैं।

घ) व्यापार पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर का लंबित मुद्दा (नोट 39 देखें)

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक जमा व्यापार पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर का लंबित मुद्दा (नोट 39 देखें)	32,510.60	32,724.50
पुनर्विवरण*	-	(213.90)
उप-योग	32,510.60	32,510.60
इक्विटी शेयर जारी करना	(32,505.35)	-
जमा शेष	5.25	32510.60

(ड.) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित है

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आवेदन राशि प्राप्त हुई	1,067.83	–

(च) नकदी के अलावा अन्य विचारार्थ जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
व्यापार पुनर्गठन पर जारी किया गया इक्विटी शेयर	32,50,53,50,000	–

16. अन्य इक्विटी

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
संपत्ति कोष (क)	(27,425.16)	(27,425.16)
प्रतिधारित आय (ख)	95.04	21.69
कुल	(27,330.12)	(27,403.47)

(क) संपत्ति कोष

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
प्रारंभिक जमा	(27,425.16)	-
व्यवसाय पुनर्गठन पर (नोट ३९ देखें)	-	(27,425.16)
जमा शेष	(27,425.16)	(27,425.16)

(ख) प्रतिधारित आय :

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
प्रारंभिक जमा	21.69	-
वर्ष/अवधि के लिए लाभ	73.35	21.69
जमा शेष	95.04	21.69

पूंजी आरक्षित आयुध निर्माणी बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध संपत्ति और जारी किए गए विचार के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है । विवरण के लिए नोट ३९ देखें ।

17 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
सुरक्षा जमा देय	5.86	3.60
कुल	5.86	3.60

18. गैर–वर्तमान प्रावधान

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
वारंटी का प्रावधान	2,917.62	2,985.31
कुल	2,917.62	2,985.31

प्रावधानों में गति

	उत्पाद वारंटी
17 अगस्त 2021 तक	-
व्यवसाय पुनर्गठन के माध्यम से प्राप्त (नोट 39 देखें)	3,000.00
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशियाँ	(14.69)
31 मार्च 2022 तक	2,985.31
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियाँ	(67.69)
31 मार्च 2023 तक	2,917.62

19 आस्थगित कर उत्तरदायित्व
शेष राशि में अस्थायी अंतर शामिल हैं:

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
विलंबित कर उत्तरदायित्व	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	148.37	85.62
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
इन्वेंट्री	-	0.38
कर घाटा	110.79	76.46
धारा 43 बी के तहत अस्वीकृति	0.26	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	23.35	5.55
नेट डीटीएल/(डीटीए)	13.97	3.23

कर घाटे में अवशोषित मूल्यह्रास शामिल है जिसे अनिश्चित काल तक आगे ले जाने की अनुमति है ।

आस्थगित कर देनदारियों में परिवर्तन

	31 मार्च 2023 तक	आस्थगित कर व्यय	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
आस्थगित कर उत्तरदायित्व			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	148.37	62.75	85.62
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
इन्वेंतटरी	-	0.38	0.38
कर घाटा	110.79	(34.33)	76.46
धारा ४३बी के तहत अस्वीकृति	0.26	(0.26)	-
एमएटी क्रेडिट पात्रता	23.35	(17.80)	5.55
शुद्ध डीटीएल/(डीटीए)	13.97	10.74	3.23

20 व्यापार देनदारियां

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक(पुनर्विवरण)
व्यापार देनदारियां		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई)	86.09	8.07
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर	734.80	562.46
कुल	820.89	570.53

व्यापार देय का बढ़ाना :-

31 मार्च 2023 तक

	बिल रहित	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां							
निर्विवाद-एमएसएमई	25.81	-	46.99	0.31	0.12	-	73.23
निर्विवाद-अन्य	65.11	2.40	553.47	112.96	-	-	733.93
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	12.86	12.86
विवादित बकाया- अन्य	-	-	0.87	-	-	-	0.87
कुल	90.92	2.40	601.33	113.27	0.12	12.86	820.89
31 मार्च, 2022 तक पुनर्विवरण							
	बिल रहित	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां							

	बिल रहित	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद–एमएसएमई	–	–	5.27	0.31	0.06	0.09	5.73
निर्विवाद–अन्य	–	–	449.99	4.96	0.10	2.17	457.22
विवादित बकाया– एमएसएमई	–	–	-	-	0.44	1.90	2.34
विवादित बकाया– अन्य	–	–	-	4.75	-	100.49	105.24
कुल	–	–	455.26	10.02	0.59	104.66	570.53

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटन इस प्रकार हैं:

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि और वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया	86.09	8.07
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज और वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया	–	–
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि का भुगतान किया जाता है	–	–
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत ब्याज का भुगतान किया गया	–	–
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा अन्य भुगतान किया गया ब्याज	–	–
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	–	–
लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और अवैतनिक शेष	–	–
आगामी वर्षों में भी अतिरिक्त ब्याज की राशि देय रहेगी	–	–

नोट: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत उद्यमों के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त पुष्टि के आधार पर कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक निर्धारित की गई है ।

21 अन्य वित्तीय देनदारियाँ – वर्तमान

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
कर्मचारियों को देय	187.87	188.93
सुरक्षा जमा देय	0.29	-
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	14.43	1.15
कुल	202.59	190.08

22 वर्तमान कर देनदारियां

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
वर्तमान कर प्रावधान	21.28	3.48
कुल	21.28	3.48

23 अन्य वर्तमान देनदारियां

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक (पुनर्विवरण)
अनुबंध देनदारियां	3,299.12	1,854.46
पूंजी ऋणदाता	30.34	11.94
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति दायित्व	0.52	-
वैधानिक बकाया	495.42	230.18
अन्य वर्तमान देनदारियां	2.16	0.76
कुल	3,827.56	2,097.34

24 संचालन से राजस्व

	31 मार्च 2023 तक	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री – एक समय पर	4,602.83	2,571.55
अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	49.35	-
कुल	4,652.18	2,571.55

ग्राहकों के साथ अनुबंध के विरुद्ध मान्यता प्राप्त राजस्व का पृथक्करण (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)

विवरण	घरेलू			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	गैर रक्षा	गैर रक्षा		
उत्पादों की बिक्री	3,420.47	997.40	139.42	45.54	4,602.83
कुल	3,420.47	997.40	139.42	45.54	4,602.83

ग्राहकों के साथ अनुबंध के विरुद्ध मान्यता प्राप्त राजस्व का पृथक्करण (17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022)

विवरण	घरेलू		निर्यात	कुल
	भारत सरकार			
	रक्षा	गैर रक्षा		
उत्पादों की बिक्री	1,897.54	651.46	22.55	2,571.55
कुल	1,897.54	651.46	22.55	2,571.55

नोट : (क) कंपनी के कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा गोला–बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति शामिल है

अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान :

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
अनुबंध की कीमत	4,340.65	2,571.55
के लिए समायोजन:		
चालू वर्ष से संबंधित अनुबंध मूल्य में परिवर्तन के कारण राजस्व में वृद्धि	108.18	-
पिछले वर्ष से संबंधित अनुबंध मूल्य में परिवर्तन के कारण राजस्व में वृद्धि	154.00	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	4,602.83	2,571.55

अनुबंध देनदारियां

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
व्यवसाय पुनर्गठन की अवधि के दौरान प्रारंभिक शेष/ हस्तांतरित (नोट ३९ देखें)	1,854.46	3,031.82
वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल किया गया था	(1,383.16)	(2,354.72)
वर्ष में प्राप्त नकदी या प्रदर्शन दायित्वों के लिए उठाए गए चालान के कारण वृद्धि, जिसे राजस्व में मान्यता नहीं दी गई है	2,827.82	1,177.36
जमा शेष	3,299.12	1,854.46

25 अन्य आय

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
किराए से आय	9.96	4.96
उपयोगिता शुल्क	15.50	5.45
विविध आय	81.72	10.14
सावधिक जमा पर ब्याज आय, परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति होने के नाते	190.59	20.39
शुद्ध विनिमय लाभ	-	3.64
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	1.67	-
कुल	299.44	44.58

26. उपभोग की गई सामग्री की लागत

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
वर्ष/अवधि की शुरुआत में कच्चा माल	1,949.96	-
जोड़ें: व्यवसाय पुनर्गठन की अवधि के दौरान स्थानांतरित (नोट ३९ देखें)		2,006.70
पुनर्कथन*		(49.92)
जोड़ें : खरीदारी	3,337.93	1,039.39
कम : वर्ष/अवधि के अंत में कच्चा माल	(2,636.93)	(1,949.96)
उपभोग की गई सामग्री की कुल लागत	2,650.96	1,046.21

27. प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में परिवर्तन

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर है	935.23	-
तैयार माल	92.32	-
व्यवसाय पुनर्गठन की अवधि के दौरान स्थानांतरित (नोट ३९ देखें)		
कार्य प्रगति पर है	-	1,165.49
तैयार माल	-	147.71
पुनर्कथन*		
कार्य प्रगति पर है	-	(2.38)
तैयार माल	-	0.10
कुल	1,027.55	1,310.93
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर है	1,387.42	935.23
तैयार माल	320.17	92.32
कुल जमा शेष	1,707.59	1,027.55
प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में कुल परिवर्तन	(680.04)	283.38

28. कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित*
वेतन, पारिश्रमिक और बोनस	2,041.78	920.87 -
कुल	2,041.78	920.87

29. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	152.04	76.10
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	18.00	8.92
कुल	170.04	85.02

30. अन्य व्यय

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
बिजली और ईंधन	87.70	51.65
यातायात भुगतान	27.18	6.90
तकनीकी ज्ञान	0.12	0.13
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.78	0.04
गारंटी आयोग	0.11	-
किराया, दरें और कर	26.23	0.79
बीमा	0.32	0.32
ठेका श्रमिक	87.34	31.67
विभागीय कैंटीन व्यय	0.57	1.64
चिकित्सा एवं स्वच्छता व्यय	-	1.41
जल प्रभार	46.03	22.77
मरम्मत एवं रखरखाव–भवन	11.80	22.37
मरम्मत एवं रखरखाव–अन्य	19.68	-
मरम्मत एवं रखरखाव– संयंत्र एवं मशीनरी	2.44	-
यात्रा खर्च	19.47	8.84
टेलीफोन खर्च	1.87	1.07
बिजली का खर्च	57.91	-
जुर्माना और दंड	0.03	-

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
आयकर खर्च	3.91	2.11
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	5.79	0.92
लेखापरीक्षक को भुगतान (नोट ३० (ए) देखें)	0.60	0.21
संपत्ति कर	3.93	-
सुरक्षा व्यय	206.75	88.24
शुद्ध विनिमय लाभ/हानि	13.86	-
प्रदर्शनी व्यय	2.04	1.10
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट ३०(बी देखें))	0.52	-
विविध व्यय	39.01	7.99
कुल	666.99	250.17

30. (क) लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
लेखा परीक्षक के रूप में:		
वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.40	0.21
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.20	-
कुल	0.60	0.21

30. (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	0.52	–
(ii) किए गए व्यय की राशि		
– नई संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	–
– उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	-	–
(iii) वर्ष के अंत में कमी/(अधिकता)।	0.52	–
(iv) पिछले वर्षों का योग कमी/(अधिकता)	-	–

(v) कमी का कारण	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर, वर्ष के अंत के बाद, कमी की राशि एक विशेष खाते में जमा कर दी गई है।
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	लागू नहीं
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	लागू नहीं
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न देनदारी के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले उतार-चढ़ाव को अलग से दिखाया जाना चाहिए।	लागू नहीं

31. आय कर व्याय

लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए आयकर व्यय के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

लाभ और हानि अनुभाग	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
आयकर खर्च		
वर्तमान आयकर	17.80	5.55
विलम्बित आयकर	10.74	3.23
कुल	28.54	8.78

31 मार्च 2023 के लिए कर व्यय और लेखांकन लाभ को कर की दर से गुणा करने का समाधान

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
कर पूर्व लेखांकन लाभ	101.89	30.47
29.12% की मूल रूप से अधिनियमित आयकर दर पर कर	29.67	8.87
पिछले वर्ष से संबंधित आस्थगित कर अब मान्यता प्राप्त है	(1.28)	
उस राशि का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य नहीं है		
-कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	0.15	
अन्य	-	(0.09)
आयकर खर्च	28.54	8.78

32. उचित मूल्यं माप परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां	1,406.57	764.24
नकद एवं नकद समकक्ष	3,249.98	2,978.54
सरकार से प्राप्य	204.71	359.22
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	26.91	14.85
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,888.17	4,116.85
वित्तीय देनदारियों		
व्यापार देनदारियां	820.89	570.53
सुरक्षा जमा	6.15	3.60
कर्मचारियों को देय	187.87	188.93
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	14.43	1.15
कुल वित्तीय देनदारियाँ	1,029.34	764.21

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापा जाता है

परिशोधन लागत पर किए गए सभी वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है क्योंकि वे या तो प्रकृति में अल्पकालिक हैं या लागू ब्याज दर वर्तमान बाजार ब्याज दर से भौतिक रूप से भिन्न नहीं हैं।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य की श्रेणी के तहत मापा जाने वाला कोई वित्तीय साधन नहीं है।

33. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी मुख्य रूप से बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और क्रेडिट जोखिम के संपर्क में आती है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकती है।कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा बल्कि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े जोखिम जैसे क्रेडिट जोखिम को भी कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है । क्रेडिट जोखिम में डिफ़ॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम और क्रेडिट योग्यता में गिरावट का जोखिम दोनों शामिल हैं ।
कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, नकदी और बैंक शेष और अन्य प्राप्य से उत्पन्न होता है ।

व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि सरकार/सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से बकाया है । जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियों से जुड़ा कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है । गैर सरकारी होने की स्थिति में व्यापार प्राप्य, बिक्री आम तौर पर ग्राहक द्वारा स्थापित क्रेडिट पत्र के आधार पर की जाती है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है । कंपनी को आम तौर पर बैंक गारंटी के बदले ६०% अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है जो व्यापार से जुड़े क्रेडिट जोखिम को और सुरक्षित करता है ।

1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थान ही स्वीकृत होते हैं ।

ख) लिक्विटी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और जमा बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता ।अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ग्राहकों से अग्रिम के रूप में ऑर्डर मूल्य का ६०% प्राप्त करने के पश्चात माल के उत्पादन के लिए ऑर्डर स्वीकार करके कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करके धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है ।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की इक्विटी स्थिति और नकदी और नकदी समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है । कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक इक्विटी संपत्ति के स्तर पर विचार करना शामिल है । कंपनी अपने अधिशेष धन को बैंक सावधि जमा में निवेश करती है ।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

i) नीचे दी गई सारणी कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती है :

तालिका में बताई गई राशियाँ संविदात्मक बिना छूट वाले नकदी प्रवाह हैं ।12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है ।

31 मार्च 2023 तक	कुल	3 माह से कम	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देनदारियां	820.89	-	820.89	-	–
सुरक्षा जमा	6.15	0.29	-	5.86	–
कर्मचारियों को देय	187.87	187.87	-	-	–
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	14.43	14.43	-	-	–
कुल	1,029.34	202.59	820.89	5.86	–

31 मार्च 2023 तक	कुल	3 माह से कम	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देनदारियां	570.53	171.19	399.34	-	–
सुरक्षा जमा	3.60	-	-	3.60	–
कर्मचारियों को देय	188.93	73.49	115.44	-	–
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	1.15	1.15	-	-	–
कुल	764.21	245.83	514.77	3.60	–

ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की कमाई, वसूली योग्य उचित मूल्यों या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है ।किसी वित्तीय साधन का मूल्य विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है । भविष्य की विशिष्ट बाज़ार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करती है और मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो और एसईके के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है । विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा(INR) नहीं है ।

कंपनी विदेशी मुद्राओं में आयात और निर्यात दोनों लेनदेन करती है । निर्यात की तुलना में आयात अधिक है और इसलिए कंपनी के पास निर्यात की तुलना में खरीद की सीमा तक विदेशी मुद्रा का जोखिम है ।

कंपनी जिन मुद्राओं के संपर्क में है, वे महत्वपूर्ण अस्थिरता के अधीन नहीं हैं । हालाँकि, प्रबंधन इन मुद्राओं में उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नज़र रखता है और कंपनी को अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है ।

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां		
एसईके	-	-
यूरो	-	-
यूएसडी	-	125.73
बैंक बैलेंस		
एसईके	-	-
यूरो	-	-
यूएसडी	24.00	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के प्रति शुद्ध जोखिम	24.00	125.73
व्यापार देनदारियां		
एसईके	-	-
यूरो	(6.20)	-
यूएसडी	-	-
पूंजी ऋणदाता		
एसईके	-	(0.40)
यूरो	(0.11)	-
यूएसडी	-	(4.65)
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियां) के प्रति शुद्ध जोखिम	(6.31)	(5.05)

वर्ष के अंत में देय/प्राप्य शेष के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता निम्न प्रकार से है :

	लाभ पर प्रभाव	लाभ पर प्रभाव
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पुनर्विवरण*
5% की वृद्धि		
एसईके	-	(0.02)
यूरो	(0.32)	-
यूएसडी	1.20	6.05
५% की कमी		
एसईके	-	0.02
यूरो	0.32	-
यूएसडी	(1.20)	(6.05)

* अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

34. पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं :

* एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुरक्षित रखें, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
* पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

35. (क) खंड रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 को संशोधित करके रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(ख) (i) कर्मचारी लाभ दायित्व के लिए प्रावधान

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के उत्पादन और गैर-उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) क्रमांक 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अंतर्गत पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों को दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए उनके संबंधित कुछ वेतन भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देनदारी केंद्र सरकार की बाध्यता बनी रहेगी। चूंकि कंपनी को इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए IND-AS 19 के अनुसार कुछ कर्मचारी लाभों के प्रावधान अर्थात ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते के प्रावधान को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

(ख) (ii) लेखापरीक्षा समिति संबंधित अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को क्रमशः स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना और लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। हालाँकि, एक सरकारी कंपनी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई होने के नाते, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है।ऐसी प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं थी और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने में सक्षम नहीं थी। प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार से आवश्यक आवेदन किया है। प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

36. संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

संबंधित पक्षों के नाम और उनसे संबंध की प्रकृति

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन
श्री एस.के.राउत	निदेशक/ऑपरेशन
श्री वी.सी.वर्मा	निदेशक/वित्त (20 मई 2022 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त/सीएफओ (14 जून 2022 से)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजा	31 मार्च, 2023 तक
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.86
कुल	1.86

(ख) चूंकि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इंडस्ट्रीज़ एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालाँकि, इंडस्ट्रीज़ एएस24 के तहत यथा आवश्यक, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित हैं :

कंपनी का लगभग 95% टर्नओवर और व्यापार प्राप्य और 99% ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में हैं।

37. आकस्मिक देयताएं

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कानूनी दावे में वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों में जुर्माना, खरीद में मध्यस्थता और वेतन निर्धारण आदि के लिए अदालती मामले शामिल हैं।	5.90	6.47
कानूनी दावे में वेतन और भत्ते, खरीद में मध्यस्थता, वेतन निर्धारण और जीएसटी विभाग आदि के अदालती मामले शामिल हैं।	18.51	11.93
कुल	24.41	18.40

38. प्रति शेयर आय

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022 पुर्नविवरण
(क) प्रति शेयर मूल आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले लाभ का उपयोग प्रति शेयर मूल आय की गणना में किया जाता है	73.35	21.69
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग किया जाता है	34,16,01,86,294	26,10,37,75,913
INR में प्रति शेयर मूल आय	0.02	(0.01)
(ख) प्रति शेयर लिक्विड आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले लाभ का उपयोग प्रति शेयर घटी हुई आय की गणना में किया जाता है	73.35	21.69
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग प्रति शेयर लिक्विडआय की गणना में भाजक के रूप में किया जाता है	34,16,01,86,294	26,10,37,75,913
INR में प्रति शेयर लिक्विड आय	0.02	(0.01)

39. व्यवसाय पुनर्गठन

भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के एक संलग्न कार्यालय, आयुध निर्माणी बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार द्वारा सात अलग-अलग पूर्ण स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की। तदनुसार, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 1(5)/ 2021/ ओएफ/डीपी(पीएलजी-त)/01 के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद (इस नोट के प्रयोजन के लिए 'व्यवसाय' के रूप में संदर्भित) के उत्पादन से संबंधित पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के 12 निर्माणियों और 4 प्रशिक्षण केंद्रों को 1 अक्टूबर,2021 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड से हथियारों और गोला-बारूद का कारोबार संभालने के लिए नवगठित इकाई थी। इसलिए कंपनी पुनर्गठन के समय व्यवसाय की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाई। तदनुसार, इस लेन-देन को सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यापार संयोजन के रूप में नहीं, बल्कि पूंजी पुनर्गठन के रूप में समझा जाता है। पूंजी पुनर्गठन के लिए लेखांकन पर इंडस्ट्रीज़ एएस के अंतर्गत कोई मार्गदर्शन नहीं है। हालाँकि, व्यवसाय पुनर्गठन से पहले और बाद में सामान्य नियंत्रण (यानी, भारत सरकार द्वारा) के अधीन रहा है, प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इंडस्ट्रीज़ एएस103 में परिशिष्ट 'ग' के प्रावधानों को लागू करना उचित है जो इंडस्ट्रीज़ एएस8 द्वारा प्रदान की गई नीति विकल्प के

अनुसार सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यापार संयोजनों से संबंधित है। तदनुसार, कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस 103 के परिशिष्ट सी के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करते हुए, कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रभाव के लिए समायोजित अपने वर्तमान मूल्य पर हस्तांतरित व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों का हिसाब लगाया है।

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड सरकारी विभागों पर लागू सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार व्यवसाय का हिसाब रखता था। कंपनी ने स्वेच्छा से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज़ एएस) को अपनाया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि सामान्य वित्तीय नियम कंपनी को हस्तांतरित होने से पहले व्यवसाय द्वारा अपनाया गया पिछला GAAP है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरण कंपनी के पहली वित्तीय विवरण हैं, क्योंकि कंपनी को नवगठित किया गया था एवं इसकी प्रारंभिक तिथि यानी निगमन की तारीख तक इसकी कोई संपत्ति या देनदारियां नहीं थीं। हालाँकि, आयुध निर्माणी बोर्ड की कुछ इकाइयों का व्यवसाय एमआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था, प्रबंधन ने निर्धारित किया कि कंपनी हस्तांतरित व्यवसायों के संबंध में पहली बार अपनाने वाली कंपनी हो सकती है।

तदनुसार, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इंडस्ट्रीज़ एएस 101 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध छूट और अपवादों को वहन मूल्य वाली संपत्तियों और देनदारियों पर लागू किया जाना चाहिए और फिर एमआईएल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, इंडस्ट्रीज़ एएस समायोजन के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2021 को कंपनी को हस्तांतरित व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों में कुछ सुधार किए गए, जिनकी राशि INR 4,233.87 थी। महत्वपूर्ण समायोजनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) कंपनी ने स्थानांतरण की तिथि के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के मूल्य पर डीम्ड लागत लागू की।

(ii) कंपनी ने व्यवसाय के हस्तांतरण की तारीख तक बकाया अनुबंधों के लिए 3,000 रुपये की वारंटी प्रदान की, क्योंकि इसे हस्तांतरित शुद्ध संपत्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया गया था।

(iii) कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, मूल्यांकन को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, में लाने के लिए इन्वेंट्री के मूल्य को समायोजित किया।

(iv) कंपनी ने सरकार से प्राप्त होने वाली कुछ रकमों को संबंधित देनदारियों (मुख्य रूप से सुरक्षा जमा और ग्राहकों से अग्रिम शामिल) के रूप में कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था, इसके बदले में कोई पैसा प्राप्त नहीं किया गया था।

(v) पिछले GAAP के तहत परिसंपत्ति के रूप में पहचाने गए विविध व्यय और प्रारंभिक खर्चों को हटा दिया गया क्योंकि इन्हें इंडस्ट्रीज़ एएस के तहत मान्यता नहीं दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान पहचाने गए सुधारों के लिए हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों, व्यापार पुनर्गठन पर सहमत विचार और पुनर्गठन पर मान्यता प्राप्त पूंजी आरक्षित का विवरण नीचे दिया गया है :

INR करोड़
1 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त शेष राशि

	जैसा कि पहले बताया गया था	पुनर्विवरण**	पुन: बताना
संपत्ति:			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2,982.28	(132.41)	2,849.87
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	1,367.22	1.59	1,368.81
अमूर्त संपत्ति	87.71	(0.11)	87.60
इन्वेंट्री	3,319.91	(52.19)	3,267.72
निवेश	0.80	-	0.80
सरकारों से प्राप्य	701.91	(78.48)	623.42
अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	1.12	-	1.12
व्यापार प्राप्तियां	249.76	(2.31)	247.45
नकद और नकद के समकक्ष	15.39	1.15	16.54
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	30.42	5.01	35.43
अन्य चालू परिसंपत्तियां	377.91	(8.08)	369.83
कुल संपत्ति	**9,134.43**	**(265.83)**	**11,685.41**
देनदारियाँ:			
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	132.75	3.19	135.94
प्रावधान	3,000.00	-	3,000.00
व्यापार देनदारियां	283.35	(27.89)	255.46
अन्य वर्तमान देनदारियां	418.98	(27.23)	391.75
कुल देनदारियां	**3,835.08**	**(51.93)**	**6,599.97**
शुद्ध संपत्ति (क)	**5,299.34**	**(213.90)**	**5,085.44**
देय प्रतिफल (ख)	**32,724.50**	**(213.90)**	**32,510.60**
[रुपये 10 प्रत्येक] 32,51,06,00,012 के इक्विटी शेयर (संख्या)।			
पूंजी आरक्षित [(क) – (ख)]	(27,425.16)	-	(27,425.16)

* पुनर्विवरण के संबंध में विवरण के लिए नोट40 देखें ।

एमआईएल द्वारा लेखांकन व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर, एमआईएल द्वारा भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के रूप में देय प्रतिफल पर सहमति व्यक्त की गई है । चूंकि उचित मूल्य उपयोग 31 मार्च, 2022 तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए शेयर उस तारीख तक जारी नहीं किए गए थे और इसलिए देय विचार को बैलेंस–शीट में इक्विटी के तहत 'व्यवसाय पुनर्गठन पर लंबित इक्विटी शेयर' के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

कुल विचार में से, कंपनी ने 29 अगस्त, 2022 को 32,50,53,50,000 इक्विटी शेयर (नंबर) जारी किए। इसलिए, चालू वर्ष के अंत में कंपनी के पास5.25 करोड़ रुपये (52,48,380 इक्विटी शेयर (संख्या)) की राशि के इक्विटी शेयर लंबित हैं।

40. पुनर्विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड ('ओएफबी') से अर्जित संपत्ति और देनदारियों के संतुलन में त्रुटियों की पहचान की। आयुध निर्माणी बोर्ड से स्थानांतरण के समय, इन परिसंपत्तियों और देनदारियों की शेष राशि, जो अधिग्रहित की गई थी, लेखा-परीक्षण नहीं की गई थी। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर एक राय का अस्वीकरण भी जारी किया क्योंकि कुछ शेष राशि कंपनी के पास मौजूद पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित नहीं थी। नतीजातन, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयुध निर्माणी बोर्ड से ली गई संपत्तियों और देनदारियों के शेष के लिए सहायक साक्ष्य की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की और कुछ त्रुटियों की पहचान की जिसके परिणामस्वरूप इन शेष राशि का पुनर्कथन हुआ। कंपनी ने इन शेष की जांच करने और 31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट को मान्य करने के लिए आंतरिक समितियों का गठन किया था। आंतरिक समितियों के निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक संख्याओं को फिर से बताया है। लेन-देन की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, प्रारंभिक शेष के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और आगे के वर्षों में समायोजन, यदि कोई हो, की पहचान की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आगे पुनर्कथन हो सकता है। चूंकि नोट 39 में उल्लिखित व्यापार पुनर्गठन के विरुद्ध देय खरीद विचार को कंपनी द्वारा उक्त व्यापार पुनर्गठन के एक भाग के रूप में अर्जित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य की सीमा तक जारी की जाने वाली शेयर पूंजी के रूप में सहमति दी गई है, इसलिए लेखांकन प्रभाव देय है अर्जित की गई शुद्ध परिसंपत्तियों से संबंधित पुनर्कथनों को देय खरीद प्रतिफल में समायोजित किया जाता है, अर्थात 'व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर लंबित मुद्दा'।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान पहचानी गई जानकारी के आधार पर समाप्त अवधि के दौरान लेनदेन के लिए कुछ वस्तुओं को भी बहाल किया गया था।

पिछली अवधि के प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन आइटम को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत करके त्रुटि को अब ठीक कर दिया गया है :

तुलन पत्र सार

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (जैसा कि पहले बताया गया था)	बढ़ोतरी/ (घटौती)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (पुनर्विवरण*)
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3,009.87	(132.41)	2,877.46
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	1,442.99	1.59	1,444.58
अमूर्त संपत्ति	78.79	8.70	87.49
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	13.42	(8.81)	4.61
इन्वेंटरी – गैर चालू	42.24	(3.03)	39.21
अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	5.55	0.12	5.67
इन्वैंटरी	2,987.46	(49.16)	2,938.30
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(क) व्यापार प्राप्तियां	766.55	(2.31)	764.24
(ख) नकद और नकद के समकक्ष	2,976.53	2.01	2,978.54
(ग) सरकारों से प्राप्य	434.28	(78.49)	355.79
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9.31	5.54	14.85
अन्य चालू परिसंपत्तियां	686.25	(8.21)	678.04
कुल संपत्ति	**12,453.24**	**(264.46)**	**12,188.78**
देनदारियाँ :			
आस्थागित कर उत्तरदायित्व	2.63	0.60	3.23
व्यापार देनदारियां	603.53	(33.00)	570.53
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	186.15	3.93	190.08
वर्तमान कर देनदारियां	2.60	0.88	3.48
अन्य वर्तमान देनदारियां	2,123.90	(26.56)	2,097.34
कुल देनदारियां	**2,918.81**	**(54.15)**	**2,864.66**
शुद्ध संपत्ति	**9,534.43**	**(210.31)**	**9,324.12**
इक्विटी			
व्यापार पुनर्गठन पर लंबित इक्विटी शेयरों का मुद्दा (नोट 39 देखें)	32,724.50	(213.90)	32,510.60
अन्य इक्विटी – बरकरार रखी गई कमाई	301.48	3.59	305.07
कुल	**33,025.98**	**(210.31)**	**32,815.67**

लाभ और हानि का विवरण सार

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (जैसा कि पहले बताया गया था)	बढ़ोतरी/ (घटौती)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (पुनर्विवरण*)
अन्य आय	46.83	(2.25)	44.58
कुल आय	**46.83**	**(2.25)**	**44.58**
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	1,051.90	(5.69)	1,046.21
प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	283.38	(0.00)	283.38
कर्मचारी लाभ व्यय	919.39	1.48	920.87
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	85.02	(0.00)	85.02
अन्य खर्च	253.29	(3.12)	250.17
कुल खर्च	**2,592.98**	**(7.34)**	**2,585.66**
कर देने से पूर्व लाभ	308.78	(278.31)	30.47
आयकर खर्च			
– वर्तमान कर	4.67	0.88	5.55
– आस्थगित कर	2.63	0.60	3.23
कुल कर व्यय	7.30	1.48	8.78
अवधि के लिए लाभ	301.48	(324.38)	(22.89)
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय, कर का शुद्ध	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	301.48	(324.38)	(22.89)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (जैसा कि पहले बताया गया था)	बढ़ोतरी/ (घटौती)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (पुनर्विवरण*)
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	-	-	-
आयकर से पहले लाभ	25.40	5.08	30.47
प्राप्त ब्याज	(22.64)	2.25	(20.39)
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)।	320.18	(5.11)	315.07
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में(वृद्धि)/कमी	22.88	(0.60)	22.28
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	56.99	1.48	58.47
परिचालन से उत्पन्न नकदी	1,899.06	3.11	1,902.17
प्राप्त ब्याज	22.64	(2.25)	20.39
आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के भाग के रूप में अर्जित नकदी (नोट 39 देखें)	15.39	1.15	16.54
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(154.85)	(1.10)	(155.94)
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)।	2,976.53	2.01	2,978.54
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	2,976.53	2.01	2,978.54

नकदी प्रवाह का विवरण सार

पुनर्विवरण * ईपीएस का प्रभाव

पुनर्कथन के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईपीएस में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है ।

41. अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी
(क) वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2023 अनुपात	31 मार्च 2022 अनुपात	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	2.14	2.70	-21%	लागू नहीं है क्योंकि भिन्नता 25% से कम है
2.	इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	अंशधारी निधि	0.98%	0.34%	187%	अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पर्याप्त वृद्धि रिपोर्टिंग की अवधि में अंतर के कारण है (पिछला वर्ष केवल 6 महीने के लिए था)
3.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत सूची	0.54	0.34	62%	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बेची गई वस्तुओं की लागत में वृद्धि हुई है।
4.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व(सकल)	औसत व्यापार प्राप्य	4.29	5.07	-15%	लागू नहीं है क्योंकि भिन्नता 25% कम है से
5.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	1.92	2.43	-21%	लागू नहीं है क्योंकि भिन्नता 25% से कम है
6.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व(सकल)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	0.84	0.53	59%	पर्याप्त वृद्धि रिपोर्टिंग की अवधि में अंतर के कारण हुई है (पिछले वर्ष केवल 6 महीने के लिए थी)

क्र.सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2023 अनुपात	31 मार्च 2022 अनुपात	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
7.	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व (सकल)	1.58%	0.84%	87%	लागू नहीं है क्योंकि भिन्नता 25% से कम है
8.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पूर्व अर्जन	कुल संपत्ति – वर्तमान और गैर–वर्तमान देनदारियाँ	1.36%	0.48%	183%	पर्याप्त वृद्धि रिपोर्टिंग की अवधि में अंतर के कारण हुई है (पिछले वर्ष केवल 6 महीने के लिए थी)
9.	निवेश पर रिटर्न	ब्याज और कर से पूर्व अर्जन	कुल संपत्ति	0.67%	0.25%	167%	पर्याप्त वृद्धि रिपोर्टिंग की अवधि में अंतर के कारण हुई है (पिछले वर्ष केवल 6 महीने के लिए थी)

नोट: निम्नलिखित अनुपातों का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि वे कंपनी पर लागू नहीं होते हैं
ऋण इक्विटी अनुपात

कर्ज सेवा कवरेज अनुपात

(ख) अन्य नियामक जानकारी

(i) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

वित्तीय विवरणों के नोट्स में बताई गई सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं, संबंधित निर्माणियों के स्थान पर स्थित 42735 एकड़ की भूमि को छोड़कर, जो अब भी आयुध निर्माणी बोर्ड के नाम पर हैं और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है ।

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	73.09	आयुध निदेशालय	नहीं	सितंबर 09, 2021	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को टाइटल डीड का स्थानांतरण प्रक्रिया में है

(ii) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क का पंजीकरण या संतुष्टि
ऐसा कोई शुल्क या संतुष्टिनहीं है जिसे वैधानिक अवधि के पश्चात कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना शेष है।

(iii) बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग । बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया गया है।

(iv) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) चालू परिसंपत्तियों के मद्दे सुरक्षित उधार
कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

(vi) इरादतन चूककर्ता
कंपनी की किसी भी इकाई को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vii) बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध
कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

(viii) कंपनियों की स्तरों की संख्या का अनुपालन
कंपनी ने कंपनी अधिनियम,2013 के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ix) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन
कंपनी ने ऐसी किसी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका वर्तमान अवधि पर लेखांकन प्रभाव पड़े।

(x) उधार ली गई धनराशि का उपयोग और शेयर प्रीमियम
कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ :

क) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना

ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना
कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फ्रंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी :

क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें।

ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

(xi) अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्तमान अवधि के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई कोई आय नहीं है, जिसे खाते की बही में दर्ज नहीं किया गया है।

(xii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने मौजूदा अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(xiii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन

कंपनी ने मौजूदा अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

अभिजित शेट्ये
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 151638

रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283919

प्रकाश अग्रवाल
सीएफओ एवं वित्त निदेशक
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

पुणे
दिनांक – अक्टूबर 13, 2023

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड

Munitions India Limited

विनाशाय दुष्कृताम्

Accurate. Lethal. Reliable.

निगमित कार्यालय पता : दूसरी मंजिल, न्याति युनिट्री, नगर रोड,
येरवडा, पुणे - 411 006.